खण्ड-06 सत्र - 02 (भाग-01) / अंक- 24

बृहस्पतिवार 03 दिसम्बर, 2015 / 12 मार्गशीर्ष 1937 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

द्वितीय सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-02 (भाग-01) में अंक 15 से अंक 25 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

l=&2 Hkkx ¼1½ cgLifrokj] 03 fnlEcj] 2015@12 ekxZ'kh"kZ] 1937 ¼'kd½ vad&24

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री रघुविंद्र शौकीन
11. सुश्री राखी बिड़ला
12. श्री विजेन्द्र गुप्ता
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
16. श्री सोमदत्त
17. सुश्री अलका लाम्बा
18. श्री आसिम अहमद खान
19. श्री विशेष रवि
20. श्री हजारी लाल चौहान

21. श्री शिव चरण गोयल
22. श्री गिरीश सोनी
23. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
24. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री आदर्श शास्त्री
27. श्री गुलाब सिंह
28. श्री कैलाश गहलोत
29. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
30. सुश्री भावना गौड़
31. श्री सुरेन्द्र सिंह
32. श्री विजेन्द्र गर्ग
33. श्री प्रवीण कुमार
34. श्री मदन लाल
35. श्री सोमनाथ भारती
36. श्रीमती प्रमिला टोकस
37. श्री नरेश यादव
38. श्री करतार सिंह तंवर
39. श्री प्रकाश
40. श्री अजय दत्त
41. श्री दिनेश मोहनिया
42. श्री सौरभ भारद्वाज
43. सरदार अवतार सिंह कालका जी
44. श्री सही राम
45. श्री नारायण दत्त शर्मा
46. श्री राजू धिंगान
47. श्री मनोज कुमार
48. श्री नितिन त्यागी
49. श्री एस.के. बग्गा
50. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
51. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
52. सुश्री सरिता सिंह
53. मो. इशराक
54. श्री श्रीदत्त शर्मा
55. चौ. फतेह सिंह
56. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

l=&2 Hkkx ¼1½ cgLifrokj] 03 fnlEcj] 2015@12 ekxZ'kh"kZ] 1937 ¼'kd½ vad&24

lnu vijkgu 2-00 cts leosr gqvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय ¼Jh jke fuokl xks;y½ *पीठासीन हुए।*

fo'ks"k mYys[k

v/;{k egksn; % सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है।

नियम 280 में श्री जनरैल सिंह जी (तिलक नगर)। विजेन्द्र जी, आज किसी की भी कॉलिंग अटैंशन नहीं ली। एक सैकिण्ड विजेन्द्र जी। मैं माननीय सदस्यों से एक बात कह रहा हूं और दो दिन सदन उसी ढंग से चला है, जिनके भी कॉलिंग अटैन्शन आये हैं पहले स्टार्ड क्वैश्चन अगर दिन है तो स्टार्ड क्वैश्चन, उसके बाद 280, उसके बाद कॉलिंग अटैन्शन मैंने कल भी ऐसे लिये, परसों भी ऐसे लिये, उस चक्कर में ये समय सदस्यों का जो मेहनत करके लिखते हैं, जानना चाहते हैं, वो रह जाता है तो आज मैंने कॉलिंग अटैन्शन...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % विजेन्द्र जी, देखो उस समय प्लीज।

Jh fotsUnz xqIrk % पत्रकारों पर हमला हुआ।

v/;{k egkn; % देखिये विजेन्द्र जी, अब....

...(व्यवधान)...

Jh fotUn xIrk % परिसर के अंदर कवर कर रहा है उसको मारा जाये। गाली दी जाये।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। एक सैकिण्ड, मेरी बात सुन लीजिये। मैं वहां उपस्थित था। कोई हाथ नहीं उठाया किसी ने।

Jh fotUn xIrk % हां जी, गाली नहीं दी।

v/;{k egkn; % कोई गाली नहीं दी।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, मैं आप से प्रार्थना कर रहा हूं। विजेन्द्र जी, कोई कॉलिंग अटेन्शन नहीं है आज प्लीज।

Jh fotUn xIrk % मेरा कॉलिंग अटैन्शन लगा हुआ है इसमें।

v/;{k egkn; % नहीं लगा हुआ, मैं किसी का नहीं ले रहा हूं आज।

Jh fotUn xIrk % आज चार कॉलिंग अटैन्शन हैं। आपने अपनी बात कह दी ना? आपने कह दी अपनी बात। सबने सुन ली।

Jh fotUn xIrk % सैक्रेटरी को बुला के यहां पर कहो माफी मांगे।

v/;{k egkn; % ऐसी घटना ही नहीं हुई है।

Jh fotUn xIrk % उन्होंने रोका है, रिकार्डिंग करने से क्यों रोका है?

v/;{k egkn; % ऐसे घटना ही नहीं हुई है।

Jh fotUn xIrk % उन्होंने रोका है, रिकार्डिंग करने से। क्यों रोका है?

v/;{k egkn; % आपका विषय आयेगा अभी, मैं बताता हूं।

Jh fotUn xIrk % हां, बताइये आप।

v/;{k egkn; % अभी आयेगा विषय दो मिनट रुक जाइये। अभी आयेगा सारा विषय आयेगा।

Jh fotUn xIrk % मैं ये जानना चाहता हूं कि किस आधार पर?

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

Jh fotUn xIrk % ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

Jh fotUn xIrk % ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % इस ढंग की कोई घटना नहीं हुई।

Jh fotUn xIrk % ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हाऊस को चलने दीजिये।

Jh fotsUnz xqIrk % ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % नहीं शिकायत की छोड़ दीजिये। कोई शिकायत नहीं है। जब मैं खुद कह रहा हूं कि मैं वहां खड़ा था। विजेन्द्र जी, जब मैं वहां खड़ा था।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, मेरी बात एक बार सुन लीजिये। इस ढंग से सदन को अगर हाईजैक करेंगे। आपका नोटिस अभी ला के दिया। सुन लीजिये बात को ऐसे नहीं। आपका सीसीटीवी कैमरे पर है।

Jh fotsUnz xqIrk % मेरा सीसीटीवी कैमरे पर 280 है?

v/;{k egkn; % भाई साहब, कॉलिंग अटैन्शन आप देख लीजिये। साईन किये हुए हैं। मैंने देख लिया। भाई साहब जगदीश प्रधान जी का है, आपका नहीं है। नहीं ऐसे नहीं एक ही बात कैसे है, ये ऐसे थोड़े ही चलेगा। एक तो आपका कॉलिंग अटैन्शन नहीं है, कॉलिंग अटैन्शन जगदीश जी का ...(व्यवधान) तो फिर तो ऐसे ही हो जायेगा। फिर तो इसी ढंग से चलेगा। ...(व्यवधान) मेरा बात सुनिये, एक सैकिण्ड ...(व्यवधान) विजेन्द्र जी, अगर पत्रकार के साथ ...(व्यवधान) ऐसे मत बोलिये,

Jh fotsUnz xqIrk % कॉलिंग अटैन्शन हमने दिया है।

v/;{k egkn; % कॉलिंग अटैन्शन नियम 54 में आपके सीसीटीवी कैमरे का आया है। जगदीश जी का है, वो बात करेंगे आप बेठिये। आप बैठिये पहले।

Jh fotUnz xqIrk % मैं क्यों बैठूं?

v/;{k egkn; % नहीं, तो क्यों नहीं बैठेंगे? आप बैठेंगे ही नहीं?

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % नहीं, मैं कहां कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कॉलिंग अटैन्शन जगदीश जी का है, वो बात करें। आपका नहीं है और मैंने आज सब के रोके हैं, कॉलिंग अटैन्शन सात आये हुए हैं। जगदीश जी मैं एक बात कह रहा हूं जिस पत्रकार के साथ ऐसा हुआ है विधानसभा के प्रांगण में, मैं अध यक्ष हूं। मुझे लिख कर दें। मैं बात करूंगा। आप ही सब कुछ हो गये क्या?

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % मामला उठा है, वो मुझे लिखकर दे पत्रकार। ऐसे नहीं चलेगा। हां, पत्रकार मुझे लिखकर दे कि मेरे ऊपर हुआ है।

Jh fotUnz xqIrk % पत्रकार मुझे बोलकर गया है।

v/;{k egkn; % अरे! अध्यक्ष मैं हूं, विधानसभा का अध्यक्ष मैं हूं। विधानसभा के परिसर में। मुझे लिखकर दें। बैठिये आप।

Jh fotUn xIrk % ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, ये तरीका ठीक नहीं है

v/;{k egkn; % कोई बात नहीं।

Jh fotUn xIrk % ***[1]

v/;{k egkn; % बिजेन्द्र जी पहले तो आपने इजाजत नहीं ली बोलने की। विजेन्द्र जी, मैं बार–बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। विजेन्द्र जी, मैं रिकवेस्ट कर रहा हूं। आप बैठ जायें, आप बैठ जायें। यह सारा जो विजेन्द्र जी बोल रहे हैं, रिकार्ड से बाहर कर दें।

Jh fotUn xIrk % ***[1]

v/;{k egkn; % लोकसभा चलने नहीं दी जा रही, उसी ढंग से आप यहां प्रयास कर रहे हैं। कोई नियम के तहत आप काम नहीं कर रहे हैं, बिना नियम के काम कर रहे हैं। आप बिना नियम के काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...मैं कह रहा हूं अगर किसी के साथ घटना हुई है, मुझे लिखकर दें। इससे ज्यादा और क्या कहूंगा...(व्यवधान)...मेरे पास लिखकर आया, मैं सदन में रखूंगा। पोलिटिकल विषय मत बनाइये उसको। पोलिटिकल विषय मत बनाइये। अगर किसी पत्रकार के साथ, पत्रकार सामने खड़े हैं, एक सेकेण्ड रुक जाइये ...(व्यवधान)...मैं पत्रकारों से प्रार्थना कर रहा हूं जिस पत्रकार के साथ, जो विजेन्द्र जी बोल रहे है, हुआ हैं। वो मुझे लिखकर देंगे।...(व्यवधान)...मैं कुछ नहीं सुन रहा इसके बारे में, अब मैं कुछ नहीं सुन रहा। मैंने जगदीश प्रधान जी के.

***[1] चिन्हित अंश माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

..(व्यवधान)...एक तो विजेन्द्र मेरी बात सुन लीजिये, ये समय खराब हो रहा है सदन का। वहां जो भी घटना हुई है, जिस भी पत्रकार के साथ हुई है, आप उस पर पोलिटिकल भाषण दे रहे हैं। राजनीति भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल आप नीची आवाज करके बात करिये।...(व्यवधान)...आपने देखा नहीं है मैं खुद वहां खड़ा था...(व्यवधान)...नितिन जी, आप मत बोलिये प्लीज। कोई नहीं बोलेगा। आप बैठ जाइये पुष्कर जी। पुष्कर जी बैठ जाइये। कुछ नहीं सोमदत्त जी, आप बैठिये प्लीज। आप बैठ जाइये पुष्कर जी, बैठ जाइये, मैं सब जान रहा हूं क्या राजनीति हो रही है। आप बैठ जाइये। अभी नियम 280 चलेगा पहले और कुछ नहीं चलेगा। पहले केवल नियम 280 चलेगा कुछ नहीं चलेगा, बैठ जाइये। हां बैठ जाइये, मैंने कहा है, बैठ जाइये। मैंने कहा है। मैं आपसे बार–बार कह रहा हूं बैठ जाइये। मैं फिर कह रहा हूं बैठ जाइये। व्यवस्था दी है मैंने।

Jh fotUn: xIrk % यहां तो मंत्री एक भी नहीं है।

v/;{k egkn; % ऐसा उससे क्या लेना देना है?

Jh fotUn: xIrk % कौन सुनेगा?

v/;{k egkn; % 280?

Jh fotUn: xIrk % हां।

v/;{k egkn; % वो जवाब आयेगा उसका लिखित में।

Jh fotUn: xIrk % अध्यक्ष जी, हम किसको सुनायेंगे?

v/;{k egksn; % किसको, कोई बात नहीं। मैं सुन रहा हूं। ...(व्यवधान)...ऐसा है मैंने निर्णय दिया हुआ है नियम 280 का संबंधित मंत्री जवाब देंगे। सरकार के संबंधित अधिकारी जवाब देंगे।

Jh fotsUnz xqIrk % हम किसको सुनायेंगे?

कोई सुनने वाला तो होना चाहिये।

v/;{k egksn; % कोई बात नहीं।

Jh fotsUnz xqIrk % एक भी मंत्री नहीं है। नियम 280 हो रहा है। पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है कोई जवाब देने नहीं को तैयार नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % जनरैल सिंह जी (तिलक नगर)

Jh tujSy flag ¼तिलक नगर½ % नियम 280 के अंतर्गत अपने क्षेत्र की समस्या सदन के समक्ष रखने का समय देने के लिये धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ये जो आज का मैटर है ये मैं पर्यावरण मंत्री जी से डिस्कस कर चुका हूं। मैंने कल एक मैटर लगाया था जो मेरा नंबर ना आने की वजह से बोल नहीं पाया, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं।

v/;{k egksn; % देखिये, एक तो मैं यह कह रहा हूं, 280 में जितना

लिख के दिया हुआ है उतना ही पढ़ने की इजाजत है।

Jh tujSy flag ¼तिलक नगर½ % मैं सिर्फ इस चीज की इजाजत चाहता हूं कि ये मैटर मैं कल पर्यावरण मंत्री जी से डिस्कस कर चुका हूं।

v/;{k egksn; % फिर छोड़ दीजिये।

Jh tujSy flag ¼तिलक नगर½ % अध्यक्ष जी, इससे गंभीर मैटर है जिसका नंबर नहीं आया था। बहुत सीरियस मैटर है। एक मिनट लगेगा सर जी।

v/;{k egksn; % नहीं प्लीज, बिल्कुल नहीं अलाऊ करूंगा।

Jh tujSy flag ¼तिलक नगर½ % अध्यक्ष जी, बहुत सीरियस मैटर है, एक मिनट के अंदर मेरी बात समाप्त हो जायेगी।

v/;{k egksn; % नहीं कोई भी सीरियस मैटर नहीं। बैठ जाइये प्लीज।

Jh tujSy flag ¼तिलक नगर½ % धन्यवाद।

v/;{k egksn; % तोमर जी।

Jh ftrsUnz flag rkej % माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 280 के तहत मेरी त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के मामले को यहां पर रखने के लिये अनुमति प्रदान करने के लिये आपका धन्यवाद। मेरे त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में एक कोहाट वार्ड है जिसके अंदर ज्यादातर सोसाइटीज हैं चाहे वह ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं

और हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज हैं। अध्यक्ष जी, जो मुझसे पूर्व विधायक थे उन्होंने पिछली बार विधायक फंड से पैसे दिये थे सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिये और एक सोसाइटी है वहां पर महाराणा प्रताप एन्कलेव। इसमें कैमरे लगे भी थे, उसकी क्वालिटी बहुत ही निम्न स्तर की क्वालिटी थी, उसको मैं नहीं कह रहा हूं वहां की तमाम आर.डब्ल्यू और वहां के रेजीडेंस ने आकर मुझे शिकायत की मेरे विधायक बनने के बाद कि जो अभी दो इलेक्शन से शायद दो एक महीने पहले लगे थे वो कैमरे, उसकी रिकार्डिंग बहुत धुंधली या कलैरिटी बिल्कुल नहीं है उसके अंदर कुछ नजर नहीं आता है। ऐसे ही मुझे पता लगा कि जो मुझसे पूर्व थे विधायक जी उन्होंने विधायक फंड दिया था अब नौ महीने के बाद अभी कुछ सोसाइटीज में वायरिंग चल रही है, मैं वहां से विधायक हूं। परंपरा भी है और कानून भी है कोई भी काम जो पिछला है जो विधायक है, उसकी संज्ञान में हो, उसको पता हो क्या काम चल रहा है क्या उसकी क्वालिटी है? अब चुपचाप से वो कंपनी जो नौ महीने से कंपनी गायब थी, मुझे किसी ने बताया नहीं, कोई पूछा नहीं गया। कोई मेरी नोटिस नहीं है अब हर्ष विहार, सम्राट इन्कलेव, राजनगर जो सोसाइटीज हैं, इनके अंदर वायरिंग शुरू हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो विधायक फंड का पैसा है, ये सरकार के खून पसीने का पैसा होता है, उसे वो कंपनी चोरी–चोरी क्यों लगाना चाह रही है वो उस घटिया क्वालिटी के कैमरे? ये मैं जानना चाहता हूं। ये जो पैसे दिये गये विधायक फंड से, किस डिपार्टमेंट के माध्यम से दिये गये? पीडब्ल्यूडी के माध्यम से दिये गये या डीएसआईडीसी के माध्यम से दिये गये या किसी और डिपार्टमेंट के माध्यम से दिये गये? उसका पूरी जांच कराई जाये। मुझे

भी उसके बारे में बताया जाये कि कितने पैसे विधायक जी ने दिये थे, कौन–कौन सी सोसाइटीज ने कैमरे लगाने के लिये दिये थे और उनकी गुणवत्ता क्या है उनकी क्वालिटी क्या है आखिर ये कंपनी चोरी–चोरी कैमरे क्यों लगाना चाहती है? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, सरकार से ये जानना चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच कराये और विधायक को दिये गये पैसे किस डिपार्टमेंट के माध्यम से दिये गये, कितने दिये गये कौन सी क्वालिटी के कैमरे लगे हैं पहले और अब कौन से लगाये जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह महाराणा प्रताप इन्कलेव में बहुत घटिया क्वालिटी के जो कैमरे वहां पर लग गये हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता के इस पैसे से वैसे ही घटिया क्वालिटी के कैमरे बाकी सोसाइटीज में लग जायें और लोगों के पैसे का गलत इस्तेमाल हो जाये। मुझे अध्यक्ष जी, पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई कमिशन का लेन देन हुआ है कोई इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच कराई जाये और तब तक इन कैमरों पर रोक लगाई जाये। पता लगाया जाये वह कौन कंपनी है जो चोरी–चोरी वहां कैमरे लगाना चाहती है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री सोमदत्त जी।

Jh lkenÙk % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, नियम 280 के तहत आपने सवाल रखने की अनुमति दी। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा सदर बाजार में राशन दुकानदारों ने बहुत भयंकर तरीके से आतंक मचाया हुआ है। इसका एक उदाहरण

मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार शनिवार की रात को राशन दुकानदार के पास राशन आया और सन्डे को उसने बारह बजे तक सारा राशन रिकार्ड में खत्म दिखला दिया। बारह बजे सभी लोग उसकी दुकान पर राशन लेने आये तो उसने बोला राशन खत्म हो गया। शनिवार रात को उसके पास डिलीवरी हुई थी सन्डे को बारह बजे तक राशन कैसे खत्म हो सकता है? मैं मौके पर पहुंचा, छुटटी वाला दिन था, सन्डे का दिन और राशन इंस्पेक्टर को फोन करके मौके पर बुलाया, उसके रिकार्ड चैक किये, रिकार्ड में कोई राशन अवेलेबल नहीं, उसकी दुकान पर कोई राशन मौजूद नहीं था ऐसा लगता था रात–रात में ही सारा राशन उसने वहां से शिफट कर दिया। उसके बावजूद हमने उससे पूछा परन्तु किसी सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसने ये बताया कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी पुरानी सैटिंगें चली आ रही है जो मर्जी लिख के भेज दो, सील कर दो, सील खुल जायेगी। इस तरीके से दो या तीन दुकानदारों ने एसीसटेंट कमीशनर का बाकायदा नाम लिया उन्होंने बताया कि उनसे उनकी बड़ी पुरानी सैटिंगें चल रही हैं। ये सब तो चलता रहेगा ऐसे ही हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है वह व्यक्ति उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिये जो गरीब आदमियों का राशन, उनका अधिकार मार रहा है और उस राशन की ब्लैक कर रहा है। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % एफ.पी.एस. नम्बर दीजिए।

Jh lkenRr % अभी दे दूंगा जी।

Jh tujSy flag ¼तिलक नगर**½ %** अध्यक्ष जी, मेरी सूचना के बिना ही सवाल काटा गया है। मेरी गलती नहीं है मेरी सूचना के बिना ही सवाल चेंज

कर दिया गया है जो सवाल मैंने दो तारीख को लगाया था।

v/;{k egkn; % बोलिये, बोलिये।

Jh tujsy flag ¼तिलक नगर½ % अध्यक्ष जी, पूरी दिल्ली के अंदर डीयूएसआईबी द्वारा पिछले दो दशक पहले 1990 से 2000 के बीच में काफी सारे फ्लैटस इकॉनॉमिकली वीकर सैक्शन के लोगों को आवंटित किये गये थे। उन फ्लैटस में कई सारी कालोनीज में मेरी विधानसभा के अंदर भी हैं और उनका सबका बकाया है डिपार्टमेंट का कि फ्लैटस की पेमेंट नहीं हुई किसी को अभी तक, फ्री होल्ड नहीं हुआ फलैट। सबका जितना मूल था, उतना ही ब्याज हो चुका है। कई केसिस में उससे ज्यादा भी ब्याज हो चुका है। मैं यह कहना चाहूंगा कि डीयूएसआईबी की तरफ से इन सब फलैट होल्डर्स को नोटिस भेजे जा रहे हैं फलैट सील करने के, सरकार की तरफ से इसके पहले कोशिश हुई है डेट ऑफ इन्टरेस्ट जो 24 परसेंट था उसको घटा के 12 परसेंट किया, फिर सात परसेंट किया, जो लोग इन फलैटस के अंदर रहते हैं, वे काफी गरीब लोग हैं कोई वीकर सेक्शन में, आप समझ सकते हैं अध्यक्ष जी किस टाईप के लोग रहते हैं, वो अभी भी ये एमाउंट भरने के लिये सक्षम नहीं हैं। मैं उन सब फलैट होल्डर्स की बिहाफ पर ये कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट एक तो नोटिस तो भेजें उनको होल्ड करें और फिर से कोई नेगोसिएशन का अरेंजमेंट किया जाये डिपार्टमेंट और उन फलैट होल्डर्स के बीच में मीटिंग कराई जाये और रेट ऑफ इन्टरेस्ट अगर हो सके तो वेव ऑफ करके और जो मूल पेमेंट है, सारे फलैट होल्डर देने को तैयार हैं, उसके लिये कोई इजी पेमेंट देने का तरीका बनाया जाये ताकि उन सबको सम्मान से जीने का, अपने मकान की

रजिस्ट्री कराने का हक मिल सके।

v/;{k egkn; % श्री हजारी लाल जी।

Jh gtkjh yky % अध्यक्ष महोदय, नियम 280 के अर्न्तगत आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में पानी वितरण की समस्याओं के सुधार के लिये दो यूजीआर बनाने के लिये मैंने निवेदन किया था। काफी समय हो चुका है, अभी तक इस कार्य की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ही इस विषय में कोई कार्रवाई हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य को कितना समय लगेगा और कब तक यह कार्य पूर्ण हो सकेगा जिससे मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो सके और लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, दिल्ली के अन्दर सरकार ने जनता से एक वायदा किया था और वो वायदा है दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाये जायेंगे। जब हम लोग चुनकर आये तो हमारे मन में था कि इस अति महत्वाकांक्षी योजना पर हम काम करें और हमसे ज्यादा जनता के मन में था कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि क्षेत्र के लिये ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे का अरेन्जमैन्ट करके देगा। कई बार मंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे और पत्र लिखने के बाद यह मांग की गई, याद दिलाया गया। मैं मानता हूं कि सिर्फ मैंने ही नहीं, बाकी विधायकों ने भी जरूर इसका संज्ञान लिया होगा। क्योंकि जब लोग आते हैं और इस बात को कहते हैं तो सरकार ने

एक व्यवस्था दी कि जिसको कैमरे लगवाने हैं, वो एमएलए लैड से, विधायक कोष से कैमरे लगवा सकता है। हमने कैमरे लगवाने के लिये उन आदेशों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी। जहां भी जाते थे, सवाल उठता था, हमने उसकी सूची बनानी शुरू कर दी, सूची बना ली गई और सरकार की तरफ से कोई ऐजेन्सी भी आई। हमें सरकार का जो पूरा प्रोसैस था, वो समझ में नहीं आया। लेकिन बावजूद इसके चूंकि अब सरकार में कोई एक पीएसयूस फर्म जो है, उसको अरेन्ज किया है और उनके माध्यम से यह कैमरे लगेंगे। उन्होंने क्षेत्रों में सर्वे करने शुरू कर दिये। लोगों ने आकर हमारा धन्यवाद कर दिया। हमने भी लोगों के बीच में जाकर यह कहा कि देखो आपने कहा और हमने काम शुरू करवा दिया और जब यह प्रोसेस पहले तो शुरू नहीं हुआ था पहले छः आठ महीने, छः महीने के बाद जब शुरू हुआ तो उसके बाद फिर वो मैच्योर नहीं हुआ। फिर सुनने को मिला अब इस मामले को डूडा देखेगी, डीएम देखेंगे। विधायक कोष से कैमरे लगवाने के लिये हमने अपना निवेदन भी आगे भेज दिया और अब 10 महीने बीतने के बाद समझ में आ रहा है कि एक भी कैमरा दिल्ली की सड़कों पर, मैं नहीं समझता कि इस योजना के तहत हमें सफलता मिली होगी कि हम कैमरा लगवा सकें। आज इस 280 के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध यह करते हैं कि इस योजना पर सरकार का क्या व्यू है? क्या सरकार सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिये अपने किये हुए वादे पर अडिग है या उससे भटक रही है? अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम यह भी जानना चाहेंगे कि आपसी ताल–मेल से चीजें आगे बढ़ती हैं। एक सौ पच्चीस करोड़ रुपया भारत की सरकार ने बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिये दिल्ली की सरकार को

दिया है। क्योंकि खुद दिल्ली की सरकार ने यह वादा किया था कि हम बसों में सीसीटीवी कैमरा लगायेंगे। दस महीने तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। केन्द्र सरकार ने पैसा दिया 125 करोड़ रूपया। मुझे उम्मीद है कि सरकार उसको जरूर व्यवहारिक करेगी। केन्द्र से पैसा लेकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी। मैं आपसे अन्त में इतना कहूंगा कि यह जो सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला है, यह दिल्ली की जनता सवाल कर रही है। आज भी जो प्रक्रिया एडाप्ट की गई है, मुझे नहीं लगता और 6–8 महीने भी इस प्रक्रिया से कोई काम सम्भव हो पायेगा और अगर इस प्रक्रिया से कोई उम्मीद की जा सकती है तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस मामले पर जरूर प्रकाश डालें क्योंकि अगर आप इस पर प्रकाश नहीं डालेंगे तो इस मामले में आज मैंने एक कॉलिंग अटैन्शन भी इसलिये लगाया था कि कॉलिंग अटैन्शन के माध्यम से सरकार तैयारी के साथ इस विषय पर आये लेकिन कॉलिंग अटैन्शन एक्सेप्ट नहीं हुआ है और अगर बिना तैयारी के भी सरकार इसमें कोई व्यूज दे सकती है तो हमें अच्छा लगेगा, दिल्ली के लोगों को जानकारी मिलेगी। जो लोग उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न विपक्ष ही उठा सकता है। सरकार से कभी उम्मीद नहीं हो सकती कि वो इस तरह के प्रश्न उठाए, जिसपर सरकार को एम्ब्रेसमैन्ट हो। लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि विपक्ष के प्रश्नों का अकसर सरकार ने आदर और सम्मान किया है, कल भी सम्मान किया था। हमारे प्रश्न जरूर कई बार तकलीफ देने वाले होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर वो दिल्ली के हित में होगा। जरूर इसमें हम कन्स्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में आपसे जानना चाहेंगे। उसमें अगर हमसे कोई सहयोग आपको चाहिए तो हम सहयोग भी करने के लिये तैयार हैं। उसमें मिलकर जो अड़चनें

आ रही हैं तो उसको दूर करने के लिये भी तैयार हैं। सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए हम यह बात नहीं कह रहे हैं। क्या हल हो सकता है? अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं। अगर इस पर मंत्री जी प्रकाश डालेंगे तो मुझे लगता है, बहुत ही अच्छा रहेगा।

v/;{k egkn; % जगदीश प्रधान जी।

Jh txnh'k i/kku % धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिल्ली में सरकार बनने से पहले जो वायदा किया गया था कि बिजली हाफ पानी माफ उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। आज दिल्ली में करीब 48 प्रतिशत लोग किरायेदार के रूप में रहते हैं। बिजली और पानी का कुछ सीमित लोगों तक फायदा हुआ, बाकी जो 48 प्रतिशत लोग किराये पर रहते हैं। छोटे–छोटे एक–एक कमरे में रहते हैं, उनको पानी का, बिजली का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को जरूर मिला है। जो आदमी गरीब है, निर्धन है, जो एक कमरे में रहता है। पैसे वालों के पास तो छः आठ कमरे, ड्राईंग हॉल होगा, बाकी जो किरायेदार हैं; उनको बिजली का 8 से 12 रुपये यूनिट सबमीटर के द्वारा पे करना पड़ता है और पानी का भी उन गरीबों को 400 रुपये से लेकर 800 रुपये तक महीने का देना पड़ता है। कुछ लोग तो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से इतना अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें बतायें कि जो इस तरह से लोग बिजली और पानी के लाभ से वंचित रह गये हैं, उनको कब तक यह लाभ दिया जायेगा? धन्यवाद।

v/;{k egkn; % अनिल कुमार बाजपेयी जी।

Jh vfuy dqekj cktis;h % माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे नियम 280 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

मैं आपका ध्यान अपनी विधानसभा क्षेत्र के गांधीनगर में डीडीए के राणा प्रताप पार्क की तरफ दिलाना चाहता हूं। डीडीए का यहां बड़ा पार्क है और यहां सुविधाओं के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा पार्क है, उसके अन्दर स्पोटर्स का एक बढ़िया स्टेडियम बन सकता है। एक अच्छा ग्राउन्ड बन सकता है। लेकिन आज तक वहां पर सुविधायें नहीं हैं। चारों तरफ बाउन्ड्री वाल सारी टूटी हुई है। उसके अन्दर कॉमर्शियल गाड़ियां जो खड़ी रहती हैं। रात को उस पार्क के अन्दर रेहड़ी–पटरी वाले जो लोग हैं, उन्होंने उसके अन्दर पूरा एन्क्रोचमैन्ट किया हुआ है। मैंने डीडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर मंत्री जी के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी उस पार्क में आयोजित किया था। उस समय डीडीए के अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया था कि दो महीने के अन्दर इस पार्क की व्यवस्था सुधार दी जायेगी। लेकिन आज भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं सुधारी गई और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी जगह आस–पास की विधानसभाओं में नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो डीडीए के बड़े अधिकारी हैं और मेरे क्षेत्र में कोई बड़ा पार्क नहीं है, और लोगों की व्यक्तिगत भावना है और लोगों की व्यक्तिगत भावना से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं और यह आपकी विशेष कृपा होगी। अगर डीडीए के अधिकारियों को बुलाकर

व्यक्तिगत रूप से और वहां की जनता के लिये यह कार्य हो जाये तो मैं आपका व्यक्तिगत रूप से भी आभारी रहूंगा। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % राजू धींगान जी।

Jh jkt /khxku % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, नियम 280 के तहत आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय मेरी विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत यूपी सिंचाई विभाग का हिस्सा आता है। बड़े आश्चर्य की बात है जो यमुना नदी या हिण्डन केनाल बहती है दिल्ली में, उसका ज्यादातर हिस्सा यूपी सिंचाई विभाग का कहलाता है। कौन सा कानून है, किस वजह से वो यूपी का कहलाता है जबकि जमीन वो दिल्ली की है। इसकी वजह से जो लोगों की मांग है कि वहां शमशान घाट बनवायें, रोड बनवायें या जो छठ घाट हैं, उनके लिये घाट बनवायें तो वो हम बनवा नहीं सकते। अगर हमें यह सारे विकास के कार्य करने हैं तो या तो सिंचाई विभाग से हमको एनओसी लेनी पड़ेगी अन्यथा दस गुना पैसा सिंचाई विभाग, उत्तरप्रदेश को हमें देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अगर दस गुना पैसा देना पड़े तो दिल्ली की जनता का पैसा है, जिसकी मैं समझता हूं कि बहुत हानि होगी। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इस संबंध में यदि कोई कानून है, इस संबंध में कोई प्रस्ताव लाने की आवश्यकता है तो उसके बारे में हमें अवगत करायें या केन्द्र के बारे में सिंचाई मंत्री, नदी मंत्री, जल मंत्री जो भी हैं, उनको अगर लिखित में कुछ दिया जा सकता है तो वो लिखित में उनको दें और उनकी अनुमति हो यदि ऐसा है तो वो अनुमति मिले जिससे निर्बाध रूप से

इस हिस्से पर कार्य करवा सकें। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

v/;{k egkn; % गिरीश सोनी जी।

Jh fxjh'k lkuh % अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका। आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया। लेकिन मेरे पास कुछ और भी महत्वपूर्ण विषय थे लेकिन इत्तेफाक से कल मेरा नम्बर नहीं आ पाया था तो क्या मैं इस विषय को चेंज कर सकता हूं जो विषय मैंने दिया है, इस विषय को चेंज करके क्योंकि शिक्षा का विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है तो मंत्री साहब को लिख कर दे दूंगा।

v/;{k egkn; % अभी आप लिख कर लाये हैं?

Jh fxjh'k lkuh % मुझे वैसे जुबानी ही याद है।

v/;{k egkn; % बोलिये।

Jh fxjh'k lkuh % अध्यक्ष जी, ऐसा है कि 102 नम्बर वार्ड रघुवीर नगर का एरिया है, इसमें 12वीं तक का कोई स्कूल नहीं है। 10वीं तक का स्कूल है मतलब 80,000 आबादी वाले क्षेत्र में गर्वनमेंट का कोई 12वीं तक का स्कूल नहीं है। 2011–12 में एक स्कूल बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, करीब 11–12 करोड़ रुपये की लागत से। वो पता नहीं क्यों पेन्डिंग में पड़ा हुआ है और दूसरा एक स्कूल वहां सैकिण्ड फेस पर है, उसकी हालत बहुत जर्जर हालत है, मैं खुद वहां पर जाकर देखकर आया था। प्रिंसीपल का यह कहना है कि उसको बारहवीं तक कर दिया जाये। इसकी वजह से जो क्षेत्र के लोग

इतने परेशान हैं, खास तौर पर महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा और महिलाओं की हम बात करते हैं, वहां पर लोग लड़कियों को दसवीं के बाद पढ़ाते ही नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वालों की आय, इन्कम इतनी कम होती है कि वह दूसरे क्षेत्र में अपनी लड़कियों को, एक तो लड़कियों का मामला होता है, दूसरे क्षेत्र में भेज नहीं पाते। दूसरे वार्ड में जैसे भेजना होता है। जैसे 104 वार्ड में स्कूल है वह लगभग–लगभग दो से चार किलोमीटर दूर बैठता है। तो इतनी दूर वह अपने बच्चों को नहीं भेज सकते और साथ ही खासकर लड़कियां, लड़के फिर भी अपना एडमीशन करा लेते हैं, लड़कियों को अकसर वहां पढ़ाया ही नहीं जाता। उनको दसवीं के बाद बिठा लिया जाता है। यह बहुत बड़ा सच है जब मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की और मेरे पास काफी मां–बहनें जो भी आई हैं, उन्होंने मेरे से जो कहा है। बहुत रिक्वेस्ट की और मैं यह समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इतने वर्षों से ऐसा वहां क्यों हुआ कि 12वीं तक का स्कूल उस वार्ड में नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री श्री मनीश सिसोदिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी से अपने संज्ञान में लें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शिक्षा का है। धान्यवाद अध्यक्ष जी।

v/;{k egkn; % आज गिरीश सोनी जी का भी जन्मदिन है। एक बार सब बधाई दे दें।

Jh fxjh'k lksuh % धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे याद दिलाया।... नहीं,

मैं इसका कारण बता रहा हूं। इसका कारण यह है कि आज से कोई 31 वर्ष पहले यूनियन कार्बाइड से भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी तो वो आज ही के दिन हुई थी तो इसकी वजह से मैंने अपना बर्थडे मनाना ही बन्द कर दिया था उस दिन से। मैंने सोचा था बाकी मेरा बर्थडे मेरे बच्चे मनाते हैं, जो मर्जी मनाते हैं। लेकिन उसी दिन से मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता हूं। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % भावना जी, क्या बात है, आपका नम्बर डेली आ जाता है। चलिये बोलिये। बोलिये आज।

l|Jh Hkkouk xkM+ % सर, मैं नहीं जानती ये तो।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % वो मैं विचार कर रहा हूं। अगले सैशन में कुछ न कुछ चेंज ले आयें। ताकि सब सदस्यों को बोलने का मौका मिले। वैसे मैं बात कर लेता हूं। एक सैकिण्ड भावना जी। यह विषय उठा है ताकि सब सदस्यों को कम से कम एक सत्र में नियम 280 पर बोलने का अवसर मिल जाये। मेरा विचार था कि दस या बारह सात दिन का सत्र है तो दस डेली ले लिये जायें और बारह दिन का सत्र है तो तेरह डेली लिये जायें या एक से दस फिर ग्यारह से बीस उसमें यह लाटरी सिस्टम बन्द हो जायेगा और एक समस्या के अतिरिक्त एक समस्या और उठाने की, दो समस्या उठाने की इजाजत उसमें दे दी जायेगी। यहां नेता विपक्ष बैठे नहीं हैं, आप सहमत हैं इस चीज से तो अगले सदन में

mi e|[;e=h % क्योंकि पक्ष–विपक्ष दोनों को कई सदस्यों को भी कई

अर्जेन्ट मुद्दे उठाने होते हैं, इसका कोई फार्मूला ताकि वो संभावनायें भी बनी रहें कि कोई अर्जेन्ट मुद्दे कैसे उठाये जायें और अधिकतर सदस्यों की बारी भी उस सत्र में आ जाये तो कोई एक माडरेट फार्मूला क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ लाटरी बेस्ड है अगर सिर्फ फार्मूला बेस्ड कर देंगे कि एक सदस्य कम से कम एक बार बोल ले और वो भी एक स्क्स्ट्रीम हो जायेगा। उसमें कुछ अच्छा व्यवहारिक नेता विपक्ष के साथ मिलकर हो जायेगा।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % एक से दस तक डेली आने वाले भी नहीं हैं। फिर ग्यारह से बीस डेली आने वाले भी नहीं हैं। उनमें जो दो–तीन गैप पड़ेंगे जिनका मोस्ट अर्जेन्ट होगा वो विचार किया था। प्रसन्ना जी ने बोला था कि हम उनको उसमें लगाकर रखेंगे। सोनी जी, अभी नहीं।

Jh fxjh'k lkuh % एक मिनट। दो मिनट आप सुन लीजिये। यही विचार मैं रखने वाला था क्योंकि मैंने समस्या चेंज की। आप प्लीज समय दें।

v/;{k egkn; % सोनी, जी देरी न करें। आपके सुझाव हैं तो मुझे लिख कर दे दें। सोनी जी, बात को समझिये। आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप बैठ जाइये सोनी जी। बैठिये। प्लीज बैठिये। अध्यक्ष महोदय, भावना गौड़ जी।

lqJh Hkkouk xkSM+ % अध्यक्ष महोदय, कल एक माननीय सदस्य ने ये प्रश्न किया था तो आपने कहा था कि ये नियम 280 में जो भी कुछ आता है, वो लाटरी से आता है तो मेरा नाम कैसे रोज आ रहा है, इसका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी आपको।....

v/;{k egkn; % चलिए बोलिए, थोड़ा बोलिए।

lqJh Hkkouk xkSM+ % अध्यक्ष महोदय, नियम 280 के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों जैसे बेलदार आदि की संख्या में काफी मात्रा में विशेषकर सीवर क्षेत्र में कमी हुई है। सीवरेज लाईनों का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण इसका रख–रखाव करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने प्रत्येक विधान सभा में 10 सीवर बेलदार ठेके पर रखने का प्रावधान किया है। यहां भी विसंगतियां हैं। पालम विधान सभा क्षेत्र में जहां दिल्ली जल बोर्ड की अपनी सीवर लाईन ही लगभग 90 किलोमीटर से अधिक है, वहां केवल 6 बेलदार लगाए गए हैं जो नाकाफी है। सीवर बेलदारों की संख्या, सीवर लाईनों की लंबाई को ध्यान में रखकर के की जानी चाहिए। ऐसा कोई नियम भी पहले ही बना हुआ है ताकि इसकी नियमित सफाई करवाई जा सके। इन विसंगतियों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, धन्यवाद।

,u-th-vks- ifjlj fdjk;s ij nsus ij /;kukd"kZ.k

Jh vfuy dqekj cktis;h % मेरा एक बहुत इंपोर्टेंट क्वचन है, सर। भ्रष्टाचार के खिलाफ है...

v/;{k egkn; % बाजपेयी जी मुझे एक बार बिजनस से चल लेने दीजिए, प्लीज।...(व्यवधान)...बाजपेयी जी बैठिए, प्लीज। बाजपेयी जी, एक बार मुझे ...(व्यवधान)...

Jh vfuy dqekj cktis;h % सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक मिनट

के लिए...

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % आज के विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं बार–बार कह रहा हूं...

Jh vfuy dqekj cktis;h % ये भी बहुत जरूरी है, सर ये। आज जो मैं लेकर आया हूं। सर ये बहुत जरूरी प्रश्न है। अगर आज ये दब गया तो दिल्ली के लोगों की आवाज दब जाएगी, सर। एक मिनट सर, मेरी रिक्वेस्ट है...

v/;{k egkn; % जल्दी करिए, जल्दी करिए। बाकी सदस्य बैठ जाएं ...(व्यवधान)... जल्दी करिए, प्लीज।

Jh vfuy dqekj cktis;h % माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बड़े महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। आज से पूर्व सरकारों ने एनजीओ के नाम पर, चाहे वो बस्ती विकास केन्द्र हो या कोई सरकारी जगह हो, एनजीओज को जगह एलाट कर दी और उन एनजीओज ने आज तक दिल्ली सरकार का बकाया रुपया नहीं दिया। कई मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण मामला तो आपके विधान सभा का है जो आज मैं लेकर आया हूं। ये देख लीजिए, ये पूर्व विधायक के ऊपर, एनजीओ पर 13 लाख रुपए बकाया है। ये जितेन्द्र सिंह शंटी जी है जो भाजपा के पूर्व विधायक थे साहब। ये और मैं बताना चाहता हूं, सर ये...(व्यवधान)...नहीं, नहीं गुप्ता जी ये देखिए,

गुप्ता जी प्लीज, मुझे बोलने दीजिए...

v/;{k egkn; % मैं देख रहा हूं। ये जरा ले लीजिए, एक बार ले लीजिए। भई एक सैकेंड, मैं मंगा रहा हूं। बाजपेयी जी क्या है? ये मुझे दीजिए। ...(व्यवधान)...नहीं अगर कोई, आफिशियल या आर्डर, अखबार से नहीं, मैं अखबार में क्या छपा है, उसको नहीं।

Jh vfuy dqekj cktis;h % सर, एक मिनट, ये...

v/;{k egkn; % हां, आफिशियल लैटर दीजिए। कोई आफिशल, गर्वमेंट का लैटर है, अखबार से छपा हुआ नहीं...

Jh vfuy dqekj cktis;h % मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं, सर।...

v/;{k egkn; % नहीं, मेरे को दे दीजिए। ये मेरे पास भेज दीजिए, एक बार। मैं पढ़ने की इजाजत तब दूंगा, मैं देख लूं।

Jh vfuy dqekj cktis;h % एक मिनट देख लीजिए।

v/;{k egkn; % लीजिए, एक बार। विजेन्द्र जी, दो मिनट बैठिए। कोई ऑथैन्टिक चीज है?

Jh vfuy dqekj cktis;h % एक बार पढ़ लीजिए, इसको आप।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % हां, मैं देख लेता हूं एक बार। दीजिए, जल्दी दीजिए। समय ना बर्बाद करें। एक सैकेंड भई कर्नल जी, प्लीज, कमांडो जी। पढ़िए आप।

Jh vfuy dqekj cktis;h % सर, 13,03,228 रुपए...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % ये गर्वमेंट का पैसा है।...

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % नहीं, ये सरकार का पैसा है तो कहां उठाएगा व्यक्ति? ...(व्यवधान).. देखो विजेन्द्र जी, ये भ्रष्टाचार का विषय है, ये छोटा–मोटा विषय नहीं है।...(व्यवधान)...

Jh vfuy dqekj cktis;h % गुप्ता जी, ये भ्रष्टाचार का मामला है...

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % नहीं, ऐसे नहीं। देखिए अगर विषय ठीक है ...(व्यवधान)...मैं व्यवस्था दे रहा हूं उस पर। मैंने दी है व्यवस्था। ...(व्यवधान)...मैंने आपके कहने पर, एक सैकेंड आपका विषय भ्रष्टाचार से जुड़ा नहीं था वो राजनीति से, नहीं बिल्कुल नहीं। आप पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, प्लीज, संक्षेप में।...(व्यवधान)...

Jh vfuy dqekj cktis;h % देखिए, सर 13,03,228 रुपए जितेन्द्र सिंह शंटी के ऊपर बकाया है और इसकी जांच कराई जाए, अध्यक्ष महोदय। उनकी पेंशन से पैसे काटे जाएं और जो सरकार ने, पूर्व सरकारों ने जिस तरीके से

इन एनजीओज को जगह एलाट की है और जिनका बकाया है, मेरी विधान सभा के अंदर गांधी नगर में एक एनजीओ को जगह दे दी गई। जो एक कांग्रेस के एक बहुत बड़े चहेते नेता है, उनके आदेश पर दे दी गई। आज भी जगह खाली कराने के लिए बीसयों बार मैंने उनको कहा है। आज तक वो ना जगह एलाट की गई, ना खाली कराई गई और न ही उसका पैसा वापस किया गया, सरकार का और ऐसा कितना सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए और जो भी एनजीओ के ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ करप्शन की जांच हो और उनको जेल भेजा जाए और जितेन्द्र सिंह शंटी इस सदन के, विधान सभा के भाजपा के सदस्य रहे हैं, साहब अगर वो पैसा ना दे, उनकी पेंशन से से उनका पैसा काटा जाए और यह मैं समझता हूं ...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % बैठिए, बैठिए।

Jh vfuy dqekj cktis;h % प्लीज सर, इसमें कार्रवाई कराइए, सर ये। उनके खिलाफ जांच कराइये...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % अभी बैठिए,

Jh vfuy dqekj cktis;h % इतना बड़ा ये खुलेआम है, सर ये देखिएगा।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % नहीं ये ही तो ध्यान ला रहे है।...(व्यवधान)...

Jh vfuy d|ekj ckti;h % ये राजनीतिक बात नहीं है सर, ये सरकारी आदेश है जो मैंने अध्यक्ष महोदय को दिया है, ये राजनीतिक बात नहीं है। ...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % बाजपेयी जी बैठिए, देखिए विजेन्द्र जी ऐसे नहीं ...(व्यवधान)...

Jh vfuy d|ekj ckti;h % हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं...

v/;{k egkn; % अनिल जी बैठिए आप। विजेन्द्र जी बैठिए, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए किसी कानून बनाने वालों की तरफ पैसा बाकी है, वो इस सदन पटल पर कोई चुना हुआ सदस्य नहीं उठाएगा, तो कहां उठाएगा? एक बात उन्होंने ये भी कहा है जितने भी एनजीओ हैं और उन्होंने पैसा नहीं दिया, आपने पूरी बात सुनी? बहुत गंभीर विषय है और वो कौन–कौन से ऐसे एनजीओज हैं जिन्होंने किराए पर लिए, पूर्व सरकारों के एमएलएज के रिकमण्डेशन पर दिए गए। उनके विरुद्ध पैसा नहीं आया है तो मैं समाज कल्याण मंत्री से प्रार्थना कर रहा हूं कि उन सब की जांच करवाई जाए। उनकी लिस्ट बनवाई जाए और उनके विरुद्ध तुरंत उचित कार्रवाई की जाए। उनसे खाली करवाया जाए, पैसा वसूल किया जाए। ये सरकारी पैसे का एक बहुत बड़ा दुरूपयोग है।...(व्यवधान)...मुझे एक चीज बता दीजिए, मैंने नाम नहीं कोट किया किसी का। वो मैंने देखा है, विजेन्द्र जी, मैं सिर्फ एक क्वैश्चन पूछ रहा हूं आपसे,

एक सैकेंड, भई अनिल जी आप दो मिनट रुक जाइये। मैं सिर्फ ये जानकारी ले रहा हूं कि जितने एनजीओज को पिछले विधायकों ने, किसी भी सरकार के रहे, उनकी रिकमंडेशनस पर कम्युनिटी हॉल या बस्ती विकास केन्द्र एलाट हुए है और उन्होंने पैसा नहीं दिया किराए का, क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?

Jh fotUn xIrk : कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है, नहीं होती। मैं उसके अलावा बात बता रहा हूं...

v/;{k egkn; : मैं पूछ रहा हूं, होनी चाहिए या नहीं?

Jh fotUn xIrk : अभी जो पिक एंड चूज हो रहा है, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं...

v/;{k egkn; : भई विजेन्द्र जी...

Jh fotUn xIrk : पिक एंड चूज हो रहा है तो सरकार को शूट नहीं कर रहा, मान लो, उनके सारे कागज पूरे होने के बाद भी, उनको खाली कराया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, डिमोलिश कराया जा रहा है। उनको तोड़ने के आदेश दिए जा रहे हैं, वो क्या है? उसकी भी जांच होनी चाहिए और मैडम मुस्करा रही है। मैं नाम नहीं लूंगा विधायक का।

v/;{k egkn; : विजेन्द्र जी, बैठिए, प्लीज, बैठिए।...

...(व्यवधान)...

Jherh cnuk dekjh % वहां जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के सिर पर ईंट गिर रही हैं उसको तुड़वाने के आदेश दिए गए हैं...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % आप लिखिकर दीजिए। अगर कोई जर्जर बिल्डिंग है...

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, जो जर्जर बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकती है, उसका लैण्ड यूज तो चेंज नहीं होगा।....

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % अनिल जी, बैठिए। कर्नल, जी दो मिनट रुकिये। दो मिनट बैठिए। दो मिनट बैठिए। अब नारायण दत्त शर्मा जी, सुश्री भावना गौड़ निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, ये सदन...(व्यवधान)...

fo/kku lHkk ifjlj e ifjogu e=h ij g, gey ij /;kukd"k.k ,o mi e[;e=h dk oDr0;

Jh ljUn flg % कल विधान सभा के बाद गोपाल राय जी के कमरे में पंकज पुष्कर जी ने कुछ गुंडे बाहर से बुलाकर इनके ऊपर हमला किया गया है, ये दिल्ली की जनता के ऊपर हमला है। दिल्ली की जनता के अधिकारों के पर हमला है और एक अगर हमारे मंत्री जी जो शारीरिक विकलांग है, उनके ऊपर हमला किया गया है, इसके लिए काफी...

...(व्यवधान)...

Jh fufru R;kxh % ये गुंडे बुलाते हैं, सर, हमला करवाते हैं। सर, ये

इस तरह की हरकतें पंकज जी कर रहे हैं। सर, ये साथी हैं, हम लोगों के, ऐसी चीजें आपको शोभा नहीं देती हैं...

...(व्यवधान)...

Jh fufru R;kxh % सर, वो पत्थर फेंक सकते हैं, किसी को चाकू मार सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं।...(व्यवधान)...सर, डर तो हम सबको है इनसे। सर, ऐसे आदमी को इस विधान सभा का मैम्बर नहीं रहना चाहिए, तुरंत प्रभाव से नहीं रहना चाहिए। सर, हम सबके ऊपर खतरा है, ये कुछ भी करवा सकते है यहां पर...(व्यवधान)...अंदर लोगों को बुलाकर, पास बनवा कर, लोगों को यहां बिठवाकर कुछ भी करवा सकते हैं। बहुत घटिया हरकत है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, कम है। आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए।...

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % बैठिए, बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। कृपया बैठ जाए। कृपया बैठें।...

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % मैं माननीय मंत्री जी से, ...(व्यवधान)...

dekaMks lqjsUnz flag % और चाहे उसमें विपक्ष के साथी हों या किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, विधान सभा के अंदर जो बात होती है उसके...

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % कर्नल जी बैठिए, प्लीज। अब दो मिनट रुकिये। जगदीप जी बैठिए आप, प्लीज। ये सदन में दूसरा अवसर है और एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और मुझे, मेरा मन बहुत आहत है इस घटना से और इतना दुखदायी दृश्य था। मैं यहां से रात को 10.00 बजे गया हूं। मैं प्रसन्ना जी का नहीं कह सकता, कितने बजे गए होंगे। मैं रावल जी का नहीं कह सकता, कितने बजे गए होंगे। एक सैकेंड आप दो मिनट बीच में मत बोलिए, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जिस वक्त ये घटना घटी, वैसे तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, गोपाल जी से कि वो अपना वक्तव्य देंगे और विजेन्द्र जी से भी मैंने कहा था कि इस घटना को आप एक बार शांतिपूर्वक सुन लें जो मीडिया से आप जोड़ रहे थे। मैं अभी उस घटना का जिक्र कर रहा हूं। लगभग 6.45 हुए होंगे, ना, कोई बात नहीं मुझे अंदर से दिक्कत होती है। लगभग 6.45 पर गोपाल राय जी के सैकेट्रेरी ऑफीस में आए कि गोपाल राय जी के कमरे में कुछ आदमी घुस गए हैं, उन पर मिट्टी की थैली फेंकी गई है और एक लेटर भी फेंका गया है और उनके साथ बहुत बदतमीजी की गई है। मैं उन शब्दों को नहीं दोहरा रहा। मैं तुरंत बाहर निकल कर आया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है? उस वक्त पांच लोग वहां खड़े हुए थे, जिस ढंग का वो, मिट्टी की थैलियां उनके पास थीं, अब मिट्टी की थैलिया वो, राजेश से भी उन्होंने बात की, उस वक्त मेरे सामने बात की राजेश से, उनको भी एक लैटर, आपसे भी बात हुई होगी, मैंने राजेश को देखा। एक सैकेंड, दो मिनट रुक जाइये। जिस घटना

का जिक्र कर रहे थे, दो मीडिया वाले, वहां थोड़ा शोर हुआ, मीडिया वाले दोड़े उस तरफ, मैं जो सच्चाई है, वो बता रहा हूं बिल्कुल। मीडिया वाले उधर दोड़े, रावल जी को मैं साथ लेकर आया था। रावल जी से मैंने कहा कि आप तुरन्त सिक्योरिटी वालों को बुलाइये और इनसे यहीं पूछताछ की जाए और रोका जाए और नितिन जी उस वक्त वहां मौजूद थे। नितिन जी उन मीडिया वालों की तरफ गए, मैंने उनको इमीडिऐट रोका, मैंने कहा आप मीडिया वालों की तरफ मत जाए। मैं नितिन जी को और अमानतुल्लाह जी को... वीडियो दिखा सकता हूं पूरी विधान सभा की कि मैं इन दोनों को अपने कमरे में ले गया और मैंने इनको बाहर नहीं जाने दिया, किसी कीमत पर। डेढ़ घंटे मैंने इनको बिठाकर रखा। वास्तविक घटना ये थी। इन्होंने आवाज दी, कुछ नहीं हुआ, आप क्यों दौड़ रहे हो? इधर आ जाइये, कुछ नहीं हुआ। ये शब्द इन्होंने जरूर बोले। इसके अलावा, नहीं, विजेन्द्र जी दो मिनट रुक जाइये, प्लीज। ये जो राजनीतिक, मैं राजनीती से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं, उस वक्त सिक्योरिटी वालों से जो रिकार्ड मंगवाया, ...(व्यवधान)...कोई बात नहीं आपको मैं इजाजत दूंगा बोलने की। जिसको भी बोलना होगा, मैं इजाजत दूंगा। सिक्योरिटी वालों से रजिस्टर मैंने लिया और वो रजिस्टर, प्रसन्ना जी को हैण्डओवर कर दिया, जिसमें अंतिम एण्ट्री उससे पहले की एण्ट्री है अलका लांबा जी की, जिन्होंने मुझसे पूछकर कि 20–25 लोग आएंगे, अध्यक्ष जी, आज राउंड था क्षेत्र में, जनलोकपाल बिल को लेकर, वो आपसे मिलने आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने फोन किया सिक्योरिटी पर कि 25 लोग, 30 लोग अलका जी के आएंगे, उनको आने दीजिए। इनकी एण्ट्री है। सवा छः बजे की अंतिम एण्ट्री है, पंकज पुष्कर जी ने, मैं

सिक्योरिटी वाले को बुला सकता हूं, आन ड्यूटी, वो अपना स्टेटमेंट देगा यहां। आपने फोन किया। छः लोग, सात लोग मेरे हैं, उनको अंदर एन्टर करने दीजिए। सिक्योरिटी वाले ने 6.30 उसने टाइम नोट किया है, पंकज पुष्कर जी का नाम लिखा है और रविन्द्र कुमार+6, एडरस लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, साढ़े छः बजे उनको एण्ट्री करवाई गई, पंकज पुष्कर जी द्वारा। फिर मुझे इसमें, पूरे में घटना का जिक्र इसलिए किया कि बाकी आगे कार्रवाई जो हुई है, पुलिस की वो अलग विषय है लेकिन साढ़े छः बजे, विधान सभा में किसी की एन्ट्री करवाना, कहां तक उचित है, ये एक विचारणीय विषय है। दूसरी बात मैं बड़ी भावुकता से और बड़ी उससे बात कह रहा हूं कि ये कानून का मंदिर है, इसको अगर राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है, अपनी राजनैतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये बहुत निंदनीय है और अपमानजनक है। सिक्योरिटी वालों से मैंने पूछा, आपने जेबे चैक की, सबकी ये मिट्टी की थैलियां लगभग आधा–आधा किलो की थैलियां थीं जो पुलिस को हैण्डओवर की, आधा किलो मिट्टी होगी उसमें। बिल्कुल हमने चैक किया, उनकी जेब में कुछ नहीं था। इसका मतलब मिट्टी की थैलियां गाड़ी में रखकर लाई गईं या किसी और ढंग से लाई गईं। वहां चैक किया गया पूरा। मैं बड़े दुख के साथ एक बात कह रहा हूं। जो मुझे अहसास हुआ, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, दो दिन से पुष्कर जी ये बात बराबर बोल रहे थे कि मुझ पर कातिलाना हमला होगा, कातिलाना हमला होने वाला है। मुझे बार–बार उन्होंने सदन में बात बोली, मुझे जो लग रहा है, उस वक्त पुष्कर जी वहीं थे। मेरे पास उनकी मोबाइल फोटो है, उन पांचों व्यक्तियों से बात करते हुए, पांचों व्यक्तियों से बात करते हुए जब वो बाहर आए हैं,

माननीय मंत्री जी के कमरे से, पुष्कर जी उनसे बात करते हुए मेरे पास, उनके फोटो है, मोबाइल में फोटो है, पुष्कर जी वहीं खड़े हुए थे। इसलिए में नितिन जी को और अमानतुल्लाह जी को तुरंत अंदर ले गया। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये सोची समझी एक योजना थी कि सदन पटल पर रखें और ये सौभाग्य रहा नितिन जी का, अमानतुल्लाह जी का या सब साथियों का जो भी वहां मौजूद थे कि मंत्री के कमरे में इतने बड़ी दुर्घटना होने के बाद किसी ने उन व्यक्तियों पर उंगली नहीं उठाई, नहीं तो ये साबित करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मैं कह रहा था दो दिन से मुझ पर हमला होगा, मुझे पूरी इस कहानी में राजनीतिक षडयंत्र नजर आ रहा है कि दो दिन से वो योजना बना रहे थे और वहां खड़े रहे और मुझ पर हमला होगा, मुझ पर अटैक होगा, मैं उसको साबित कर सकूं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने बहुत संयम बरता, कार्यकत्ताओं ने बहुत संयम बरता और मुझे जिन पर थोड़ा भी डाउट था कि गुस्से में आ सकते हैं, मैं दोनों को अपने साथ अंदर ले गया और जब तक बाहर नहीं जाने दिया, कम से कम डेढ़ घंटे मेरे साथ वहीं बैठे रहे, बिठाकर रखा, मैंने बाहर नहीं जाने दिया। ये वास्तिविक घटना है, सच्चाई है, इसमें कहीं असत्य एक शब्द नहीं है, मैं इस कुर्सी से खड़े होकर ये बात बोल रहा हूं। अब मैं माननीय मंत्री जी से पहले बात कह रहा हूं...(व्यवधान)...नहीं, एक सैकेंड। और कोई नहीं बोलेगा। अभी बात करेंगे, दो मिनट। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि घटना जो घटी है उसका जिक्र, भई अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, प्लीज।...(व्यवधान)...राखी जी, मेरे बोलने के बाद कोई विषय नहीं रह जाता। माननीय मंत्री जी को मैंने कहा है, उनको एक बार, उनकी पीड़ा

को सुन लीजिए। उन्होंने जो लिखकर दिया है, पुष्कर जी बैठ जाइये आप, नहीं बिल्कुल बैठ जाइये। नहीं साढ़े छः बजे आपने एण्ट्री करवाई है, पूरे सदन को आपने हाइजैक किया है, पूरे परिसर को। मैं किसी तरह से इसको बख्शने वाला नहीं हूं। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % मैं इसमें दो बातें और जोड़ रहा हूं। अमानतुल्लाह जी बैठ जाइये, प्लीज। नितिन जी आप बैठिए, राजेश जी बैठ जाइये, ये जो लैटर फेंका गया था अंदर, जो पुलिस को हैंडओवर किया है, स्वराज अभियान इस पर छः लोगों के हस्ताक्षर हैं। 6 लोगों के हस्ताक्षर हैं इसमें। जो ओरिजनल लैटर है वो पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। दूसरा, जब चार–पांच लोग पकड़े गए, मुझे ध्यान नहीं कितनी संख्या थी। हमारे चीफ ह्विप जगदीप जी को सिक्यूरिटी वालों ने बाहर बैठा रखा था, पुलिस कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे। एसएचओ आ गए थे। जगदीप जी उनसे मिलने चले गए। कुछ बातचीत हुई उन दोनों की और वो एक–दो सैकेंड की बात जो वहां पांचों लोग बैठे थे, उन्होंने अपने मोबाइल में रिकार्ड कर ली और मोबाइल में रिकार्ड करके तुरंत मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नाम इस सदन में नहीं ले रहा हूं, लेकिन सबके मोबाइल पर आ गई होगी। उन्होंने वहां से अपने आकाओं को जिनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया, मेल किया, वेट्सएप किया और वहां से वेट्सएप चारों तरफ आया कि जगदीप जी उन लोगों को धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे यह साबित होता है कि पांच लोग जो पकड़े गए थे, उन्होंने जिसको

वेट्सएप किया सीधे, उस व्यक्ति द्वारा यह प्लान किया गया था, उस व्यक्ति के नेतृत्व में यह कांड हुआ था और उन्होंने उस पर ट्वीट किया है और वो ट्वीट उसी वक्त मेरे समय ही हो गया जब मैं अपने कमरे में बैठा था। इतनी बड़ी घटना ये हुई है और जैसे मैंने पहले कहा कि राजनीति करने के हमारे अखाड़े बहुत हैं। इस सदन के इतिहास में जब माननीय मंत्री पूरा समय यहां बैठा करते थे, 1993–98, 99–2000 तक कभी भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई। सचिवालय बन गया, उधर जाते हैं। पास बनता है, मंत्रियों से मिलते हैं, लेकिन मैंने यहां आने के बाद पास सिस्टम बंद किया कि जनता यहां मिलने आए, कोई भी आए बिना पास के आ जाए केवल उसकी तलाशी हो, उसका आई कार्ड देख लिया जाए। किसी को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ और ये जनता का नुकसान हुआ। मैंने इजाजत दे दी थी कि कोई एमएलए किसी को भेजता है, वो आ जाए। लेकिन ये जनता का नुकसान हुआ। इस पर मुझे बहुत गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि किस को यहां बुलाया जाए। मैं तो डेली आकर बैठता हूं। 2.30 बजे से 6.00 बजे तक यहां रहता हूं। ये घटना कल मंत्री जी के साथ हुई है, मेरे साथ भी हो सकती है और मैने कभी किसी को रोकने नहीं दिया गेट पर। सब जानते हैं कि कोई भी आ सकता है। माननीय मंत्री जी एक बार बताएं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि....हां, बताएं।

ifjogu e=h % आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी सदन में सदस्यों ने उठाए हैं और आपने जो बात व्यक्त की है, वैसे तो मैंने ये सोचा था कि ये प्रश्न सदन में नहीं उठना चाहिए और इस पर सदन में चर्चा करके सदन

का समय जाया नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कल जो मेरे साथ घटना हुई ये तो बहुत छोटी से घटना थी। गालियां जिस मकसद के लिए हम लोग निकलें हैं, हमारे मकसद को नहीं रोक सकती हैं। मुझे तो गोली मारी गई है। गोली नहीं रोक पाई तो कुछ चंद लोगों को भेज करके गालियां दिलवाकर क्या कर लेंगे? इसलिए भी मैं चर्चा नहीं करना चाहता था। क्योंकि कल जो घटना घटी, उस घटना का तार इस सदन के माननीय सदस्य से लेकर के इस हिन्दुस्तान के अंदर नैतिकता और देश भक्ति का आडम्बर औढ़ने वाले तमाम लोगों के साथ भी घटना जुड़ी हुई है। इस लिए भी मैं चर्चा करना नहीं चाहता था। कल यहां सदन में चर्चा हुई। हमने दो विधेयक प्रस्तुत किए थे, उन विधेयकों पर सदन की तरफ से अमेन्डमैन्ट के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए थे। माननीय सदस्यों ने रखे थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखे थे और उस अमेन्डमैन्ट की सदन की समाप्ति के बाद उस अमेन्डमैन्ट को तैयार करने के लिए मैं अपने परिसर में जो हमारा कार्यालय है उसमें मैं बैठकर के लेबर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, कमिशनर सारे अधिकारी थे। हमारे मंत्रालय के अधिकारी सारे थे और उसी अमेडमैन्ट के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग के ही दौरान अचानक जबरदस्ती हमारे कमरे में कुछ लोग घुसे। मिट्टी का थैला और ये लेटर मेरी टेबल पर फैंका गया और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अभद्रता करने की कोशिश की, हमारे बिल वो प्राथमिक थे और मैं नहीं चाहता था कि ये बात आगे बढ़े। हमारे भी वहां जो अधिकारी थे और हमारे पर्सनल स्टॉफ के लोग थे, उत्तेजित हुए। मैंने उनको रोका और उसके बाद फिर मैंने उनको किसी तरह से बाहर कराया। बाहर जाकर के जो घटना घटित हुई और उसके बाद जब हमने संज्ञान

लिया, बाहर निकला तो बाहर भी और हंगामा था। हमने पूछा क्या हुआ, बोले ऐसी घटना। फिर हमें लगा कि इसमें मामला कुछ और भी गम्भीर है। वो लड़के जो अंदर आए थे बाहर निकले और निकलने के बाद जाकर के पंकज पुष्कर से मिले वहीं पर। जो तस्वीर आपके पास है उसी समय की तस्वीर है और जाकर के उन्होंने बताया कि हमने गोपाल राय के साथ ऐसा कर दिया। उसके बाद जो सदस्यों के साथ हुआ, वो सारा घटना क्रम हुआ। फिर जब ट्वीटर बाजी शुरू हुई, तब भी मेरे मन में आया कि छोड़ो। जब पहली बार हम लोगों ने इस जनलोकपाल के लिए जंतर मंतर पर जब माननीय अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में अनशन शुरू किया था। अन्ना जी ऊपर मंच पर करते थे और हम लोग सड़क पर लेट करके अनशन करते थे। ये सारे ट्वीटर बाज जो आज जनलोकपाल के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं, सदन के अंदर और सदन के बाहर आंदोलन में दूर–दूर तक टिकते नहीं थे। उस समय किसी का नामो–निशान नहीं आता था। हमें समझाते थे, आन्दोलन कैसे होता है और क्या उसमें गलतियां हैं। मैं ये बात कतई नहीं कहना चाहता था। मीडिया लगातार तब से पूछ रही है, जब से ये नौटंकी करने की कोशिश हो रही है। मैं नहीं बोलता हूं क्योंकि उस आन्दोलन का क्या दर्द है और उस आन्दोलन के लिए पहली बार भी अन्ना जी के साथ हमने अनशन किया। दूसरी बार जब रामलीला मैदान में आंदोलन चला, 13 दिन आंदोलन चला। अण्डर ग्राउंड रह करके आन्दोलन का काम करता था। तीसरी बार फिर अनशन हुआ। 10 दिन तक फिर अनशन पर बैठा और तब से लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कल ये लोग जिनको इस पर जनलोकपाल बिल से कल कुछ न लेना देना था और न आज लेना देना है। मिट्टी फैंककर के और गालियां देकर और इतनी नीचता पर आ करके आप करना

क्या चाहते हो? हिन्दुस्तान की राजनीति में दिखाना क्या चाहते हो? मैं किसी के खिलाफ बोलता नहीं हूं और न बोलना चाहता था आज भी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अंदर जो ये आंदोलन शुरू हुआ। जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, वहां भी षड्यंत्र करके कुछ लोगों को तोड़ा गया और वो हमारे खिलाफ बोलते थे। रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ। वहां भी कुछ गद्दार पैदा हुए, हमारे खिलाफ बोलते थे। जब पार्टी हमने बनाई। कुछ गद्दार फिर पैदा हुए। वो हमारे खिलाफ बोलते हैं। और गद्दारों से लड़ना हम तब भी जानते थे और गद्दारों से लड़ना आज भी जानते हैं। कल भी जब हम आंदोलन करते थे, हजारों लाखों लोगों के बीच में जाते थे, लाठियां चलती थीं। मुझे परवाह नहीं थी कि मेरे शरीर का क्या होगा। मैं भाग नहीं सकता। लेकिन हजारों लोगों के बीच में लाठियां चलती हैं, उसके बीच में लाठी खाने की हिम्मत कल भी रखता था और आज भी रखता हूं। आज भी मैं मंत्री हूं, और सरेआम अपनी 'नैनो' से कल भी चलता था और आज भी चलता हूं सीना तान कर कल भी चलूंगा, जिसको मर्जी हो गोली चला लो, गाली चला लो हमारा मिशन जो है, वह आगे बढ़ता रहेगा। जब तक जिंदा हैं; इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या कर लोगे हमारा? हमारा क्या बना बिगाड़ लोगे? लेकिन जो ये परम्परा डालने की कोशिश हो रही है और मुखौटा लगाकर के जिस तरह की घिनौनी राजनीति में हरकत करने की कोशिश हो रही है, वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। यदि लोकपाल बिल की लड़ाई हमने लड़ी है और जनलोकपाल बिल दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत बिल लाए। कल भी हमारा संकल्प था और आज भी हमारा संकल्प है। जब बिल पास होगा पूरी दुनिया देखेगी कि जनलोकपाल बिल में कितनी ताकत है।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं बता दूं केन्द्र सरकार को डर लग रहा है चारों तरफ से षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि जन लोकपाल इतना मजबूत है कि एसीबी को कांग्रेस ने चकनाचूर कर दिया। एंटी क्रप्शन ब्रांच को अगर खत्म कर दिया। डर लग रहा है पूरे हिन्दुस्तान के बेईमानों को कि यदि जन लोकपाल आ जाएगा तो पुलिस की बेईमानी नहीं चलेगी, डीडीए की बेईमानी नहीं चलेगी, एमसीडी के बेईमानी नहीं चलेगी। दिल्ली के अंदर रहते हुए किसी व्यक्ति की बेईमानी नहीं चलेगी। ये जन लोकपाल पास होने जा रहा है। इसलिए षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए मोहरे बनाए जा रहे हैं। हम इस सदन के अंदर करना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें काम करने के लिए भेजा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि छोटी सी घटना हुई है, उसकी चिंता मत करिए। हम तो लोगों को मारने के लिए, हमारे माननीय अध्यक्ष हमारे संयोजक (राष्ट्रीय अध्यक्ष) अरविंद केजरीवाल को तो कालिख पोती गई। क्या बना बिगाड़ लिया? हमले किए गए। क्या बना बिगाड़ लिया? पूरे देश में बदनाम किया गया। क्या बना बिगाड़ लिया? जंतर मंतर पर षडयंत्र किया। रामलीला मैदान पैदा हो गया। रामलीला मैदान में षडयंत्र किया। आम आदमी पार्टी पैदा हो गई। आम आदमी का षडयंत्र किया 28 सीट जीतकर के आए। 28 सीट जीतने के बाद षडयंत्र किया। 67 सीट जीत करके आए हैं। क्या कर लोगे षडयंत्र करके हम षडयंत्र के दम पर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। उस कुर्बानी और उस विश्वास के दम पर चलते हैं। कौन आगे चलेगा, कौन पीछे चलेगा, कौन साथ चलेगा। पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह सोचकर नहीं चलते हैं। इस हिन्दुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की जो लड़ाई

है, उसका संकल्प लिया था और वो संकल्प आज भी है। दिल्ली में इस जन लोकपाल बिल को पास करके दिल्ली को जो मॉडल बनाने का संकल्प है, सदन बहस करेगा। सदन से एक बिल निकलेगा, दिल्ली को भी सुधारेगा और पूरे हिन्दुस्तान के लिए एक आईना लेकर खड़ा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो भी जिस तरह की घटना कल हुई है। मैं ये सदन से चाहता हूं कि ऐसे छोटे मन के लोगों को माफ कर दो। अपना दिल बड़ा रखो। जन लोकपाल को पास करो और दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जो हिन्दुस्तान की जनता हमसे सपना देख रही है, अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना रखो, वो हमारा मकसद है। ऐसे ऐसे तो आते रहेंगे और जाते रहेगें। इस लिए मेरा निवेदन है व्यक्तिगत तौर पर जो कुछ भी कल घटना हुई है, उस घटना को खत्म किया जाए। ऐसे लोगों से क्या हम तो वैसे लोगों से निपटने के लिए तैयार हैं और निपट लेंगे। धन्यवाद।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % मैं पुष्कर जी, बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। किसी कीमत पर कोई इजाजत नहीं दूंगा। हां, मैंने कहा, आपको बिल्कुल मैंने सीधे कहा है। वो मैटर ऑफ रिकार्ड है इसमें लिखा हुआ है। क्या आपने इंट्री करवाई आपको बयान चाहिए। 6:30 बजे क्या अर्थ इंट्री करवाने का क्या मतलब था? 6:30 बजे इंट्री करवाई। 6:42 पर फोटो है। 6:40 पर मिट्टी फैंकी गई।

Jh i:dt i"dj % कोई इंट्री नहीं करवाई।

v/;{k egkn; % मैं सिक्यूरिटी वालों को बुलवाऊं? एक सैकेंड, कोई

बोलेगा नहीं। अगर जैसे माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है अगर सिक्यूरिटी वाले ने स्टेटमेंट दे दिया कि पुष्कर जी का फोन था और उनके कहने पर मैंने इंट्री दी है, क्या आप सदन से माफी मागेंगे? क्या आप माफी मागेंगे सदन से? क्या आप माफी मागेंगे सदन से?

Jh iadt iq"dj % बिल्कुल माफी मागूंगा।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % माननीय मंत्री ने सब कुछ खत्म कर दिया। माननीय मंत्री जी कार्रवाई कहते...

Jh iadt iq"dj % मुझे अपनी बात करने का अवसर दें।

v/;{k egksn; % ना। मैं कोई समय नहीं दे रहा इस पर।

Jh iadt iq"dj % नाम लेकर आरोप लगाए हैं।

v/;{k egksn; % कुछ नहीं। माननीय मंत्री जी ने इस सारे विषय पर मिट्टी डाल दी है। ये कहकर कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। बड़ा दिल करके इसको समाप्त किया जाए। सारा विषय समाप्त हो गया है। अगर इस विषय को छेड़ा ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। सब सदस्य बोलेंगे। आप बैठ जाइए पुष्कर जी। मैं आग्रह कर रहा हूं बैठ जाइए। मैंने लगाया है आरोप। माननीय मंत्री जी ने नहीं लगाया है। मैंने खुद लगाया है। मैंने सिक्यूरिटी वाले को खुद बुलाया अपने चैम्बर में।

Jh i:dt i|"dj % मुझे अपनी बात कहने का अवसर दें।

v/;{k egkn; % आप मेरे चैम्बर में आ जाइए। मैं बोलने का अवसर देता। अगर मिट्टी नहीं डालते। माननीय मंत्री जी ने सारे विषय पर मिट्टी डाल दी। आप बैठ जाइए प्लीज। आप अपनी गलती को स्वीकारेंगे नहीं मुझे मालूम है। दो दिन से जो आप भूमिका बना रहे थे। मैंने स्पष्ट कहा आप बैठ जाइए। मुझे कल समझ में आया कि ये भूमिका क्यों बन रही है। मुझ पर कातिलाना हमला होगा...!

Jh i:dt i|"dj % महोदय आपका आसान ऊंचा रहा है।

v/;{k egkn; % मेरा आसान तो ऊंचा रहा ही नही। मेरा आसान ऊंचा नहीं रहा। ये सदन का परिसर जो है, मेरे लिए मंदिर के समान है। इस मंदिर में अगर राजनीति होती है, साढ़े छः बजे 6 लोगों को इंट्री करवाई जाती है। मेरा इस कुर्सी पर बैठना बेकार है। अगर साढ़े छः बजे इंट्री करवाई जाती है सदन के अंदर। बैठ जाइए अब। मुझे अब ज्यादा मजबूर मत करिए आप। प्लीज मैं कह रहा हूं आप बैठ जाइए। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं बैठ जाइए। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % साढ़े छः बजे इंट्री करवाते हैं, फिर बोलने का समय मांगते हैं।

Jh iadt i"dj % आपकी जो सूचना है, वह गलत है। मैंने इंट्री नहीं करवाई।

v/;{k egkn; % आप सिक्यूरिटी वाले को बुलवाइए, मैं स्टेटमेंट दिलवाऊंगा उसकी। वो स्टेटमेंट देगा सदन के बीच में।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % नहीं–नहीं कुछ नहीं कहने दे रहा हूं। सारा समय इसी में बीतेगा। मुझे मालूम है सब विधायक बोलेंगे। आपने कुछ बोलना है तो बोलिए। आपने विजेन्द्र जी, कुछ बोलना है तो बोलिए।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, जो भी घटना की बात यहां हो रही है, जो भी पार्टी के आपसी विवाद का विषय है, मैं कोई बात नहीं कहना चाहूंगा और टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये आपका आपस का मामला है। वो आपके पूर्व सदस्य है। वर्तमान में वो आपके विधायक हैं। क्या हुआ प्रोटेस्ट हुआ, मिट्टी हुई क्या हुआ अध्यक्ष जी, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं बात को जो मैंने कहा था और उस समय आपने चुप करा दिया। आपने खुद बताया कि एक दुर्घटना घटना इस परिसर में कल हो रही थी। मीडिया का क्या दायित्व है। कोई भी घटना दुर्घटना होगी तो मीडिया का दायित्व है, वो उसको कवर करेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के मीडिया सेक्रट्री xxxxx[1] गाली गलौच करते हैं मीडिया के साथ उनको धक्का देते हैं, रिकार्डिंग करने से रोकते हैं तो ये क्या मीडिया

xxxxx[1] चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाला गया।
xxxxx[2] चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाला गया।

की आजादी पर प्रहार नहीं है? हमारा ये कहना है। आपने खुद कहा कि...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, आपके पास गलत जानकारी है।

Jh fotUn xIrk % मेरे पास शिकायत आयी है।

v/;{k egkn; % आपके पास गलत जानकारी है।...ये आपके पास बहुत गलत जानकारी है।

Jh fotUn xIrk % गलत नहीं है।

v/;{k egkn; % मैं बता रहा हूं आपको।

Jh fotUn xIrk % ×××[2]

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % देखिए, विजेन्द्र जी,...

...(व्यवधान)

Jh txnhi flg % विजेन्द्र गुप्ता जी, अगर मीडिया पर ऐसा कुछ हुआ था, तो मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए था, वह आपको क्यों बता रहा है?

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % कर्नल सहरावत, आप क्या कर रहे हैं? आप सदन में बैठिए प्लीज। बाहर बात करना, जो भी करनी है। यहां बात नहीं करनी होती है। बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, आप न तो वहां थे। आप वहां थे नहीं। आपने अपनी शिकायत बता दी। बात खत्म हो गयी आप... अध्यक्ष पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं खुद वहां था।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % जब मैं खुद था वहां पर।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % जगदीप जी, बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, अगर किसी मीडिया वाले के साथ... नहीं ऐसे नहीं विजेन्द्र जी। आपको चाहिए था, जो घटना घटी है।

Jh fotUn xIrk % या तो आप कहिए कि सहमति से हो रहा था या एक अधिकारी ने गलती की है।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % आप बैठिए। अगर किसी मीडिया कर्मी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मुझे लिखकर दें। मैं उसको संज्ञान में लूंगा।

Jh fotUn xIrk % इसकी जांच करवा लें आप।

v/;{k egkn; % मैंने कहा तो है। मैं फिर कह रह हूं कि मीडिया के जिस कर्मी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वह मुझे लिखकर दे, मैं जांच करवाऊंगा।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, मैं सदन में उठा रहा हूं। दिल्ली की दो करोड़ की बात हम यहां करते हैं। आप ही की पार्टी है।...(व्यवधान)...देखो, आप हरेक को मत धमकाओ। अपने लोगों को आप जानो। हमें मत धमकाओ आप।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % एक सेकेण्ड रुकिए। राजेश जी। ऐसे नहीं सदन चल पायेगा।

Jh txnhi flg % विजेन्द्र जी...कैमरा तोड़ दिया था, हेड लाइन बनी थी।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % जगदीप जी, आप बैठ जाइये। राजेश जी, जरनैल जी, अमानतुल्लाह जी, प्लीज बैठिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % बैठिए। बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % आप बैठिए विजेन्द्र जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % अमानतुल्लाह जी, बैठिए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आप बैठिए प्लीज। राजेश जी, बैठिए।...

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, आज सदन में श्री ××× जी का नाम लेकर उन्होंने गलत बयानी की है। इसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाये। पहली बात और दूसरा, ये माफी मांगे क्योंकि वह आदमी सदन में नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है। सदन की परम्परा नहीं है ये कि जो इन्सान सदन के डिफेन्ड करने को उपस्थित न हो, उसकी गलत बयानी करें। इनको माफी मांगनी चाहिए। एक सम्मानित व्यक्ति के बारे में ऐसी गलत बयानी करनी इनको शोभा नहीं देता।

...(व्यवधान)

Jh lkeukFk Hkkjrh % आप निन्दा करते हैं जो कल हुआ अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही से उस व्यक्ति का नाम निकाला जाये पहले।

...(व्यवधान)

(श्री अमानतुल्लाह सदन के वेल में आये)

v/;{k egksn; % अमानतुल्लाह जी। अंदर चलिए प्लीज। अपनी सीट पर चलिए। प्लीज। ऋतुराज जी, अपनी सीट पर जाइये। जगदीप जी, पीछे कीजिए सभी को। कोई सदन के वेल में नहीं आयेगा। no one will come into the well.

...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % अनिल जी बैठिए।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % मैं देखता हूं, मुझे क्या करना है। एक सेकेण्ड देखिए, मैं देखता हूं। ऐसा है दो मिनट बैठिए प्लीज। आप बैठ जाइये।...भई दो मिनट चुप हो जायें, अनिल जी, विजेन्द्र जी। एक सेकेण्ड माननीय मंत्री जी खड़े हो रहे हैं। मैं लेता हूं इस पर अभी डिसीजन लेता हूं। माननीय उप–मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं।

mi eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, आज का दिन सदन के महत्वपूर्ण दिनों में से है। और अभी हमें मजदूरों के वेजिज पर, पत्रकारों के वेजिज और लोकपाल

आदि इन सब मुद्दों पर चर्चा करनी है। मुझे लगता है कि सदन का बहुत महत्वपूर्ण समय वेस्ट हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने जो बात रखी, बहुत बड़े दिल के साथ उन्होंने बात रखी है, मुझे लगता है कि सदन को और सभी को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस पर देखना चाहिए कि हम जिस लिए यहां बैठे हैं, उस दिशा में हम फिर आगे बढ़ायें चीजों को, हमारी भावनाओं की वजह से चीजें रुकें ना। मैं समझता हूं कि कल का मामला पुलिस के पास है। हालांकि मूल मुद्दा यह है कि मंत्री जी पर विधान सभा परिसर में हमला किया गया। किस तरह से वे लोग आये। उनको अरेस्ट कराया था, डिटेन कराया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस जिस तरह से और मामलों में तत्परता दिखाती रही है, उसी तत्परता से...और मामलों में माने विधायकों को लेकर जिस तरह से मामलों में तत्परता दिखाती रही है, उसी तरह से तत्परता दिखाते हुए, ये पुलिस के लिए भी टेस्ट है कि दिल्ली सरकार के एक मंत्री पर उनके कक्ष में बैठे हुए हमला होता है, कुछ लोगों को साजिशन विधान सभा परिसर में लाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस इस टेस्ट में...

....(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी आपको सारी घटना मालूम नहीं है।...आपको सही घटना नहीं मालूम।

mi e[;e=h % यह पुलिस के लिए भी एक टेस्ट है कि वह बहुत निष्पक्षता से इस मामले की जांच करती है कि नहीं करती है। इसकी जांच आगे करे और हम सदन में जिस काम के लिए बैठे हैं, वह काम भी आगे

बढ़े, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है।

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही से ××× जी का नाम और उनके बारे में गलत बयानी हुई है, इसको निकाला जाये और विजेन्द्र गुप्ता जी इस बारे में मांफी मांगें।...यह सदन की गरिमा और सदन के नियम कानूनों के खिलाफ है। कोई भी ऐसा इन्सान जो कि सदन का सदस्य नहीं है...

v/;{k egksn; % आप बैठिए। मुझे रूलिंग तो देने दीजिए।...

Jh lkeukFk Hkkjrh % जो सदन में डिफेन्ड करने को उपस्थित नहीं है।

v/;{k egksn; % मुझे कुछ तो रूलिंग देने दीजिए।

....(व्यवधान)

v/;{k egksn; % राजेश जी, बैठिए प्लीज। दो मिनट बैठिए। जरनैल जी, राजेश जी, बैठ जाइये। मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। पुष्कर जी, मंत्री जी के कहने के बाद मैं किसी भी प्रकार सेकेण्ड के लिए इजाजत नहीं दूंगा और आप जिद करेंगे तो ये विषय इतना गंभीर है, मैं उसकी चेतावनी दे रहा हूं। इसके परिणाम दुष्परिणाम होंगे। मैं इन चीजों के लिए बहुत सख्त व्यक्ति हूं। मुझे चाहे कुछ भी कहा जाये। मुझे जितनी मर्जी गालियां दी जायें। लेकिन विधान सभा परिसर में जो घटना घटी है, ये कानून का मंदिर है, राजनीति का अखाड़ा नहीं है। आप बैठ जाइये अब। मैं वार्निंग दे रहा हूं। ये हाथ जोड़ने

का नाटक मत करिए। ये नाटक न करिए। आप बैठ जाइये प्लीज। जितनी मासूमियत आप दिखा रहे हैं न। मैंने कल देख लिया सब कुछ। मैंने अपनी आंखों से चुपचाप खड़े होकर सब तमाशा देखा। आप बैठ जाइये प्लीज। कुछ नहीं आप बैठ जाइये। मैं वार्निंग दे रहा हूं...हां, ठीक है।

विजेन्द्र जी, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं। हां, ठीक है; आपने वह विषय दिया। आपके संज्ञान में किसी ने दिया। जिसने भी दिया, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन नेता विपक्ष जहां बार–बार ये कहते हैं कि सामूहिकता से सदन चले, सामूहिक प्रयास से सदन चले, अच्छा रहता जो घटना घटी है, मंत्री जी का स्टेटमैन्ट है, आप एडामैन्ट हैं ××× को लेकर...बिल्कुल एक शब्द नहीं। नहीं विजेन्द्र जी, बैठ जाइये। आप। आप वहां थे नहीं।...आप बैठ जाइये प्लीज। ...मैं 15 मिनट खड़ा रहा हूं, मैं सब कुछ वाच करता रहा हूं। मैं गैलरी में चुपचाप खड़ा रहा हूं। एक–एक पल का गवाह हूं मैं।...ये ××× जी का नाम कार्यवाही से निकाल दें।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % आप दे दीजिए लिखकर। वो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। ठीक है।...राजेश जी, दो मिनट...देखिए, विजेन्द्र जी, कोई बात नहीं जाइये।

(श्री विजेन्द्र गुप्ता द्वारा सदन से बहिर्गमन)

---

[2] चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाला गया।

...(व्यवधान)...

ifronu dk iLrqrhdj.k

v/;{k egksn; % दो मिनट रुकिए प्लीज। प्लीज बैठ जाइये।...देखिए मैं सदन को बताना चाह रहा हूं।...सोमनाथ जी, बैठिए प्लीज। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। सोमनाथ जी, बात आ गई है। मंत्री जी के बोलने के बाद कुछ नहीं रह गया।

Jh lkseukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि जो कल मामला हुआ है, यह पूरे का पूरा मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंपा जाये। ऐसी घटना आगे इतिहास में न हो पाये, अक्षम्य हुआ है...

...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % बैठ जाइए। मैं इसलिए बोलने की इजाजत नहीं दे रहा कि फिर सारे विधायक बोलेंगे। आप बैठ जाइए। सोमनाथ जी, बैठ जाइए।

विजेन्द्र जी ने जो ×××[2] जी के लिए जो बात कही है, वे सरकारी अधिकारी हैं। एक नियम होता है। अगर उनको ऐसा लगता है। अगर उनको ऐसा लगता है और उस तथ्य पर हैं तो राइटिंग में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लिखकर दें, फिर मैं विचार करूंगा उस पर। सरकारी अधिकारी पर बिना लिखित में दिए, कोई विषय सदन में नहीं उठाया जा सकता है। नाम कार्यवाही से हटा दीजिएगा।

vkpj.k lfefr ds ifronu dk iLrqrhdj.k

---

* पुस्तकालय में संदर्भ संख्या R–15490 पर उपलब्ध।

अब नारायण दत्त शर्मा और सुश्री भावना गौड़। प्रस्ताव पुस्तुत करेंगे कि यह सदन दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 को प्रस्तुत आचरण समिति (छठी विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है। श्री नारायण दत्त शर्मा जी।

Jh ukjk;.k nÙk 'kek ½ अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ये सदन दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 को प्रस्तुत आचरण समिति (छठी विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।*

v/;{k egkn; ½ यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें।

...अभी मैंने वोटिंग की है, आप न बोलिए। आप जो कुछ है, ना बोलिए। ...किस पर? आ रहा हूं अभी...

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ।

fnYyh fo|r fofu;ked vk;kx d y[kk ij Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kk ijh{kk dk ifronu

अब माननीय उर्जा मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित वार्षिक लेखों की प्रति सदन पटन पर रखेंगे।

Åtk ea=h ¼Jh lR;Un tu½ ½ अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

---

* पुस्तकालय में संदर्भ संख्या R–15491 पर उपलब्ध।

के लेखों पर भरत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित वार्षिक लेखों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।*

fu;e&107 d vUrxr iLrko

v/;{k egkn; % धन्यवाद। अब नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव। मैं पढ़ दूं।

सुश्री भावना गौड़ नियम–107 के अंतर्गत प्रस्ताव करेंगी कि छठी दिल्ली विधान सभा के आचरण समिति के प्रथम प्रतिवेदन में वर्णित सिफारिशों की अनुपालना में यह सदन निर्णय करता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा के वेतन में 18560/– रु. उनके द्वारा तोड़े गये माइक को बदलने में आई लागत के लिए वसूले जायें। यह सदन श्री ओम प्रकाश शर्मा को चेतावनी भी देता है कि सदन में पुनः इस प्रकार का कदाचार न करें, यह प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सुश्री भावना गौड़।

lJh Hkkouk xkM % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि छठी दिल्ली विधान सभा के आचरण समिति के प्रथम प्रतिवेदन में वर्णित सिफारिशों की अनुपालन में यह सदन निर्णय करती है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा के वेतन में 18560/– रु. उनके द्वारा तोड़े गये माइक को बदलने में आई लागत के लिए वसूले जायें। यह सदन श्री ओम प्रकाश शर्मा को चेतावनी भी देता है कि सदन में पुनः इस प्रकार का व्यवहार न करें, धन्यवाद।

v/;{k egkn; % अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

अब अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। श्रीमान विजेन्द्र गुप्ता जी।

LokLF; ea=h % अध्यक्ष महोदय, पहले इस पर डिवीजन कराना चाहेंगे। ...इस पर डिवीजन करा लीजिए वोटिंग का।

v/;{k egksn; % हो गया, किसी ने न बोला ही नहीं।...किसी ने न नहीं बोला है।...एक आवाज भी न में नहीं आई है।...उन्होंने न नहीं बोला, किसी सदस्य ने न नहीं बोला। इतना बहुत है। न की आवाज आती तो डिवीजन करवा लेते।

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष महोदय, माइक बंद रहता है न। गला बैठ गया बोलते बोलते। आवाज कहां से पहुंचेगी? अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव में आरोप मैं पढ़ रहा हूं। जून 30, 2015 को अपराह्न 2:45 बजे जब तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे थे, श्री ओ.पी. शर्मा ने कथित तौर पर अपने आसन पर लगे माइक को गुस्से से झंझोड़ दिया। अनेक विधायकों ने उनके इस व्यवहार का विरोध किया था। श्री सोमनाथ भारती ने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया कि माइक का मूल्य श्री ओ.पी. शर्मा के वेतन से काटा जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह मामला आचार समिति को सौंप दिया। अध्यक्ष महोदय, जो पूरा विवरण पढ़ने के बाद यह प्रतीत होता है कि चूंकि ऐथिक्स कमेटी में सारे के सारे सदस्य

रूलिंग पार्टी के हैं, इसलिए पूरी तरह से इसकी गहराई में जाए बगैर इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट यहां पर आई है, विपक्ष की भावनाएं इस समिति में, मेरा आपसे एक सदस्य के रूप में अनुरोध है कि इस समिति में विपक्ष को भी शामिल किया जाये। वरना एक आवाज जो वहां होनी चाहिए, वो वहां नहीं है जो बैलेन्स कर सके पूरे घटना चक्र को। क्योंकि जब से बात यहां पर सोमनाथ जी ने उठाई है, वही बात एज इट इज सिर्फ एक प्रोसेस के नाम पर यहां पर वापस आ गयी है। दूसरा ओ.पी. शर्मा ने कथित तौर पर अपने आसन पर लगे माइक को गुस्से से झिंझोड़ते हुए क्षति की। यानी कि माइक बंद हो जाता है, सब लोग बोलते हैं, बात को दबाया जाता है और अगर माइक नहीं चल रहा है और उन्होंने उस माइक को हिला दिया, गुस्से में उसको हिला दिया तो आप इतनी बड़ी सजा देंगे?

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % भावना जी, इनको बोल लेने दीजिए प्लीज।

Jh fotUnz xqIrk % अध्यक्ष महोदय, इस तरह का दुस्साहस जो सत्तारूढ़ दल करने की कोशिश कर रहा है, और मैं आपको बता दूं कि एक प्रकृति का नियम है...और मैं आपको बता दूं कि बॉल का एक प्रकृति का नियम है। आप प्रचण्ड बहुमत में है, हम सब जानते हैं। आप कोई बात आराम से भी कहेंगे तो वो दूर तक जाएगी, लेकिन प्रकृति के उस नियम को मत भूलिये कि बॉल को जितनी तेजी से जमीन पर मारोगे, बॉल उतनी ऊपर जाएगी। यह समझ लो आप। यह नियम आप समझ लो, आप जितना दबाओगे विपक्ष को जितना पटकोगे, वो उतना ऊपर जाएगा और यह बात मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य

में परसों कही भी थी कि यह मत समझना कि हम 67 हो गये तो तीन हम नहीं हो सकते। आप जिस रास्ते पर चल पड़े है ना, यह मेरी सिनसियर एडवाइज है, सत्तारूढ़ दल को। आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं ना, वो रास्ता बहुत जल्दी आप लोग पार करने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है इस घटना को इतनी बड़ी घटना बना कर, क्योंकि इसका एक–एक शब्द मैंने पढ़ा है, इसके अंदर न तो घटना का कोई पूर्ण रूप से विवरण है, न पूरा प्रसंग है, न इसके बारे में कुछ कि क्या वजह थी जो ऐसी परिस्थितियां आईं और क्या यह हिंदुस्तान की किसी असेम्बली में, इतनी छोटी घटना पर, इससे बड़ी–बड़ी घटनायें हो जाती हैं, जब वाद–विवाद होता है।

Jh jkts'k xqIrk % वही बदलने आये हैं।

Jh fotsUnz xqIrk % लेकिन आप आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए राजनीतिक...(व्यवधान)...

Jh jkts'k xqIrk % यह छोटी घटना नहीं है, इसे बदलने आये हैं।

Jh fotsUnz xqIrk % मैं वही कह रहा हूं और दूसरा मैं सदन के सामने मांग करता हूं, अगर आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं तो। यह जो माइक है जो हिलाने से, आपका कहना है, यह खराब हो गया तो क्या इसको ठीक करने पर 19 हजार रुपये दिल्ली की विधान सभा के सचिवालय ने खर्च कर दिये। यह हम जानना चाहते हैं 19 हजार रुपया। इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है। एक बात यह भी मैं कह दूं और दूसरा यह जो पूरा मामला है, जैसे ये माइक की कीमत ली जा रही है, वैसे ही छोटी सी बात को बढ़ा कर यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, समिति के इस फैसले को निरस्त किया जाये। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसको आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो सदन का फ्लोर है आप क्रिटिसाइज करिये। आप कोई रूलिंग पास करिये। आपकी मैजोरिटी है लेकिन इस तरह से किसी सदस्य को एक छोटे विपक्ष को प्रताड़ित करना, उसके ऊपर इस तरह से उसको दबाने की कोशिश करना, उसको इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करना, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यह मामला यहां पर रुकेगा नहीं, यह आप समझ लीजिए। यह आगे बढ़ेगा, अगर आपने इस तरह का कदम उठाया तो यह मामला आगे बढ़ेगा।

Jh l|jUn fl|g % जनता के एक—एक पैसा का हिसाब और जनता के एक—एक पैसे का भी अगर कोई नुकसान करेगा तो उस आदमी को वो पैसा भरना पड़ेगा। यही जनलोकपाल है।

v/;{k egkn; % आपका नाम आया था, मैं दे रहा हूं। दो मिनट बैठिये। मदन जी, बैठिये। अलका लांबा जी।

l|Jh vydk ykck % धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया, मैं इस प्रस्ताव पर बोल पाऊं। अध्यक्ष जी, मेरी आचार समिति के सभापति और सदस्यों से निवेदन है कि हम लोग जनलोकपाल कानून का बिल हमारे पास पड़ा है उस पर चर्चा होगी और उसमें यह लिखा हुआ है कि बड़े से बड़े भ्रष्टाचार कानून में छह महीने के अंदर हम अपनी जांच को पूरा करेंगे, छह महीने और वहीं पर न्यूनतम आय न देने वाली कंपनियों के ऊपर भी तीन महीने की जांच पूरी कर लेने का वायदा किया जाता है और वही मैं देखती हूं कि

हमारी ऐथिक्स कमेटी, आचार समिति जो है वो इस मामले को जो 30 जून को आपके पास भेजा गया, आपने पांच महीने लगाये, उस पर पांच मीटिंगें बुला कर उसको सदन में रखने में, तो मुझे लगता है कि जब हम देश की अदालतों में पेंडिंग केसेस हो, जनलोकपाल कानून के तहत् न्यूनतम आय के तहत् छह महीने, तीन महीने और फास्ट ट्रेक कोर्ट में मामलों की बात करते हैं तो आपसे निवेदन है कि आपके पास मुझे नहीं मालूम कितने मामले पेंडिंग हैं। आपसे निवेदन है कि फास्ट ट्रेक का उदाहरण पेश करते हुए जो समय जनलोकपाल और दूसरे कानूनों में कहा है, उससे कम समय लेकर आप इनको सदन के पटल पर रखें। दूसरी बात जो गुप्ता जी ने कही है उन्होंने कहा बॉल को अगर जितना नीचे फेंका जाएगा उतनी ऊंची उछलेगी तो मैं कहती हूं जिस गेंद की हवा ही निकाल दी जाए तो वो ज्यादा उछलती नहीं, चिंता की जरूरत नहीं। अध्यक्ष जी, यह भी कहा गया। मैं भी यही सोच रही थी कि इस माइक की कीमत की चिंता नहीं है, चिंता चाहे एक रुपये की भी यहां चीज रखी गई हो, वो जनता की कमाई की है, यहां पर हमारी तनख्वाहें हों, पेपर हो, माइक हो, बिजली बिल, ये जनता के पैसे की हमारी जवाबदेही है। आपने कहा 18560 रुपये का फाइन लगाया है। मुझे नहीं मालूम यह एक्चुअल कीमत है या एक्चुअल कीमत से पांच गुना ज्यादा फाइन लिया है आपने। अगर अध्यक्ष जी, आपने पांच गुना ज्यादा फाइन नहीं लिया तो मेरे प्रस्ताव में आपसे निवेदन है कि इस सदन के भीतर या बाहर सरकारी सम्पत्ति को कोई भी अगर नुकसान पहुंचाये उस सम्पत्ति का जो भी उस पर खर्च आये, उससे पांच गुना खर्चा लेना चाहिए। मेरा आपसे यह निवेदन है। अध्यक्ष जी, लास्ट, राजेश भाई एक मिनट, लास्ट अध्यक्ष जी, आज के इंडियन एक्सप्रेस में ओ.पी. शर्मा जी का बयान छपा है आचार समिति

के सदस्यों को लेकर कि ये अनुभवहीन हैं। इन्हें बिल्कुल नियम, कानून, कायदों का कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस और हर अखबार में ओ. पी. शर्मा जी का वक्तव्य छपा है, इसको भी प्रिविलेज में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए इस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो आचार समिति है। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया।

Jh jkt:'k xqIrk % अध्यक्ष जी, एक प्रस्ताव लाया जाये कि पांच गुना कीमत इनसे वसूली जाये, ताकि दोबारा कभी ऐसी गलती करने की सोचे भी नहीं। क्योंकि यह सिर्फ वेल्यू है, इसकी कॉस्ट है।

v/;{k egkn; % एक सैकेंड। मदन जी एक सैकेंड। अभी नेता विपक्ष ने विजेन्द्र जी ने उसका पहला पृष्ठ पढ़ा, लेकिन अंतिम निष्कर्ष शायद वो पढ़ना नहीं चाहते थे। एक बार सदन के सामने पढ़ रहा हूं।

सारी कार्रवाही को देखते हुए, उपर्युक्त को देखते हुए समिति पूरी तरह से आश्वस्त है कि 30 जून, 2015 को श्री ओ.पी. शर्मा ने अपने आसन पर लगे माइक को क्षतिग्रस्त किया। पूरी बैठक के दौरान समिति ने ओ.पी. शर्मा जी से यह जानने का प्रयास किया कि क्या उन्हें अपने व्यवहार के लिए कोई खेद है। समिति का यह मत था कि यदि ओ.पी. शर्मा ने अपने दुर्व्यवहार पर खेद प्रकट किया होता तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं था। श्री ओ.पी. शर्मा जी, जिनका आहत करने वाला व्यवहार, चाहे वो मुख्यमंत्री के आसन की ओर दौड़ना, अब इससे आगे नहीं, ये जो आपने आरोप लगाये कि सब के सब सदस्य सत्ता पक्ष के हैं, मैं उसके लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद यह जब निर्णय आया, कहीं बायस्ड होकर तो नहीं दिया गया

है, मैंने पूरा पढ़ा। ओ.पी. शर्मा जी को अवसर दिया गया या नहीं दिया गया कि वो इसके लिए खेद प्रकट कर लें समिति के सामने। जब मैंने पूछा उन्होंने बिल्कुल भी एक बार भी और उसको पूरा पढ़ा जाये तो जिस ढंग से उनके उत्तर हैं, वो बड़े ही पीड़ादायक है। अतः ऐसा नहीं, जैसा आपने एक पक्ष को कह कर के छोड़ दिया। सत्ता पक्ष ऐसा करे, मैं नहीं समझता वो करेंगे और फिर भी मैंने इसलिए पढ़कर आपको सुनाया। हां, सोमनाथ भारती जी।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % एक मिनट सोमनाथ जी को पहले बोलने दें। भावना जी, आप अपना प्रस्ताव रख चुकी हैं। आप इस चर्चा में भाग मत लीजिए प्लीज।

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत—बहुत धन्यवाद। अभी इस चर्चा का विषय सुश्री भावना गौड़ जी लेकर आई हैं। उसमें विजेन्द्र गुप्ता जी ने अपने वक्तव्य रखा। साथ में यह कहा कि यह जो माइक है, इसको बहुत लोग हिलाते हैं। यह सजीव है अभी। अगर यह टूटेगा तो यह गिर जाएगा। अपने आप गिरता है यह। आपके सामने जब यह माइक गिर जाएगा अपने आप और उसमें मैं कह रहा हूं सजीव और निर्जीव का डेफिनेशन बता रहा हूं आपको।

v/;{k egkn; % सोमनाथ जी, आप टेक्नीकल चीजों पर जाइये।

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष जी, मैं इस विषय पर कंप्लेनेंट था और जो प्रोसीडिंग्स हुई है, उसमें मैं था और जिस तरह का व्यवहार ओ.पी. शर्मा जी ने उस दिन दिखाया, बिल्कुल उनके मन में तनिक भी, कहीं भी यह नहीं

था कि हमसे गलती हो गई। मुझे यह पता है कि अंदर से विजेन्द्र गुप्ता जी बहुत खुश है। वो कह रहे हैं अच्छा हुआ, कुछ तो सीख मिली, हमसे नहीं सीख रहे और जो आज...(व्यवधान)

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, ये शब्द निकलवाया जाये कार्यवाही से।

v/;{k egkn; % इसमें क्या दिक्कत है। अभी आपने खुद बोला था, मैं बोल रहा हूं, आपने खुद बोला था जब, एक सैकेंड प्लीज। आपने खुद ये शब्द बोले थे, जब माननीय मंत्री जी अपनी बात रख रहे थे गोपाल राय जी। यह आपका आपसी पार्टी का मामला है और आप लिखते हैं इसे। आपने खुद ये शब्द बोले थे।

Jh fotUn xIrk % ये आरोप लगा रहे हैं।

Jh lkeukFk Hkkjrh % मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

v/;{k egkn; % उन्होंने कोई असंसदीय शब्द नहीं बोला।

Jh fotUn xIrk % ये शब्द असहनीय है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सदन के अंदर मुख्य मुद्दे को भटकाना है।

v/;{k egkn; % असंसदीय शब्द नहीं है उसमें।

Jh fotUn xIrk % और इन शब्दों को निकलवाइये। ये शब्द निकलवाइये। उनकी भाव–भंगिमा नहीं आयेगी इन शब्दों में। अध्यक्ष जी, ये शब्द निकलवाइये। इसमें मुझे ऑब्जेक्शन है।

v/;{k egkn; % इसमें एक भी असंसदीय शब्द नहीं है।

Jh fotUnz xqIrk % मेरा ऑब्जेक्शन है।

v/;{k egkn; % आपने आपत्ति दर्ज करवा दी।

Jh fotUnz xqIrk % उन्होंने जो कहा, उस पर मेरा ऑब्जेक्शन है।

v/;{k egkn; % ठीक है, बात खत्म हो गई।

Jh lkseukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, आचार संहिता की कमेटी ने जिस तरह से सारी प्रोसीडिंग्स को चलाया और जो रिपोर्ट आई है और जो आज सत्ता पक्ष के लोग 67 की संख्या में हैं, अगर उसको ढंग से देखा जाये, जो आपने भी बात कही, इस तरह का व्यवहार अधिकतम होने की संभावना हमारी तरफ होनी चाहिए। यह जो आज आचार संहिता समिति का जो रिपोर्ट आया है, यह कह रहा है कि सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो कोई भी सदस्य इस तरह की जुर्रत कभी भी नहीं करेगा।

v/;{k egkn; % सोमनाथ जी, आप कनक्लूड कीजिए प्लीज।

Jh lkseukFk Hkkjrh % मैं कर रहा हूं।

v/;{k egkn; % मुझे चार बजे तक सदन चलाना है। उसके बाद बाकी विषय आयेंगे।

Jh lkseukFk Hkkjrh % अभी जो हमारी साथी अलका जी ने बताया कि श्री ओ.पी. शर्मा जी ने अखबार में कहा कि हम सब अनुभवहीन हैं। बिल्कुल

अनुभवहीन है। लेकिन कौन सा अनुभव माइक तोड़ने का अनुभव, जनता को बेवकूफ बनाने का अनुभव, जनता को लूटने का अनुभव, महिलाओं के खिलाफ बदसलूकी का अनुभव, बदतमीजी का अनुभव, कौन से अनुभव?

v/;{k egkn; ½ सोमनाथ जी, कनक्लूड कीजिए प्लीज।

Jh lkseukFk Hkkjrh ½ हम ऐसे अनुभवहीनता के लिए अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसा अनुभव नहीं चाहिए। हमारे साथी सभी अनुभवहीन हैं और ऐसा अनुभव हमें नहीं चाहिए।

v/;{k egkn; ½ जरनैल जी, मैं इस विषय को खत्म कर रहा हूं अब जल्दी।

Jh lkseukFk Hkkjrh ½ आज मैं आचार संहिता समिति के सदस्यों को और उनके अध्यक्ष को मुबारकवाद देता हूं कि आप आज जो रिपोर्ट लेकर आये हैं, एग्जाम्पल सैट किया है हम 67 की संख्या में हैं। हम अपने आपको कमिट करते हैं, हमारा कोई भी साथी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। बहुत—बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; ½ मदन जी, बस। मैं और किसी को नहीं केवल मदन जी को एक बार बोल लेने दीजिए।

Jh tjuSy flag ¼आर.जी.½ ½ अध्यक्ष जी, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। जैसे हमारे गोपाल राय जी ने बड़ा दिल किया। हमारे सदस्य ओ.पी. शर्मा जी भी सम्मानीय है, सदन में कोई यह नहीं चाहता है कि उनको सजा दें। मैं कहता हूं ओ.पी. शर्मा जी अभी नहीं हैं, अगर उस गलती को, खेद को उन्होंने

कमेटी के आगे नहीं किया तो विजेन्द्र गुप्ता जी अगर उनके बिहाफ के ऊपर उस पर खेद प्रकट कर देते हैं तो हमें इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। अगर यह उस पर, नेता विपक्ष हैं अगर उस पर अपनी माफी मांगते हैं कहते हैं खेद प्रकट करता हूं तो इस मामले को अभी भी खत्म किया जा सकता है।

v/;{k egkn; % मदन जी।

Jh enu yky % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, संस्कृत में एक दोहा है।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % दो मिनट शांत रहिये।

Jh enu yky % संस्कृत भाषा में एक दोहा है। यहां दो माननीय सदस्य जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, उन पर फिट बैठता है। जगदीश प्रधान जी को छोड़ दीजिए, बरना उस बेंच से हमेशा चाहे वो बात समझ में आती हो या न समझ में आती हो, माफ करना, शोर ही मचता है। जो संस्कृत का दोहा है वो कहता है–

क्षणेः रुष्टा क्षणेः तुष्टा, रुष्टा, तुष्टा क्षणेः क्षणेः।
अव्यवस्थित चित्तनाम परिणामो अति भयंकरः।।

थोड़ी देर में रुष्ट होता हो, थोड़ी देर में तुष्ट हो जाता हो और रुष्ट और तुष्ट लगातार होता रहता हो, ऐसे व्यक्ति का जो चित्तनाम, जो चित्त है, वो बहुत अव्यवस्थित है और हम आज रोज देख रहे हैं क्योंकि केवल तीन

महानुभाव हमारे इस तरफ बैठे हैं, वो बार–बार अव्यवस्थित हैं कि यह हो क्या रहा है इसलिए बार–बार उस वजह से उनका जो कर्त्तव्य है, उनको जो करना चाहिए, सदन में बैठ कर, सदन की मर्यादा का ध्यान रखें, उसे छोड़ कर, अव्यवस्थित चित्त की वजह से बार–बार ऐसे परिणामों की कामना करते हैं, जो बहुत भयंकर है। 30 जून की घटना को हम नहीं भूले हैं। अध्यक्ष महोदय, उस दिन वो हुआ, जो हम जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते। हमारे देश में बैठे लोग हम अपने ही देश की सम्पत्ति को तोड़ रहे हैं और वो भी पब्लिक रिप्रजेंटेटिव होते हुए, इस बात को ध्यान रखते हुए कि यहां सैकड़ों पत्रकार होते हैं, जो समाज के आंख, कान और मुंह है। वो समाज में हमारे चाल–चलन को, हमारे क्रियाकलापों को समाज को बताते हैं कि हमने बैठ कर अपने किन कर्त्तव्यों का पालन किया और कहां हमने गुंडागर्दी की। माफ करिये, मैं इसलिए शब्द लेता हूं कि मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता कि मैं सरकारी तो सरकार, किसी अपने दुश्मन की प्रोपर्टी को भी तोड़ने में खुशी महसूस नहीं करूंगा। इसलिए ऐथिक्स कमेटी ने, हालांकि बार–बार उनको चेतावनी दी और जहां मैं कहता हूं हमारे माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के नेता जब कहते हैं कि उन्हें न तो ऑपोर्च्युनिटी मिली और छोटा सा कदम था। अगर रिपोर्ट में हम देखें तो एक मीटिंग में से वो इसलिए चले गये कि कोरम पूरा नहीं था और केवल 10 मिनट इंतजार किया। यह दिखाता है एरागेंस को और बार–बार कमेटी कहती रही, अगर आप खेद प्रकट करें तो आपको छोड़ देंगे, कुछ नहीं है इसमें। पर उन्होंने नहीं कहा और उन्होंने उस मीटिंग में खुद माना, ''हां, मैंने तोड़ा। पर यह तो होता रहता है।'' पता नहीं, वो कि सदन की बात करते हैं, कौन से सदन के

मैम्बर थे जब ऐसा होता रहता था। हमें अपने आप पर शर्म आती है कि हम ऐसे सदन में बैठे हैं जहां कोई माननीय सदस्य सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद यह कहता हो कि यह तो होता रहता है। इसलिए जो सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए, उस कमेटी की रिपोर्ट ने जो जुर्माना तय किया है, मैं उससे सहमत हूं और यह सदन जरूर एक सजा दे और एक ऐसी वार्निंग दे, जो हममें से कोई भी ऐसा आगे आचरण न करें और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचाये। क्योंकि हम एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं बाहर के लोगों के लिए। आये—दिन रोज सड़क पर किसी भी मूवमेंट से नाराज होकर लोग बसों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, रेलों को तोड़ते हैं और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, इसलिए यह सदन आज अगर चर्चा कर रहा है और सजा देना चाहता है तो वाजिब है इससे डिटेरेंट होगा और लोगों को भी यह सबक जाएगा कि अगर कोई माननीय सदस्य जो उनका रिप्रजेंटेटिव हैं जो सत्ता पक्ष का, सेंटर में बैठे हुए लोगों की तरफ से हमें रिप्रजेंट कर रहा है, अगर सरकार उसको नहीं बख्शेगी, अगर यहां बैठे हुए माननीय सदस्य को नहीं बख्शेंगे तो बाहर बैठा हुआ कोई भी आदमी कभी हिम्मत नहीं करेगा कि सरकारी सम्पत्ति को नुकसान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री राजेश गुप्ता जी।

Jh jkt'k xqIrk % धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। आज बहुत देर से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन

मौका ही नहीं मिल रहा। अध्यक्ष जी, इस विषय पर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात सुनी, बहुत ही अचंभित थी, मेरे लिए बहुत अजीब बात थी क्योंकि जब हम स्कूल में थे तब से सुनते आ रहे हैं कि बेटा गुस्सा करो, सामान को मत तोड़ो। जो भी हम टीवी पर देखा करते थे, कहीं आंदोलन हुआ करता था, बड़ा दुःख होता था कोई ट्रेन को रोक देता है, ट्रेन को तोड़ देता है। यह जनता का पैसा है, यह किसी एक आदमी का पैसा नहीं है। जनता के पैसे से यह माइक लगा है और उसको तोड़ देना और अभी हमारे विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने उसको हिला कर दिखाया, देखिये, मैं इसे ऐसे हिला देता हूं, यह ऐसे नहीं टूटता कभी भी। इसको जब तक पूरी ताकत से झिंझोड़ न दिया जाये और आदमी अपने संयम में ही न रहे, वो ही इसे तोड़ेगा और तोड़ने के बाद में उसके लिए कोई खेद भी व्यक्त नहीं किया। ठीक है, आदमी को गुस्सा आ जाता है शायद कभी, कभी कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात का कभी कोई दुःख ही नहीं मनाया। जैसा कि मदन लाल जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने खुद तोड़ा है और एक दिन अगर कुछ सदस्य लेट हो गये कि कोरम पूरा नहीं है, वो छोड़ कर चले गये। इतना अहंकार किस बात का और मैं यह चाहता हूं कि जैसा कि सोमनाथ भारती जी ने कहा कि हम सब नये हैं। एक नयी परम्परा की, एक स्वस्थ परंपरा की शुरूआत करना चाहते हैं। हम इस राजनीति में आये थे, हम बार–बार यह कह कर आये कि हम इस राजनीति को बदलना चाहते हैं। जो अब तक राजनीति होती आयी है, वो अच्छी नहीं है। यह पब्लिक का पैसा है और यह एक प्रस्ताव के बारे में मैं बार–बार बोलता रहा, मैं पेश करना चाहता हूं ज्यादा समय न लेते हुए कि

सिर्फ इस माइक की कॉस्टिंग न ली जाये, बल्कि पांच गुना पैसा उनसे वसूला जाये ताकि आज के बाद, क्योंकि देखिये, जब हम यह कहते हैं तो यह रिस्क हमारे लिए ज्यादा है, क्योंकि हमारे लोग तो बहुत ज्यादा है, आप तो सिर्फ तीन हैं तो हमारी तरफ से गलती होने की सम्भावना ज्यादा है लेकिन मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि उनसे पांच गुना ज्यादा पैसे लिये जाएं और भविष्य में अगर हमारी तरफ से इस सत्ता पक्ष में भी कोई कुछ ऐसा काम करता है तो उससे भी पांच गुना पैसा वसूल किया जाए, मैं ये प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

v/;{k egksn; % माननीय उप—मुख्यमंत्री जी।

mi&eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले को, क्योंकि मैं उस दिन यहां सदन में भी मौजूद था जिस दिन ये हुआ और डे—वन से हम लोग ऐसा सोच कर चलते हैं कि भले ही यहां 67 और 3 का आंकड़ा हो लेकिन कुल मिलाकर हम 70 लोगों की जिम्मेदारी है कि इस सदन से वो गरिमा और काम का वो मैसेज निकले, सदन की गरिमा का भी और जनता के लिए काम का भी वो मैसेज निकले जो ऐतिहासिक हो, जो कभी हुआ न हो और जनता इसीलिए चिन्तित है कि चारों तरफ देश की अन्य विधानसभाओं में, संसद में कुर्सियां चलते हुए, लड़ाई—झगड़े होते हुए देखकर और मैं बीच—बीच में ज्यादा हॉट—टॉक्स होती हैं या एक—दूसरे के ऊपर ज्यादा छीटाकशी होती है तो मैं स्वयं इस बात को हर बार याद दिलाता हूं कि हम यहां बैठकर याद रखें कि हमें काम करना है। उस बीच में माइक तोड़ना क्योंकि आज हम माइक तोड़ने को जस्टिफाई

करेंगे, कल को कुर्सियां भी चलेंगी। आपस में भी लड़ाई—झगड़े होंगे। तो हमें लगता है इस घटना को इस विधानसभा में बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और मैं तारीफ करूंगा माननीय सदस्यों की जो कमेटी में थे, उन्होंने बहुत खुले दिल से इस बात को लिखा भी है कि इस बैठक के दौरान समिति ने श्री ओ. पी. शर्मा से जानने का प्रयास किया कि क्या उन्हें अपने व्यवहार के लिए कोई खेद है। समिति का मत था कि यदि श्री ओ.पी. शर्मा ने अपने दुर्व्यवहार पर खेद प्रकट किया होता तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं था, उन्हें पश्चाताप तक प्रकट नहीं किया। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि माननीय सदस्य इस सदन की गरिमा में उनका जो व्यवहार था, उसको लेकर बिल्कुल भी चिन्तित नहीं थे। गुस्से में भले ही उस वक्त हुआ हो। हो सकता है उनकी बात न मानी जा रही हो। हो सकता है उनकी कोई बात सुनी न जा रही है लेकिन ये तो जनता के पैसे से लगा हुआ माइक है, इसको तोड़ने लगेंगे तो यही तो हम देश की दूसरी विधानसभाओं में देखते रहे हैं। यही तो हमें चेंज करना है। वही राजनीति तो हमने चेंज करनी है कि अपनी बात कहो, अपने तथ्य कहो, नहीं सुनी जा रही है और जोर से कहो, नहीं सुनी जा रही, अपनी बात डिफरेंट फोरम्स पर कहो, लोकतांत्रिक फोरम्स पर कहो लेकिन माइक तोड़ने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई हमें वो करना चाहिए और वो भी तब जबकि माननीय सदस्य को उस पर कोई अफसोस तक नहीं था। मैं खुद मानता हूं। गोपाल भाई ने अभी नजीर पेश की इस बात की। सरकार में बैठे हुए मंत्री खुद मानते हैं, सदन में बैठे सदस्य खुद मानते हैं कि अगर बातचीत के दौरान, समिति से बातचीत के दौरान उन्हें

लगता है कि मैंने गलत किया वो कह सकते थे कि हां, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे दुख है इस बात का, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन उसकी जगह समिति के सामने भी। समिति तो बहुत छोटा सा ग्रुप होता है 70 की जगह 9 सदस्यीय समिति है। 9 सदस्यों के सामने भी अगर उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त नहीं किया और ये मामला आज हम डिस्कस कर रहे हैं और इस बीच में और ऐसी घटनाएं घट गई हैं। उन सदस्य से अगर एक बार ऐसा हुआ होता और उस बीच में वो घटनाएं नहीं घटी होती जिसको लेकर शायद ये समिति दोबारा विचार कर रही है उन्हीं सदस्य के ऊपर तो हम सोच भी सकते थे कि ये तो एक सदस्य का ऐसा वाकया है जो कभी हो गया once in a while और शायद उसके बाद नहीं होगा। लेकिन अगर सदस्य द्वारा बार–बार, बार–बार सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है तो मुझे लगता है कि इस मामले को सदन को गंभीरता से लेना चाहिए।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष महोदय, मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपनी बात पूरी कहूं, एक लाइन में। जो प्रस्ताव रखा था। मैं एक ही लाइन बोलूंगा। वाद–विवाद के दौरान माइक ऑफ था आवेश में बिना बुरी नीयती से, बिना जान–बूझकर यहां पर आवेश में जो घटित हुआ, उस विषय पर इस तरह का एकतरफा फैसला करना और सदस्य के प्रति...

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, ये बात उन्होंने नहीं रखी।

Jh fotUn xIrk % सदस्य को प्रताड़ित करने की कोशिश करना... मैं सदन से ये आग्रह करूंगा कि आप जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं

ऐसा नहीं हैं और आप अगर जबरदस्ती माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % चलिए, अब थोड़ा चर्चा के बाद।

Jh lrUn tu % अध्यक्ष जी, आदरणीय विपक्ष के नेता ने कोई भी माफी मांगने से इन्होंने भी मना कर दिया है तो मुझे लगता है स्पष्ट है।

Jh fotUn xlrk % बात ही पूरी नहीं होने दी आपने। मैं बोल रहा हूं।

v/;{k egkn; % आप तो उसको जस्टिफाइ कर रहे हैं उसको। एक लाइन का शब्द बोलना था। नहीं, अब बैठिए, प्लीज। अब भावना गौड जी का ये प्रस्ताव चर्चा के बाद सदन के सामने इस प्रस्ताव को पारित किया जाए—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ

v/;{k egkn; % अब सदन की कार्यवाही 4.35 बजे तक चाय काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद

¼lnu dh dk;okgh vijkgu 4-35 ct rd
pk;dky gr LFkfxr dh xb½

fu;e&107 d vrxr iLrko ,o pkFk foUk vk;kx
d ifronu rFkk bldh flQkfj'kk ij ljdkj

d: 0;k[;kRed Kkiu ij ppk

lnu vijkgu 4-40 ct: iju%leor gvk

अध्यक्ष महोदय ¼Jh jke fuokl xks;y½ *पीठासीन हुए*

v/;{k egksn; % नियम अब श्री सौरभ भारद्वाज नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। सौरभ भारद्वाज।

Jh lkSjHk Hkkj}kt % Hon'ble Speaker, I am here to move the following motion Under Rule 107. The motion is as follows that this house discusses now the report of Fourth Delhi Finance Commission and the Governments Explanatory Memorandum on this recommendation जो बार–बार हाउस में जिक्र होता था कि जो दिल्ली की फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट है, उसको टेबल करने का कई बार दबाव भी बनाया गया और कई बार हमारे बीच में बातचीत भी हुई कि उसको लाना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में मैं बात लाना चाहूंगा। ये रिपोर्ट बनाने के लिए, ये कमीशन जो थी ये 2009 के अक्टूबर में कांस्टीट्यट हुई थी और इस रिपोर्ट के लिए निर्धारित किया गया था कि इसका जो शेड्यूल है, जनवरी 2010 में ये रिपोर्ट आनी थी। बहुत खेद की बात है कि इस रिपोर्ट को आने में काफी साल लगे। 2013 मार्च में ये रिपोर्ट आई। हालांकि उस वक्त में हमारी सरकार नहीं थी तो मुझे लगता नहीं कि इसका कोई आरोप हमारी सरकार पर आना चाहिए। फिलहाल सरकार इस रिपोर्ट को देखते हुए, ये रिपोर्ट पूरे हाउस के सामने टेबल कर रही है और इस रिपोर्ट के लिए जो सरकार के रिकमंडेशन्स हैं, उसको सरकार ने ए,बी,सी,डी, करके चार भागों में इन रिकमंडेशन्स को बांटा है क्योंकि ये रिपोर्ट कई सारी बातों के बारे में थी कि किन–किन चीजों में ये रिपोर्ट चर्चा करेगी। अपनी बात कहेगी तो उसके अंदर ज्यादातर बातें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स के

फाइनेन्स से संबंधित थी कि क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कर सकती है, अपनी फाइनेंशियल हालत सुधारने के लिए। क्या चीजें ऐसी हैं जो ये कर रहे हैं, उनको नहीं करनी चाहिए अपनी फाइनेन्स की हालत सुधारने के लिए। क्या काम दिल्ली सरकार को करने चाहिए। क्या काम केन्द्र को करने चाहिए। जो 'ए पार्ट' है उसके अंदर टर्म्स ऑफ रेफरैस है इस रिपोर्ट के। जो 'बी पार्ट' है उसके अंदर कमीशन की वो रिकमण्डेशन हैं जो भारत सरकार के लिए हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लिए हैं। पार्ट—सी में वो रेकमण्डेशन हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस कमीशन ने अपनी तरफ से दी हैं और पार्ट—डी में वो रेकमण्डेशन हैं जो दिल्ली सरकार को दी हैं।

अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर एक बड़ी अच्छी स्थिति है कि ऊपर जो केन्द्र में भाजपा सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और फिर से म्यूनिसिपेलिटी के अंदर भाजपा की सरकार है तो गुप्ता जी अच्छी तरह जानते होंगे इनकी पार्टी का योगदान रहा है। एक सीरियल था ''सास भी कभी बहू थी'' तो अगर सास बहू का देखा जाए तो ये मान लिया जाए कि अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहू है और दिल्ली सरकार उनकी सास है तो जब हम बहू हैं तो केन्द्र सरकार हमारी सास है। तो सास बहू का रिश्ता कुछ ऐसा रहा है कि कहा जाता है कि सास बहू के ऊपर अत्याचार करती है और बहू अक्सर कहती है कि सास ने जो पुश्तैनी गहने हैं छिपा रखे हैं, मुझे नहीं देती। तो जो बहू है यहां पर एमसीडी वो अपनी सास से, दिल्ली सरकार से कह रही है कि भई जो छुपा रखे हैं वो जेवर मुझे दे दे, मेरा हक है इन पर और जो बहुत है, दिल्ली सरकार वो कह रही है कि मैं तुझे कहां से दे दूं? मेरी

सास ने ही अब तक मुझे नहीं दिये, तो इन सास बहुओं का जो मामला है वो ये तीनों सास—बहू एक साथ बैठ के निपटा सकती हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और भाजपा को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि सास भी कभी बहू थी का कितना बड़ा योगदान रहा है देश की संस्कृति में, शिक्षा में। तो दिल्ली सरकार को इसमें बिल्कुल परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि इस रिपोर्ट को हम इम्पलीमैंट करें इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से इम्पलीमैंट करने के लिए दिल्ली सरकार वचनबद्ध है, सिर्फ ये बात है कि जो रिकमंडेसंस सबको दिये गये हैं जैसे कि कुछ रिकमंडेसनस एमसीडी को दिये गये हैं कि आपकी जो कोर एरिया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो कोर एरिया होती है, सिविक एजेंसिज की होती है साफ—सफाई, सैनिटेशन, सिविक एमिनिटिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो दिल्ली के है, वो उन पे पहले काम करना शुरू करें उसमें एक्सपर्टीज ले लें उसके बाद वो उन चीजों के अंदर जाएं जिसके अंदर शायद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ना भी काम करे तो कोई और सरकार काम करने के लिए। तो इस फाइनैंस कमीशन की रिपोर्ट में उनको एडवाइज किया गया है कि हैल्थ से रिलेटिड काम जो हैं, उसमें वो फिलहाल ना पड़ें क्योंकि आप जानेंगे कि बाड़ा हिन्दूराव वगैरह कई अस्पताल हैं, जिनको एमसीडी चला रही है और बहुत उन अस्पतालों के अंदर अच्छे हालात नहीं हैं। उसी तरीके से दूसरी रिकैमंडेशन ये की गई है कि एमसीडी को या सिविक एजेंसी को ये नहीं कहा जाता कि वो एजूकेशन सम्भालें, तो एमसीडी जो स्कूल चला रही है, मुझे लग रहा है वो बे—वजह अपने ऊपर एक फाइनेन्शियल ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। बिना एक दबाव झेल रहे हैं उन स्कूलों को चला के, वो जो स्कूल हैं जो एमसीडी

चला रही है और जिस भी हालात में चला रही है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, वे भी वो कौर कम्पेटेंसी नहीं है किसी सिविक एजेंसी की, वो भी वो उस एजेंसी को दें, उस सरकार को दें जिसको चलाने का उसको मैंडेड है, तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए दो–तीन लाइनें पढ़ रहा हूं वो सास बहू के कोन्सैप्ट के ऊपर ही आधारित है हमारा पूरा का पूरा कन्कूल्जन है कि दिल्ली सरकार इन सभी रिकम्डेसंस को मानने के लिए तैयार है और अंग्रेजी में हमने ये कहा है कि The Govt. of NCT of Delhi has decided to accept the recommendations of Fourth Delhi Finance Commission in totality but in the following sequence: (1) the Government of India should accept and implement the recommendations of Fourth Delhi Finance Commission as mentioned in the Paragraph B 1 to 12 of the summarized report as recommended in the Report of Fourth Delhi Finance Commission. No. (2) Government of NCT of Delhi will implement the recommendation of this fourth Delhi Finance Commission as mentioned in Para D 1 to 9 of the Summarized note and as recommended in the Report of Fourth Delhi Finance Commission. (3) The Municipalities to implement the recommendation of Fourth Delhi Finance Commission melement in Para C 1 to 4 of the Summarized note and as recommended in the Report of Fourth Delhi Finance Commission. तो मंत्री जी इसके ऊपर अपना पूरा ब्यान देंगे, मगर हमने इसमें यही कहा है कि सबसे पहला प्रश्न ये है कि पहले भारत सरकार कहे, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करे फिर हम करेंगे हमने उसको बिल्कुल सास–बहू की सिक्वैंस में रखा है कि सबसे पहले भारत सरकार ये काम करे, इसकी इम्पलीमिंटेसन को पूरा करे, उसके बाद दिल्ली सरकार वचनबद्ध है कि हम उसको

इम्पलीमैंट करेंगे और उसके बाद एमसीडी इसको Summarize करे, धन्यवाद।

v/;{k egkn; % जनरैल जी आज बहुत कम समय है, प्लीज।

Jh tjuSy flg ¼रा–गा½ % मैं एक मिनट लूंगा सर, सिर्फ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं हमारी सरकार ने तो बार–बार कहते हुए Furth Finance Commission की रिपोर्ट को टेबल किया जाये, हमारी सरकार ने तो कह दी हम तो इसको लागू करने के लिए भी तैयार हैं। आप ये बता दीजिए, हरियाणा के अंदर Fourth State Finance Commission की रिपोर्ट आई हुई है और कैप्टन अभिमन्यु जो वित्त मंत्री है वो कह रहे हैं हम लागू नहीं करेंगे, आप ये बताइये ये आपका दोहरापन कैसे है? आप दिल्ली के लिए तो कहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता था, क्योंकि समय आपने कम कर दिया। मैं इतना ही जवाब चाहता हूं कि हरियाणा में आप State Finance Commission की रिपोर्ट को कब लागू करेंगे?

v/;{k egkn; % हां विजेंद्र जी, प्लीज शुरू करिए।

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष जी ये मैं इसमें थोड़ा 10 मिनट का समय चाहूंगा, 10 मिनट से मेरा अर्थ ये है कि मैं कुछ कहना चाहूंगा, मुझे थोड़ा–सा वक्त चाहिए।

v/;{k egkn; % 10 के ग्यारह चलेंगे 15 नहीं चलेंगे।

Jh fotsUnz xqIrk % मैं वास्तविकता उप मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जो रिकमण्डेशन्स है वो दिल्ली की नगर निगमों

के लिए डेथ वारंट है जो आप आज यहां पारित करने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो मैं इसमें कुछ त्रुटियां हैं, विभाग की जानकारी कम है या विभाग सदन को गुमराह करना चाहता है। ये तो उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे। इन्होंने पहले ही सैन्टेन्स में लिखा है "the Fourth Finance Commission dated इतना it was scheduled to give its report in January, 2010, however it submitted ist report in March, 2013 ऐसा नहीं है। ये Finance Commission constitute जरूर 14.10.2009 को हुआ था, इसका implementation period 2010 से 2015 का नहीं था, इसका implementation period था 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2016 तक यानि 2011 से 2016, 2010 से 2015 के लिए क्योंकि जो उसका साइकिल है और जो Constitution कहता है, ये मैनडेटरी प्रोविजन है। हर पांच साल के बाद फाइनैन्स कमीशन का कॉस्टि्यूट होना जरूरी है। पहली फाइनैन्स कमीशन जब आप इस सदन के पहली बार सम्मानित सदस्य बने थे तब 1996 में लागू हुआ था, अब उसका पहला साइकिल हुआ 1996 से 2001, 2001 से 2006, फिर 2006 से 2011 फिर 2011 से 2016, लेकिन 2011 में डीएमसी एक्ट में एक अमेन्डमैन्ट मूव हुआ पार्लियामैन्ट से और उस अमेन्डमैन्ट के कारण वो जो प्रोसेस था, उसको रोक दिया गया और उसके बाद मार्च, 2012 में इस फाइनेन्स कमीशन को रि—नोटिफिकेशन हुआ क्योंकि ट्राइ—फरकेशन की एक नयी व्यवस्था में फाइनैन्स कमीरशन को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना था और इसका पीरीयड बदल करके 2011—16 से बदल करके 1 अप्रैल, 2012 से 31, मार्च 2017 हो गया। तो इसीलिए मैं चाहूंगा विभाग इस बिल में से, क्योंकि बिल है, पारित होगा, अगर आप रिपोर्ट पर ये रेजोल्यूशन करेंगे तो कम से कम तथ्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बाकी तो आपका—हमारा वाद—विवाद जारी रहेगा। रिपोर्ट आई अप्रैल, 2013 में यानी की रिपोर्ट का जो

पीरियड पहले दिया गया था उतने ही पीरियड में रिपोर्ट आ गई, लगभग एक वर्ष में रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में चौंका देने वाली फैक्टस थे, उस समय की सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखकर अप्रैल, 2013 में क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया था कि ये जो नया ट्राइफरकेशन का सिस्टम है इससे जो फाइनेन्शियल वायेबिलिटी पर सवाल हो गया। निगमों की फाइनेन्शियल वायेबिलिटी पर सवाल आ गया क्योंकि जितने एक्सपैण्डीचर इनके जिम्मे हैं, Schedule XI and XII of the Constitution की जो जिम्मेदारीयां इनके जिम्मे हैं, उसके अनुसार इसके पास साधन उपलब्ध नहीं हैं। क्योंकि ये सवाल हो गया था पिछली सरकार के समय तो वे उस रिपोर्ट को फ्लोर पर नहीं लाए और क्योंकि रिपोर्ट एक प्रोसेस के बाद जून—जुलाई में सरकार के पास यहां आने के लिए आई होगी और दो महीने के बाद चुनाव हो गए होंगे तो उस समय वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई, ये कांग्रेस बताएगी। लेकिन ये साफ रूप से इसके पीछे की जो भावना है, वो ये है कि जो म्युनिसपैलिटीज हैं they own revenues of LB is being very small, they largely depend on the devolution of funds the centre and the state govts. and the Finance Commission इसलिए जो स्टेट फाइनेन्स कमीशन है, ये बहुत इम्पोर्टेण्ट डाक्यूमैन्ट है ये पूरी कोर्पोरेशन की म्युनिसिपल डेथ को ये प्रोविजन अध्यक्ष जी, कॉस्टिटेट्यूशन से आया है। एक अमेन्डमैन्ट हुआ था 73rd and 74th anebdment जिसके अंतर्गत 243 (आई) में इसको गठित किया गया और कहा गया constitution of Finance Commission to review financial position और उसमें जो रेफरेन्स था वो कॉस्टिट्यूशन में दिया गया जो आपने जो आज पेश किया terms of reference that terms of reference

of the 4th finance Commission were as follow ये जो आपने यहां लिखा है पहले पेज पर। ये भारत के संविधान में 243 (आई) में है वही भाषा है, वही शब्दावली है यानी कि कॉस्टिट्यूशन कहता है इस टर्म्स ऑफ रेफरेन्स से ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये इसमें भी है, ये दिल्ली नगर निगम के एक्ट में 107(ए) में वही भाषा है, जो आपके रिकमण्डेशन में है जो कॉस्टिट्यूशन में है, जो म्युनिसिपल एक्ट में है। इसलिए जो खेल के नियम हैं; अगर मैं उसको साधारण भाषा में कहने की कोशिश करूं तो खेल के नियम हैं; वो भारत का संविधान सुनिश्चित करता है, 73वें, 74वें संशोधन में जिसको आपने माना। अब प्रश्न ये है कि आपने खेल के नियमों को माना है, संविधान को माना है और म्युनिसिपल एक्ट को माना है और उसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं स्थिति पलट जाती है, आपने कहा। मैं इस रिपोर्ट के लिए हाईकोर्ट स्वयं गया यहां तक हुआ कि मैं खुद वहां पेश हुआ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिल्ली नगर निगमों की जो स्थिति है, उस पर हम बहुत ही न्यायप्रिय तरीके से अगर डिस्कस करेंगे तो कमियां होंगी, उसकी, मैं उससे अपने आपको अलग नहीं करना चाहता उस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता, निश्चित रूप से म्युनिस्पैलिटी की कमियां हम सब जानते हैं म्युनिसपैलिटी की मजबूरियां भी हम सबको जाननी चाहिए जो ऑब्लिगेशन्स हैं आब्लिगेटरी फंक्शनस जो उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर वो आब्लिगेटरी फंक्शन्स पूरे नहीं होंगे, वित्तीय संकट के कारण 7th Pay Commission आ रहा है। जब मैंने कहा कि सर, डेथ वारन्ट है। सर, कुछ सोच समझ के डेथ वारन्ट कहा है 7th Pay Commission से 20 परसैंट सैलरी ऐन्हान्स होंगी और मुझसे ज्यादा शिक्षा मंत्री जी जानते

हैं। अभी शिक्षा में उन्होंने बदलाव किया है। 20 प्रतिशत, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है उनके पास आज प्रजैन्ट तरीके से सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। ये रिपोर्ट में बार—बार अकाउंट्स के माध्यम से भी दिया गया है। अब प्रश्न ये है कि अगर आप सिच्युएशन को सिम्पैथेतिकली कन्सीडर किए बिना करेंगे तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको आज मत पारित करिए इसको एक छोटी कमेटी बना लीजिए आप। आप उसको एक उस नजरिए से देखिए जिसका सही मायनों में जो आपने वायदा किया है, अभी आपने कार्यक्रम में वायदा किया था। जब म्युनिसिपैलिटी को भी साथ लेके चलेंगे, आज साथ लेकर के चलने की बात कहेंगे लोग उसको एप्रिशिएट करेंगे। म्यूनिसपैलिटी की कमियों को सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। उनको सुधारने की भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम एक बड़े भाई के रूप में यहां अपने आपको स्थापित करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ठीक है, डेढ़ सवा साल बाद चुनाव है, चुनाव में लोग तय करेंगे लेकिन लोगों को ये लगना चाहिए कि दिल्ली की सरकार ने हर भरसक प्रयास किया नगर निगमों को सम्भालने में ये मैसेज जाना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो अल्ट्रावायरस है अनकॉन्स्टीट्यूशनल है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको आगाह कर रहा हूं। आपकी मर्जी है आप उसको मानें या ना मानें जो रिकमन्डेशन्स है, उसकी वह दो लाइन मैं पढ़के बता रहा हूं जिसको आपने कण्डीशनल कर दिया है। उसके बारे में रिपोर्ट में क्या कहा है:

the Govt. of the NCT should take up following matters with the Central Govt. with the requesting that.

रिपोर्ट में कहा है कि जो आपने 'बी' दिखाया है, यहां उसके बारे में,

क्योंकि ये रिपोर्ट वास्तविकता में इसके जितने सैक्शन हैं; चाहे आप 243 (वाई) पढ़िए (आई) पढ़िए चाहे (जैड) (बी) पढ़िए चाहे इसमें आप 107(ए) देखिए ये रिपोर्ट वास्तविकता में म्युनिसपैलिटी फंडिग को लेकर है, उसके शेयर्स को, टैक्सेज को, शेयरिंग को लेकर के है। इसका सीधा दिल्ली की, भारत की सरकार से कोई लेना–देना नहीं है। अब जो उन्होंने कहा है कि भारत की सरकार से ये टेक अप करें और रिक्वेस्ट करें, अध्यक्ष जी वो कांस्टीट्यूशनल अमैन्डमैन्ट हैं, वो संविधान की धारा 243 (जैड) (एफ) पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। वो आर्टिकल 239 की बात कर रहे हैं वो अलग–अलग स्थानों पर कम से कम आधा दर्जन कॉस्टिट्यूशनल अमेन्डमैन्टस की बात कर रहे हैं कि ये कॉस्टिट्यूशनल अमेन्डमैन्टस होने चाहिए दिल्ली की सरकार को सजेस्ट किया है कि जा के रिक्वेस्ट करके बात कीजिए। अब आपने क्या लैंग्वेज यूज की है; आपने कॉस्टिट्यूशनल अमेन्डमैन्टस को कान्डीशन बना दिया है, ये मरी सिनसेयर एडवाइस है। बाकी सदन आपका है, हम तो बहुत कम हैं आपने लिखा है the Govt. of India to accept implement the recommendations of 4th Delhi Finance Commission mentioned in para B1 to 12 of this summarized note and as recommended in the report of 4th Delhi Finance Commission ओनली आफ्टर जो ये शब्द आपने इस्तेमाल किया है आपने एक तरफ कहा है कि हमने इसको have decided to accept the recommendations of Delhi Finance Commiossion in totality in the following sequence हम इस रिपोर्ट को मानते हैं only after the Govt. of India implements the aforesaid recommendations, Govt. of NCT of Delhi will then implement the recommendations of the 4th Delhi Finance Commission mentioned in para-D 1 to 11 of this Summarized note as recommended in the report of 4th Finance Commission, it needs to be emphasized that Govt. of NCT of Delhi keen to implement the recommendations.

However, it would be completely impossible for Delhi Govt. to do that अब सवाल ये है अध्यक्ष जी, आप दिल पे हाथ रख के कहें, अगर मैं गलत कह रहा हूं कि क्या भारत के संविधान के बदलाव के बदलाव को, हम भारत की संसद को ये फोर्स कर सकते हैं? पहल आप ये करो, संविधान को बदलो। उसके बाद हम इस कान्स्टीट्यूशन रिस्पॉसिबिल्टी को हम पूरा करेंगे। ये कान्ट्राडिक्टरी है। ये कहीं–न–कहीं एक बड़े विवाद को जन्म दे सकता है। ये भारत के संविधान के प्रति एक आस्था का प्रश्न बन सकता है। किसी भी स्टेट गवर्नमेन्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो भारत के संविधान को बदलने के लिए दिल्ली की सरकार पर, केन्द्र की सरकार पर दबाव डाले इस प्रकार। इसको ब्लैकमेलिंग कहा जा सकता है। संविधान के बदलाव को ब्लैकमेलिंग कहा जा सकता है। ये भाषा जो है, ब्लैकमेलिंग की हो सकती है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि...

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, कन्क्लूड करिये। प्लीज।

Jh fotsUnz xqIrk % मेरा आपसे अनुरोध है। अब पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने इसलिए।...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % पन्द्रह मिनट हो गये। कन्क्लूड करिए।

Jh fotsUnz xqIrk % मैंने इसलिए 10–15 मिनट की बात की थी। सारी डिटेल्स मेरे पास हैं। मैंने आपको एक्जिट बताया है कि कान्स्टीट्यूशनल एमेन्डमेन्ट के लिए कभी कन्डीशन्स नहीं होती है, कभी फोर्स नहीं होता है। आप अपनी बात करिए। आपकी पार्टी कोई दबाव बनाना चाहे, बनाये। सरकारें कभी इस

तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करतीं है। इसलिए ये मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये तमाम जितनी भी रिकमन्डेशन हैं, इनको आप इम्प्लीमेन्ट कीजिए। नगर निगम की स्थिति को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दीजिए वरना अगर नगर निगमों के वित्तीय संकट के कारण दिल्ली की जनता को कष्ट होगा तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सरकार की होगी। इसके अलावा किसी और को जिम्मेदार आप ठहरायेंगे तो वो सिर्फ राजनीति होगी, और कुछ नहीं होगा।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी ने मुझे कहा कि दिल पर हाथ रखकर कहिए। विजेन्द्र जी मैं दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूं ये बात। एक सेकेण्ड। सब स्टेट्स को उनके टैक्सेज का 32 प्रतिशत। नहीं, अभी मैं पूरी बात कर लूं। 32 परसेन्ट मिलता रहा है। नहीं एक सेकेण्ड। नहीं, मैं बता रहा हूं न। अरे भाई साहब, एक सेकेण्ड मेरी बात तो सुन लो। विजेन्द्र जी, यही दिक्कत है, आप बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं। मैं उस बात की इसलिए आगाह कर रहा हूं कि 32 परसेन्ट, मैं आपकी बात मानता हूं पूरी। यूनियन टेरीटरी है लेकिन मोदी जी के आने के बाद 10 परसेन्ट सभी स्टेट्स का बढ़ाया है। 10 परसेन्ट सभी स्टेट्स का बढ़ावा है। 10 परसेंट सभी स्टेट्स का बढ़ाया है। 32 परसेन्ट यूनियन टेरीटेरी होने के नाते हमको, नहीं विजेन्द्र जी, प्लीज। नहीं–नहीं ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल, वो अलग–अलग विषय है। वो अलग–अलग विषय है। वो डीडीए को दिया है, पीडब्ल्यूडी की कुछ योजनाओं को दिया है। दस प्रतिशत लगभग, जरनैल जी प्लीज, दस परसेन्ट लगभग बारह हजार करोड़ रुपये बनता

है। वो यूनियन टेरिटिरी का मैटर नहीं है। वो ईमानदारी से दिल्ली को दे दिया जाये तो हम नगर निगम को जो इसमें लागू है, जो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि नगर निगम को सम्भाले। लेकिन कम से कम हम सब मिलकर के आप चलें, हम चलें। मैं चलता हूं साथ। सरकार से आग्रह करें कि वो दस परसेन्ट तो कम से कम दें। इस रिपोर्ट को एक बार अलग कर दीजिए। धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो आयोग है, ये भारत के संविधान के तहत बना हुआ है और वो चाहे केन्द्र में आयोग बने चाहे दिल्ली में बने। संविधान के तहत बने हुए आयोग की बात को ये सरकार एकदम सिर माथे पर लेती है। उसका सम्मान करती है और उसी का सम्मान करते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि उसी संविधान के तहत बने हुए आयोग को केन्द्र सरकार भी उसी तरह से सिर माथे पर लेगी और इसीलिए हमने उनसे बात भी की है। उनको लिखा भी है। उनसे रिक्वेस्ट भी किया है। किस शब्दों में कहें? और उस रिक्वेस्ट को हमने केन्द्र सरकार के साथ में उस पर प्वाइन्ट वाइज चर्चा करके भी उनको दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे हम संविधान के तहत गठित आयोग को और उसमें दिये गये सुझावों को पूरी तरह से सिर माथे पर लेने को तैयार हैं। ऐसी ही हमें पूरी उम्मीद है। पार्टी भले ही भारतीय जनता पार्टी हो लेकिन चलेगी भी तो सरकार केन्द्र की संविधान के तहत ही और उस संविधान के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करेगी। हम विवाद क्यों मानें? हमें तो उम्मीद है कि वो मानेंगे इसको और हमें तो ये भी उम्मीद है कि विजेन्द्र जी उसमें मेहनत

करेंगे थोड़ी सी और हमें ये भी उम्मीद है कि क्योंकि नगर निगम की चिन्ता वाकई है। हमको भी है और आपने कहा। सब को है। हमें पूरी उम्मीद है कि विजेन्द्र जी डीडीए के सदस्य भी है शायद। तो डीडीए को जो सोलह सौ करोड़ रुपया देना है नगर निगमों को, वो भी दिलवाने के लिए कुछ करेंगे। वो तो केन्द्र सरकार से सीधे दिलवाना है। डीडीए, नगर निगमों का डेथ वारेन्ट कहां साईन हो रहा है? उस लैण्ड माफिया के यहां साईन हो रहा है जो नगर निगमों को प्रापर्टी टैक्स नहीं दे रहा है। जिसकी वजह से नगर निगम अपने मूल काम, आय के मूल स्रोत से वंचित है। सोलह सौ करोड़ रुपये का प्रापर्टी टैक्स नहीं मिल रहा है क्योंकि नगर निगम का देखें तो मूल स्रोत प्रापर्टी टैक्स है और मूल काम साफ–सफाई है। इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने जो भी आयोग के सदस्य रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या भी की है। प्राइमरी वर्क क्या है, सेकेण्डरी वर्क क्या है। नगर निगमों को किस तरह से करना चाहिए। कहां फेल हैं। मैंने भी विजेन्द्र जी की तरह से हो सकता है उतनी डिटेल में न पढ़ी हो पर थोड़ी कोशिश की है इस रिपोर्ट को समझने की और उसमें बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है कि नगर निगमों को क्या करना चाहिए। केन्द्र को क्या करना चाहिए। राज्य को क्या करना चिहिए। इसीलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत भरोसे के साथ हमने केन्द्र सरकार को भी लिखा है। वो भी इस रिपोर्ट में कहीं गयी बातों को मानेंगे। उन्हें भी इस बात की चिन्ता होगी कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, जैसे हमारी जिम्मेदारी है नगर निगमों को ध्यान रखना वैसे उनकी भी जिम्मेदारी है राज्य सरकारों और उसके तहत नगर निगमों व पंचायतों का ध्यान रखना। तो दिल्ली नगर निगम और

दिल्ली की राज्य सरकार हितों को ध्यान में रखते हुए वो जरूर फैसला लेंगे और इसीलिए हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार चौथे वित्त आयोग की सिफारिश को पूर्णतः स्वीकार कर रही है और इस कड़ी में कर रही है। एक बार भारत सरकार ये बात मान लेगी। इधर से उनका प्रापर्टी टैक्स का पैसा मिलने लगेगा। नगर निगमों की हालत, हम सब मिलकर ठीक करेंगे। हम सब मिलकर काम कर भी रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है और क्योंकि हमें इस पर नगर निगमों की हालत का भी चिन्ता है, निश्चित रूप से डीडीए से मिलने वाले प्रापर्टी टैक्स की भी चिन्ता होगी विजेन्द्र जी को और मुझे पूरा भरोसा है सोमनाथ जी भी, अभी लिख नहीं रहे हैं। सोमनाथ जी भी बैठते हैं शायद। वहां नगर निगम के इस हित को विजेन्द्र जी डीडीए में भी उसी पुरजोर तरीके से उठायेंगे जिस पुरजोर तरीके से यहां पर उठाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम और विजेन्द्र जी मिलकर।

fo t Un xIrk % आपको टोकना नहीं चाहता मैं। आपकी जानकारी के लिए जिस तरह आप समझा रहे हैं...

mi e[;e=h % हमें पूरी उम्मीद है कि हम और विजेन्द्र जी मिलकर दिल्ली के नगर निगमों को भी और यहां इस सरकार का भी पूरा–पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

fo t Un xIrk % बता दीजिए। 2011 से 2016 और वो तो करिए न। क्योंकि नहीं तो रिकार्ड में ये गलत चला जाएगा।

fo/k;d ij ppk ,o ikj.k

v/;{k egkn; % विधेयक पर खण्डवार विचार। अब न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 13) पर खण्डवार विचार

होगा। अब श्री गोपाल राय जी, माननीय श्रम मंत्री न्यूनतम वेतन दिल्ली दिल्ली संशोधन विधेयक, 2015 के खण्ड 2 में अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

Jh xkiky jk; ¼Je ea=h½ % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपकी अनुमति से मैं न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015 के खण्ड 2 में मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उप अनुच्छेद द्वितीय में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं। in sub clause para B of the prinicipal Act of the Section 2 the word 'State Government' the word 'Govt. of National Capital Territory of Delhi' shall be substituted.

v/;{k egksn; % अब ये संशोधन सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है, हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वो ना कहें।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % नहीं–नहीं, विजेन्द्र जी, थोड़ा सा। नहीं–नहीं सौरभ जी। विजेन्द्र जी को नगर निगम के चुनाव की ज्यादा चिन्ता सता रही है। एक थोड़ा सा हंसी मजाक। प्लीज।

Jh xkiky jk; ¼Je ea=h½ % अध्यक्ष जी, इसमें थोड़ा सा एक एमेन्डमेन्ट और है। कल जो इसमें एरर/मिस्टेक था। न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधेयक 2015 के खण्ड 13 के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा 12 में the

word 'shall be punishable with imprisonment for the term which may extend to six month or with fine which may extend to 500 rupees or with both' shall be substituted with the word 'shall be punishable with the imprisonment for the term of 3 year or with fine 50,000 rupees or with both.'

v/;{k egkn; %

(सदस्यों के हां कहने पर,

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।)

अब प्रश्न है कि यथा संशोधित खण्ड 2 जिसमें मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उप अनुच्छेद 2 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं

जो इसके पक्ष हैं, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % उन्होंने हां बोला है, ना नहीं।

प्रस्ताव पास हुआ।)

यथा संशोधित खण्ड जिसमें मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उप अनुच्छेद 2 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड 3 जिसमें धारा 3 का संशोधन है विधयेक का अंग बने।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

कि खण्ड जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 4 जिसमें धारा 4 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

कि खण्ड 4 जिसमें धारा 4 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड 5 जिसमें धारा 5 का संशोधन है, विधेयक का अंग बनें।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

खण्ड 5 जिसमें धारा 5 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 6 जिसमें धारा 7 का संशोधन है। विधेयक का अंग बनें।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

खण्ड 6 जिसमें धारा 7 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 7 जिसमें धारा 9 का संशोधन है। विधेयक का

अंग बने।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

खण्ड 7 जिसमें धारा 9 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 8 जिसमें धारा 10 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

खण्ड 8 जिसमें धारा 10 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 9 जिसमें धारा 11 का संशोधन है। विधेयक का अंग बने।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

खण्ड 9 जिसमें धारा 11 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 10 जिसमें धारा 13 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

खण्ड 10 जिसमें धारा 13 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 11 जिसमें धारा 14 का संशोधन है, विधयेक का अंग बने।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

खण्ड 11 जिसमें धारा 14 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 12 जिसमें धारा 20 का संशोधन है। विधेयक का अंग बने।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

खण्ड 12 जिसमें धारा 20 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब श्री गोपाल राय जी, माननीय श्रम मंत्री न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधयेक 2015 के खण्ड 13 में अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

Jh xksiky jk; ¼Je ea=h½ % अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम वेतन (दिल्ली संशोधन विधेयक) 2015 के खण्ड 13 के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा 12 में the word 'shall be punishable with the imprisonment for a term

which may extend to six month or with fine which may extend to 500 rupees or both shall be substituted with the word shall be punishable with the imprisonment for term of 3 year or with fine 50,000 rupees or with both.

v/;{k egkn; %

(यह संशोधन सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
संशोधन स्वीकार हुआ।)

अब प्रश्न है कि यथा संशोधित खण्ड 13 जिसमें मूल अधिनियम की धारा 22 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

यथा संशोधित तथा संशोधित खण्ड 13 जिसमें मूल अधिनियम की धारा 22 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड 14 जिसमें धारा 22(क) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

खण्ड 14 जिसमें धारा 22 (क)का संशोधन है विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 15 जिसमें धारा 22(ख) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

खण्ड 15 जिसमें धारा 22(ख) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 16 जिसमें मूल अधिनियम की धारा 31 के बाद नई धारा 31(क) जोड़ा गया है, विधेयक का अंग बने।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

खण्ड 16 जिसमें मूल अधिनियम की धारा 31 के बाद नई धारा 31(क) को जोड़ा गया है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बनें।

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

विधेयक को पारित करना।

अब माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी प्रस्ताव करेंगे कि न्यूनतम वेतन (दिल्ली संशोधन विधेयक) 2015, वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 13 यथा

संशोधित को पारित किया जाये।

Jh xkiky jk; % माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि यथा संशोधित न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधेयक 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 13) को पारित किया जाये।

v/;{k egkn; %

(यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

विधेयक पास हुआ।

अब ''कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 12)'' पर खण्ड वार विचार होगा।

माननीय श्रम मंत्री श्री गोपाल राय जी केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2 के खण्ड सी में संशोधन प्रस्तावित करते हुए ''कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा की शर्तें'' और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015'' में नया खण्ड–2 जोड़ने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

Je e=h ¼Jh xksiky jk;½ % अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 45 की धारा 2 के खण्ड सी में संशोधन करते हुए उक्त विधेयक में नया खण्ड 2 जोड़ा जायेः

"after the words" other persons employed "the words including contractual employee" be inserted.

v/;{k egksn; % यह संशोधन सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, संशोधन स्वीकार हुआ।

अब प्रश्न है कि यथासंशोधित नया खण्ड–2 जिसमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

यथा संशोधित नया खण्ड 2 जिसमें से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब श्री गोपाल राय जी, माननीय श्रम मंत्री केन्द्रीय अधिनियम की धारा 45 की धारा 13 प्रस्तावित करते हुए कार्यरत पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा की शर्तें और विविध उपबंध संशोधन विधेयक, 2015 में नया खण्ड

3 जोड़ने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

Je e=h ¼Jh xkiky jk;½ % अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 45 की धारा 13 प्रस्तावित करते हुए कार्यरत पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा की शर्तें और विविध उपबंध (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 में नया खण्ड 3 जोड़ा जाये;

After the word every working Journalist" the words "including contractual employee" be inserted;

v/;{k egkn; % यह संशोधन सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
संशोधन स्वीकार हुआ।

अब प्रश्न है कि यथासंशोधित नया खण्ड 3 जिसमें से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 13 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामन है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

यथा संशोधन नया खण्ड 3 जिसमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 13 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 4 जिसमें धारा 17 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड 4 जिसमें धारा 17 का संशोधन है विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 5 जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) का सांशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड 5 जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) का संशोधन है विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 6 जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) (क) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड 6 जिसमें धारा 18 की उपधारा (1)(क) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक का अंग बन गए।

विधेयक को पारित करना।

ifjogu e=h ¼Jh xkiky jk;½ % माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यथा–संशोधित कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा की शर्तें और विविध उपबंध दिल्ली संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–12) यथासंशोधित को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ एक निवेदन करना चाहता हूं, इसके पारित होने के साथ–साथ दिल्ली के सारे मीडिया संस्थानों से कि जिस तरह से आप बार–बार दावा करते हैं कि हम निष्पक्ष तरीके से हर खबर को छापते हैं, मेरी सारे मीडिया संस्थानों से गुजारिश है कि निष्पक्ष तरीके से पत्रकारों के कल्याण के इस बिल को भी जरूर कल खबर में जगह देंगे, धन्यवाद।

v/;{k egkn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

विधेयक पास हुआ।

विधेयक का पुरःस्थापन–अब श्री मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री निम्नलिखित विधेयकों को सदन में introduce करने की परमिशन मांगेंगे। मैं विधेयकों को पढ़ नहीं रहा हूं थोड़ा समय बच जाएगा। माननीय उप–मुख्यमंत्री जी।

mi&e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि संशोाधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–19),

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–20)

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के नेता, प्रतिपक्ष के वेतन एवं भत्ते संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–21)

(4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के मुख्य सचेतक के वेतन एवं भत्ते संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–22)।

v/;{k egkn; % अब उप–मुख्यमंत्री जी परमिशन मांगेंगे। परमिशन तो एक बार, हो गया पहले ना?

mi&e[;e=h % मैंने बोला कि अनुमति दी जाए।

v/;{k egkn; % हां, ठीक है, बोल दिया। धन्यवाद।

अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

एक सैकेंड विजेन्द्र जी,...व्यवधान...

अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में, वो हां कहें
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें

...(व्यवधान)...

Jh fotUn xIrk % ये वोटिंग आप इन्ट्रोडक्शन पर करा रहे है ना...

v/;{k egkn; % नहीं, नहीं passing पर करा रहे है।

Jh fotUn xIrk % introduction, ठीक है इन्ट्रोड्यूस करवायें। फिर उस पर डिसक्शन करेंगे। फिर अब आप पास करेंगे तब हम अपनी बात कहेंगे। हां, introduction करिए आप।

v/;{k egkn; % तो इन्ट्रोडक्शन पर तो हां कर दीजिए।

Jh fotUn xIrk % इन्ट्रोडाक्शन पर हां....

v/;{k egkn; % आपने ना बोला है।

Jh fotUn xIrk % देखिए, लोकतंत्र में ये व्यावहारिक है, वाद–विवाद लेकिन सरकार के मन में क्या है, वो सरकार ला रही है। ठीक है, देखते है। फिर उसको आगे।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % भावना जी, एक मिनट। विजेन्द्र जी मैंने प्रार्थना की कि introduction पर आपकी हां है, या ना?

Jh fotUn xIrk % देखिए, हम इसमें एब्स्टेन कर रहे है। हम इसमें

वोटिंग में भाग नहीं ले रहे है। इसमें introduction में भी हिस्सा, सरकार ला रही है, हम अभी मूकदर्शक बने देख रहे हैं कि क्या है? अभी डिसक्शन होगा तब अपनी बात कहेंगे।

v/;{k egkn; % चलिए। हो गया, बस ठीक है।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय उप–मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में introduce करेंगे तथा संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

mi&e[;e=h egkn; % अध्यक्ष महोदय, इन बिल को प्रस्तुत करने से पूर्व, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि शायद चुनावी राजनीति में और मैं कहूं कि देश में पहली बार विधान सभा हो या विधान सभा का मसला हो, पहली बार विधान सभा के मसले पर विधायकों के भत्तों पर, विधायकों को मिलने वाली तन्ख्वाहों पर इतनी व्यापक डिबेट इतने खुले तरीके से हुई है। ये पहली बार हुई है। इसके लिए सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को बधाई देना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से, जिन्होंने पहल करते हुए पहली बार एक समिति का गठन किया एक इन्डिपेन्डेन्ट कमेटी का गठन किया जिसको कि किसी विधायक ने चेयर नहीं किया। किसी विधायक ने अपनी राय नहीं दी पहले। बल्कि इसको चेयर किया श्री पीडीटी आचार्य जी ने जो लोकसभा के

फार्मर सैक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने वास्तव में विधायकों के सेलरी भत्ते क्या हों, दिल्ली की परिस्थितियों में, दिल्ली की जरूरतों के हिसाब से और ये सोचते हुए कि विधायकों का जो कामकाज है, उसके हिसाब से विधायकों को किस तरह के सेलेरी, भत्ते मिलें। ताकि विधायक बिना ये सोचे हुए कि कहीं से और आमदनी भी हो जाती। बिना किसी और मदद की अपेक्षा किए और बिना अपने तमाम साथियों से या दोस्तों से मांगे हुए। भैया, विधायक बन गए हैं। गलती से कुछ पैसा वैसा दे दो। दफ्तर नहीं चल रहा, कुछ मदद कर दो। जैसा कि हम में से बहुत लोग करते रहे हैं। इस सबके बिना व्यावहारिक सेलेरी क्या होनी चाहिए, इसको लेकर आपने एक समिति का गठन किया। मैं कहूं कि पहली बार किसी सदन के इतिहास में ऐसा हुआ है तो उसका श्रेय आपको जाता है। ये वास्तव में एक बहुत revolutionary क्रान्तिकारी मूव था। आपके द्वारा गठित समिति से प्रेरणा लेकर ये भी सदन के संज्ञान में रहे कि आपके द्वारा गठित समिति से प्रेरणा लेकर देश की संसद में भी इस तरह की समिति गठित की जा रही है। क्योंकि वहां हम लोग जानते हैं हम लोग भी पढ़ते रहते हैं; अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं वैसे भी आदरणीय वैकया नायडू जी ने खुद इसकी जानकारी प्रेस कांफ्रेस में दी थी और सूचना के लिए जो अभी देश में संसद में व्यवस्थाएं हैं, उसके तहत योगी आदित्य नाथ जी जो भा.जा.पा. के सांसद हैं, वो वहां की सेलेरी कमेटी का जैसे हमारे यहां भी विधायकों की सेलेरी कमेटी है, हमारे सदन में भी संसद में भी एक सेलेरी कमेटी है। वहां कमेटी सेलेरी और एलाउंस की कमैटी है पार्लियामेंट में। उसको भा.जा.पा. के सांसद योगी आदित्य नाथ जी चेयर करते हैं। उनकी कमेटी ने सांसदों के भत्तों में काफी सिग्निफिकंट हाइक की बात की थी और वो भी चर्चा में आई हैं, उसमें क्योंकि

संसद का मसला है, मैं ज्यादा उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन जो ये समिति है, यहां विधायकों की सेलेरी एंड एलाउंस कमेटी ने अपनी तनख्वाहें तय करने का निर्णय नहीं लिया। एक एक्सपर्ट कमेटी जो देखे कि देश में अन्य विधान सभाओं में संसद में क्या सेलेरी भत्ते दिये जा रहे हैं, किन परिस्थितियों में दिये जा रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उस सबको देखते हुए उन्होंने काफी रिसर्च की। अलग–अलग विधानसभाओं का डेटा इकट्ठा किया और हम उसमें से कुछ नहीं छिपा रहे हैं। तीन चार महीने से ये कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक में खूब इस पर चर्चा हुई है। मीडिया में इस पर खूब चर्चा हुई है। वेबसाईट पर अवलेबल है रिपोर्ट। सरकार को लगता है कि जो आपके द्वारा गठित कमेटी थी। उस कमेटी की जो रिपोर्टस हैं, वो रीजनेबल हैं और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से केलकुलेट करके तैयार की गई थी। स्टडी करके तैयार की गई थी। दिल्ली सरकार की केबिनेट ने कमेटी की जो रिकमण्डेशन थी, उनको वैसा का वैसा ही स्वीकार किया है। हमें लगता है कि ये सदन भी उसको स्वीकार करेगा। मैं एक बार फिर से सदन की ओर से आपको बहुत–बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये भी सूचना दे दूं कि जिस तरह से हमारी इन्डिपेन्डेन्ट कमेटी का आइडिया पार्लियामेंट ने भी लिया है। इंडिपेंडेंट कमेटी ऐसी रिपोर्ट भी दे सकती थी जो विधायकों को पसंद नहीं आती। लेकिन विधायकों की ओर से कभी भी मुझे यहा सुनने को नहीं मिला कि विधायकों ने या सैलरी एंड अलाउंस कमेटी में शामिल विधायकों ने कहा हो कि साहब, यह तो हमारा हक था, हमको तय करना था, परंपरागत रूप से हम लोग तय करते रहे हैं, विधायक तय करते रहे हैं कि विधायकों

की तनख्वाह क्या हो। आपके फैसले को, सैलरी एंड अलाउंस कमेटी में शामिल विधायकों ने भी सर माथे पर लिया लेकिन इन–कंट्रास्ट, जब वैंकया नायडू जी ने यह कहा कि हम भी इंडिपेंडेंट कमेटी बनायेंगे सांसदों की सैलरी एंड अलाउंसेस तय करने के लिए, उस पर रिकमंडेशन देने के लिए, जो संसद की सैलरी एंड अलाउंस कमेटी है, उसने खुलेआम उसका विरोध किया कि नहीं साहब, इंडिपेंडेंट कमेटी कैसे तय करेगी, यह तो सांसदों का अधिकार है। मुझे लगता है कि इस सदन ने एक और नई परंपरा कायम की। इस कमेटी के जो माननीय विधायक सदस्य हैं, उनकी भी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने भी आपकी भावनाओं को समझते हुए और उसकी ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस को समझते हुए जो आपने कदम लिया, उन्होंने भी उसको समर्थन दिया। मैं सदन के समक्ष यह बिल संशोधन प्रस्तुत करते हुए सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस पर चर्चा करके इसको पारित करें और साथ ही अनुरोध करूंगा कि जो सदस्य इसके पक्ष न हो, सत्ता पक्ष में भी हो सकते हैं, विपक्ष में भी हो सकते हैं, वो खुल कर कह सकते हैं कि हम इसके तहत बढ़ी हुई सैलरी को स्वीकार नहीं करेंगे। वो खुल कर निर्णय ले सकते हैं।

Jh fotsUnz xqIrk % उसका आप पूरा प्रोसेस बता दीजिए।

mi e[;eU=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन विधेयकों पर विचार किया जाये।

Jh fotsUnz xqIrk % आप इंडिविजुअल से जोड़ रहे हैं या पॉलिसी से

जोड़ रहे हैं? इससे कुछ ऐसा है कि यह इंडिविजुअली इम्प्लिमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो बताइये। एक्सप्लेन कर दीजिए।

mi e[;e=h % मैं जहां तक जानता हूं इस देश में बहुत सारे विधायक और...(व्यवधान)

Jh fotUn xIrk % वो अलग बात है कि एक भी पैसा न लें। लेकिन यह पार्टली पेमेंट हो सकती है क्या?

mi e[;e=h % समय–समय पर तय किया है।

Jh fotUn xIrk % पुराने बिल से और नये बिल से अलग–अलग हो सकती है क्या?

mi e[;e=h % इस देश में बहुत सारे मंत्री, विधायक और सांसद ऐसे रहे हैं जिन्होंने इसी समय पर निर्णय लेकर अपनी यह घोषणा की थी कि मैं तो जी, एक रुपया लूंगा सदन से।

Jh fotUn xIrk % हां, वो अलग बात है।...(व्यवधान)

mi e[;e=h % वो उनका है तो अभी भी कोई माननीय सदस्य चाहे तो तय कर सकता है कि मुझे तो पुरानी वाली तनख्वाह मिलनी चाहिए। मुझे नई तनख्वाह नहीं मिले, वो सदस्यों की अपनी व्यक्तिगत राय है। मैंने कहा कि वो घोषणा भी कर सकते हैं।

Jh fotUn xIrk % हम जानना चाहते हैं, हम समझना चाह रहे हैं। हो सकता है हम कोई निर्णय लें फिर ऐसा। हमारा यह कहना है।

mi e[;e=h % उसमें ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है। लेकिन विशेष प्रावधानों...(व्यवधान)

Jh fotUn xqIrk % पॉलिसी डिसिजन आप कर रह हैं लॉ चेंज कर रहे हैं उसको मंत्री जी पूरा डिस्क्राइब करिये। क्योंकि...(व्यवधान)

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि...(व्यवधान)

Jh fotUn xqIrk % कोई भी लॉ या पॉलिसी या तो लागू होती है या नहीं होती है। जब वो कानून ही बन जाएगा तो या तो मैं एक भी नहीं लूंगा।

mi e[;e=h % जब यह सदन पास करेगा तो लागू ही होगा। लेकिन व्यक्तिगत च्वाइस के आधार पर कुछ लोग चाहें तो उसमें से एबस्टेन कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन विधेयकों पर विचार किया जाये। ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % ठीक है।

mi e[;e=h % मैंने उसके लिए प्रस्तुत किये।

v/;{k egkn; % चर्चा में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कह दिया साथ के साथ। पुनः एक बार विचार के लिए सेक्रेट्री साहब कह रहे हैं, आप पटल पर रखें।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया जाये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि संबंधी विधेयक, राष्ट्रीय

संशोधन विधेयक, मंत्रियों के वेतन, भत्ते संशोधन विधेयक, विधान सभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के वेतन, भत्ते संबंधी संशोधन विधेयक, विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष के वेतन एवं भत्ते संशोधन संबंधी विधेयक और विधान सभा के मुख्य सचेतक के वेतन, भत्ते संशोधन विधेयक, मैंने संक्षिप्त में सब विधेयकों के नाम ले दिये हैं आपकी अनुमति से।

v/;{k egkn; % अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

उन्होंने चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा है। अब अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी से ही शुरूआत करता हूं।

Jh fotUn xIrk % पहले वहां से बुलवाओ।

v/;{k egkn; % मैं वहीं खत्म नहीं करूंगा, आप चिंता मत करिये। आप शुरूआत करो, बाकी हां बोलने वाले हैं सब। उसमें कुछ कमियां हैं तो रख दीजिए।

Jh fotUn xIrk % हम समझना चाहते हैं ना, जैसे आपने एक लॉजिक रखा और लॉजिक आये। हो सकता है हम आपके लॉजिक से सहमत हो जायें।

v/;{k egkn; % श्री संजीव झा जी।

Jh latho >k % अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक इंडीपेंडेंट कमेटी बनाई और उसकी रिकमंडेशन आई। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने इसको गंभीरता से लिया। मेरा ये दूसरा टर्म है। पहले टर्म में मैं एक साल विधायक रहा। इस बार दसवां महीना चल रहा है। मैंने ये देखा कि अब जब जनता के प्रतिनिधि होकर जनता का काम करते हैं तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैंने ये देखा और महसूस किया कि आप कोई भी काम पूरे समर्पण से और जनता के हित के लिए तभी काम कर पाएंगे जब आपका परिवार और परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, उनका ठीक से निर्वहन हो। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ऐतिहासिक सदन है। इससे पहले जो इस सदन के सदस्य हुआ करते थे, उनकी अगर एनुअल सैलरी वाले अकाउंट को देखा जाए तो कभी वो आपनी सेरली को टच भी नहीं किया करते होंगे। मैं ये दावे से कहता हूं कि यहां जो सदन के 90 प्रतिशत सदस्य हैं, उनका मेरे ख्याल से दसवें दिन अकाउंट खाली हो जाया करता है क्योंकि हम सब लोग कोई पेशे से राजनीतिज्ञ नहीं थे। एक आंदोलन की शुरूआत हुई, उसके बाद हममें से कई सारे सदस्यों ने अपने घर परिवार नौकरी को छोड़कर के इस जिम्मेदारी को लिया और एक ऐतिहासिक सदन का हिस्सा बनने का मौका मिला। यहां कई सारे सदस्य हैं जो अपनी बड़े–बड़े पैकेज को छोड़कर के इस सदन का हिस्सा बनने आये हैं। आदर्श भाई हैं, सौरभ भाई होंगे और बहुत सारे ऐसे साथी हैं। कई बार जब हम लोग आपस में बात करते थे, एक मजाकिया

वाकिया भी हुआ करता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जब वो बड़े पैकेज पर नौकरी करते थे, उनकी शादी इसीलिए हुई थी कि बड़े–बड़े पैकेज पर थे वो। जब वो छोड़कर के यहां आये तो घर से आना मुश्किल हो गया। इतने सारे ताने सुनने को मिलते थे कि हमने इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम क्रांतिकारी बन जाओगे, आंदोलनकारी बन जाओगे हमारा इस तरह की यातनाएं जो फाइनेन्शियल कम्पलशन थे, वो सहना पड़ेगा तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जरूरी फैसला है। मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि ईमानदारी से तभी काम कर पाएगा जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी पारिवारिक सारी जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी को ठीक से पूरी कर पाये, अगर नहीं तो फिर कोई न कोई रास्ता निकालेगा और वहीं से भ्रष्टाचार की शुरूआत होती है। पिछले एक–दो साल में बहुत बार ऐसा लगा अपने साथियों से बातचीत करके, बहुत सारी मजबूरियों का सामना करना पड़ता है लेकिन जनता ने इतिहास रचा है और अब इतिहास रचने की बारी हमारी है। तो हम सब लोग दिन रात जनहित के काम करते रहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि साथ में जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो ठीक से पूरी हों तो इसीलिए ये जो फैसला है, ये स्वागत योग्य है। मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा साथी हमारे जैसे ही हैं। हम सब लोग भी अपनी नौकरी छोड़कर के यहां आये और दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में आप जो ये प्रस्ताव लाये, ये प्रस्ताव स्वागत योग्य है। मैं आपका आभारी हूं, सरकार का आभारी हूं कि आप सबने ये कोशिश की है कि जनप्रतिनिधि किसी तरह की कोई गड़बडियां न करे, मजबूरियां न रह जाएं। कमेटी की रिपोर्ट को

मैंने पढ़ा और देखा तो पाया कि बखूबी से उन सारी बारीकियों पर ध्यान रखा है कि क्या एक मिनिमम सेलरी होनी चाहिए ताकि घर परिवार ठीक से चल पाए। ये कदम स्वागत योग्य है। मैं आपका आभारी हूं और सरकार का भी आभारी हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % सरिता सिंह जी, बहुत संक्षेप में बोलें तो समय पर ये सब पूरा हो जाए।

l|Jh lfjrk fl|g % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, यहां पर पहली लाईन में लिखा हुआ है कि "for the past sometime, there has been persistent demand from the MLAs for the increase in salaries and perks and I am one of those MLAs. जो लगातार शायद आपके पास सरकार के पास इस गुहार से जाती थी कि एक बार तो जरूर इस बात पर विचार करना चाहिए इसको बढ़ाने के लिए क्या कदम किए जाये उस पर चर्चा करनी चाहिए और वो कदम लेना चाहिए उसके पीछे कुछ रिजन्स हैं। मैं यूपीएससी की प्रिपिरेशन कर रही थी आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन में लग गए, आंदोलन करते करते कब पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने चुनाव लड़वाया, वालन्टियर ने चंदा दिया, उस समय तक कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि परिवार की तरफ जैसा संजीव भाई ने बताया कि परिवार की तरफ एक जिम्मेदारी है, उसको भी निभाना है, समाज की तरफ एक जिम्मेदारी है, उसको भी निभाना है, वो कैसे किया जाए, बहुत आसान सा एक सफर था, चार साल का लाठियां बहुत खाई, पर फाइनेंशियल क्राइसिस कभी महसूस नहीं किया क्योंकि वो रिक्वायरमैंट नहीं थी।

पर जब विधायक बने एक बिल्कुल नये तरीके का, नये तरीके की जिम्मेदारी मिल गई, समाज में we are a socil being एक विधायक को एक जन प्रतिनिधि ा को हमेशा जनता के बीच रहना पड़ता है, तो दो चीजें थीं, मेरे यहां अशोक नगर एक वार्ड है, मैं एग्जाम्पल क्यों दू रही हूं कि मैं क्यों बार–बार आती थी, अशोक नगर वार्ड है मेरे यहां पर। वहां पर सीवर का काम चल रहा था। ये पहले पुराना काम था तो वहां का ठेकेदार था, उसने किसी वालंटियर या किसी जानकार के थ्रू मुझे एक मैसेज पहुंचाया कि मैडम से पूछ लो उनका शेयर कितना है, तब मैंने उनको क्लीयर इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगली बार टैंडर भी नहीं मिलेगा अगर ये हरकत की तो और ये ऐसे लुभावने जो आकर्षण थे, ये अलग–अलग सोर्सिज से आते थे, फिर लगा कि ऐसा क्यों है? महीने की तीस तारीख को शाम के टाइम पर 53,500 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाते हैं जिसमें 12 हजार बेसिक सैलरी है मैं उसका विवरण देना चाहूंगी, अपने ऊपर जो मेरे खर्च हैं, हर महीने, महीने की एक तारीख को 14 हजार रुपये मुझे घर का किराया देना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में मेरे पास मकान नहीं है। क्योंकि विधायक हूं इधर–उधर जाना पड़ता है, तो एक गाड़ी है जिसके तेल की, मैंटेनेंस की, ये बहुत छोटी चीज है, जिसके तेल की, मैंटेनेंस का खर्चा है घर में राशन लाना पड़ता है, क्योंकि मां, भाई, बहन साथ में रह रहे हैं। तो ठीक हम आंदोलनकारी थे, हम सड़कों पर सो जाते थे, हम कुछ भी कर लेते थे, पर आज जब बेटी विधायक बन गई है, तो उनकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं कम से कम वो दो वक्त की रोटी तो अपनी मां को खिला सके, उसी तरह की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, चार वार्ड है, चार वार्ड में चार वार्ड ऑफीसर हैं उसमें

स्टाफ है, तो कुल मिला के जो विधान सभा कार्यालय से हमारे पास में 30 हजार रुपये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर को जोड़ कर हर महीने में 83 हजार रुपये लगभग हमारे पास आते थे और महीने में खर्च जो जोड़ा जाए वो था लगभग डेढ़ से पोने दो लाख जो बिल्कुल भी नाजायज नहीं था, जो बिल्कुल रोटी, कपड़ा और मकान पर खर्च किया जाना था। फिर ये तय हमें करना पड़ा कि अब हम क्या करें, क्या हम वो दूसरा रास्ता अपनाएं? क्या हम वो जेई, ठेकेदार से मदद लेना शुरू करें जो आज तक के सारे विधायक करते होंगे? मैं सरप्राईज्ड हूं, इस बार रामलीला में, जब मैं रामलीला में जाती थी, जहां कोई भी ऐसा फंक्शन हुआ, वहां पर गई, वहां पर मेरे यहां के जो काउंसलर थे, वो पूर्व काउंसलर थे या पूर्व विधायक थे, उन्होंने 21 हजार का चैक दिया मैंने सोचा 21 हजार का चैक तो मैं कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो इमानदारी से कमा रहे हैं उस ईमानदारी से 21 हजार का चैक एक विधायक कैसे दे सकता है, ये मूलभूत सवाल है, कैसे आया वो 21 हजार, 25 हजार, 40 हजार, वो 11 हजार, वो 500 रुपये कहां से आए? मेरे पास किसी बेटी की शादी में देने के लिए भी 500 रुपये नहीं होते हैं, 28 तारीख की बात है, 30 तारीख को सैलरी आती है बिल्कुल ईमानदारी से यहां कहना चाहती हूं। क्योंकि ये मेरा घर है, यहां से ही ये आवाज उठी है, 28 तारीख को संजीव भईया, मनीष जी, सब गवाह हैं, उस दिन के मेरे पास अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे, ये सच्चाई है, तो बहुत–बहुत धन्यवाद इस सरकार का, बहुत–बहुत धन्यवाद आपका की एक इंडिपेंडेंट कमेटी आपने बनाई, इसमें चर्चा की कि हम अपने विधायकों को एक ऐसा माहौल देंगे जिस माहौल में वो ईमानदारी से काम कर पाएंगे। ये जो एक प्रयास है वो एक सुटेबल, एप्रोप्रिएट, एटमास्फेयर क्रिएट

करने की बात है, यहां पर एक ऐसा माहौल क्रियेट किया जाए और जन लोकपाल आने वाला है, बिल्कुल अगर हमारी सैलरी बढ़ेगी, अलाउंस बढ़ेंगे, भत्ते बढ़ेंगे तो जन लोकपाल में भी ये तय किया जाएगा कि चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, नुमाइंदा हो, विधायक हो अगर वो कोई वो भी गलत काम करता पाया गया तो उसकी जगह जेल ही होगी, कुछ ओर नहीं होगा, इसलिए इस पूरे बिल को तो मैं पूर्णतः समर्थन देती हूं और विधायकों के दर्द को समझने के लिए, जो आपने समझा उसके लिए बहुत—बहुत धन्यवाद और हम सब इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं।

v/;{k egkn; % मेरे पास अभी तीन सदस्यों के नाम और हैं। वे बहुत संक्षेप में बोलें। आज कार्यक्रम भी है। तो उसको जो भावना सरिता जी ने प्रकट की है, संजीव जी ने प्रकट की है। काफी कुछ हो चुका। अखिलेश जी।

Jh vf[ky'kifr f=ikBh % धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज न केवल एक देश के लिए ये बताया गया कि एक स्वतंत्र कमेटी गठित हो सकती है। अपने हित तो सब लोग सोच लेते हैं। अभी जैसे बता रहे थे कि अपने हित तो सभी लोग सोच लेते हैं। लेकिन जब आपने हित का एस्टीमेट, क्या आवश्यकतायें हैं, क्या हो सकती हैं। कितने में परिवार सही से चल सकता है और किस तरीके से आप पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए जब कोई स्वतंत्र व्यक्ति बैठ करके तय करता है। उसका एक पहली बार नजारा देखने को मिला, क्योंकि उसके पहले तो अपने—अपने बैठ करके खिचड़ी पक

जाया करती थी और कर लेते थे। इसके लिए बहुत धन्यवाद। स्वतंत्र कमेटी बनाने के लिए। ये एक नजीर बना है जो पूरे देश में, जिसकी चर्चा संसद में भी आ रही है। जैसे संजीव भाई बता रहे थे कि हम लोग जॉब करने के साथ–साथ आन्दोलन में सम्मिलित हुए और पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी कि आपको चुनाव लड़ना है। पार्टी ने चुनाव लड़ाया और जब आये तो सही मायने में सही कह रहे हैं कि एक नया माहौल, उसके पहले हमने नहीं समझा था कि पैसे का अभाव क्या होता है। क्योंकि तब मां–बाप की जिम्मेदारियों के तहत पढ़ रहे थे लेकिन जब आये उनको लगा कि रुपये 53500/- सेलरी मिलती है बच्चे को। लेकिन बहुत सारे साथी थे जो आज रहते हैं और दूसरी बार जीत करके आया लेकिन मैं नहीं समझता, आज भी हम लोग संजीव के यहां जाते हैं, प्रवीण के यहां जाते हैं, चाहे सरिता के यहां जाते हैं तो आज भी हम लोग उसी फर्श पर एक गद्दा डालके सो लेते हैं और सुबह उसे उठाकर रख लिया करते हैं और वो हम लोग सोचा करते थे कि कैसे, आखिर कैसे पहले के नेता ये कर लिया करते थे। हमें समझ में नहीं आता।

v/;{k egksn; % कन्क्लूड करिए। अखिलेश जी। प्लीज। आज देखिए न समय कितना हो गया। थोड़ा प्लीज। अखिलेश जी, कन्क्लूड करिए जल्दी।

Jh vf[kys'kifr f=ikBh % हमें निश्चिंत होकर के अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव लाया और अब हम लोग पहले से भी मजबूरी से काम कर रहे थे अपने कार्यक्षेत्र में। इसके बाद और

भी मजबूती से कार्य कर सकेंगे और चूंकि हम लोग बहुत ही मजबूत कानून भी ला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये कानून और मजबूती से लागू हो क्योंकि अब किसी तरीके की कमी किसी के लिए नहीं छोड़ी जा रही है। ये प्रस्ताव लाने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % प्रवीण कुमार जी।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % जगदीप जी का पकड़िये। उन्होंने कुंवारे क्यों लिये हैं। प्रवीण जी जल्दी करिए। अच्छा बैठिए। भई ऐसे नहीं। देखिये, ये आप प्लीज बैठ जाईये। प्लीज मैं प्रार्थना कर रहा हूं बैठिए। प्रवीण जी शुरू करिए। हर विषय पर नहीं होता है। जगदीप जी, प्लीज रोकिए।

Jh izoh.k dqekj % अध्यक्ष महोदय, एक्चूवली ये विधायकों की पीड़ा है जो आपके सामने निकालना चाहते हैं और निकल रही है क्योंकि कई सालों से इसके बारे में नहीं सोचा गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय एक इन्डीपेन्डेन्ट कमेटी ने इस गम्भीर मुद्दे पर चर्चा करके जिस तरीके का प्रपोजल लिया है, वो बहुत सराहनीय है। अध्यक्ष महोदय, पहले जिस तरीके की पालिटिक्स होती आई है, मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली मेरी विधान सभा के जो पूर्व विधायक हैं उनकी बेसिक सैलरी तो मुझे लगता है जो आपके एकाउण्ट विधानसभा के एकाउण्ट से बारह हजार रुपये जाती थी लेकिन असलियत में बारह लाख से कम का उनका बैंक बैलेंस कभी नहीं आया किसी भी महीने क्योंकि जिस तरीके के सोर्स

ऑफ मीन्स, सोर्स ऑफ इन्कम उनके पास हैं, वो न कभी हम जनरेट करना चाहते हैं ना कभी उनके बारे में सोचना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं जिस गली में निकल जाऊं, उसी गली में उनके लेण्ड ग्रेविंग के चर्चे चलते रहते हैं, उनको लाखों रुपये वहीं से किराया आता रहता है। अध्यक्ष महोदय, आज इस कमेटी ने अपना प्रापोजल दे के एक ईमानदार सोच की शुरूआत की है। अध्यक्ष महोदय, हमें यह ज्ञात है कि यह जनता का पैसा है और यहां पर शपथ लेकर इसको बताना चाहेंगे कि जनता ने जो हमें अपनी पब्लिक मनी दिया है, सैलरी के रूप में। उसे हम अपनी ईमानदारी से साबित करेंगे और ईमानदारी के काम करके जनता को यह बतायेंगे कि अगर सच्ची नीयत और साफ नीयत हो तो कोई भी काजल की कोठरी में से आपको दाग नहीं लग सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा।

v/;{k egkn; % उदाहरण ना दीजिये प्लीज।

Jh i.oh.k dekj % एक छोटा सा उदाहरण है।...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % उदाहरण सबको मालूम है। उदाहरण तो तब दीजियेगा जब शादी हो जायेगी। तब उदाहरण दीजियेगा। कम्पलीट कीजिये ...(व्यवधान)

Jh i.oh.k dekj % अध्यक्ष महोदय, मेरी सैलरी जो विधानसभा के एकाउंट से आती है। पचास हजार...54 हजार रुपये होती है, 15 हजार रुपये ऑफिस का रेन्ट होता है, 15 हजार रुपये घर का रेन्ट होता है पांच दस हजार रुपये गाड़ी और राशन पानी का खर्चा होता है बचे दस हजार रुपये वो पड़ौसी

उधार दे देता है या दोस्त उधार दे देते हैं।...(व्यवधान)

lqJh Hkkouk xkSM+ % जो शादीशुदा बैठे हैं, उनसे भी पूछियेगा।

Jh izoh.k dqekj % इसमें एक बात और जोड़ देता हूं अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...क्योंकि मैं तो कुवारा हूं तो खर्चा थोड़ा कम है लेकिन जो शादीशुदा भाई लोग हैं इनका तो फीस का भी खर्चा है। मुझे तो सिर्फ अपने आपको पालना पड़ता है, इन्हें अपने घर के फेमिली मेम्बर्स को भी पालना पड़ता है तो इसलिए इनकी रिक्वायरमेन्ट भी ज्यादा...(व्यवधान)...इसलिये बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

v/;{k egksn; % चलिये हो गया। सोमदत्त जी। बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में।

Jh lksenÙk % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व में गवर्नमैन्ट सर्विस में था और लगभग 36 हजार रुपये मेरी सैलरी थी अध्यक्ष महोदय, सप्ताह में पांच दिन दस बजे से लेकर साढ़े पांच बजे तक काम करना पड़ता था। दो दिन की छुट्टी होती थी और जैसे ही डिपार्टमेन्ट चेंज हुआ मतलब सक्रिय राजनीति में आये या पब्लिक ने हम लोगों को जिताया, जनप्रतिनिधि बन गये तो वर्किंग आवर्स बढ़ गये। अब सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे काम करना पड़ता है। सुबह पांच बजे पानी नहीं आता तो भी साथी फोन करके जगाने घर पर आ जाते हैं, रात को दो बजे किसी मोहल्ले में कोई बीमार हो गया तो भी उसको साथ में ले के अस्पताल जाना पड़ता है और सैलरी तीन गुणा कम हो गई बारह हजार रुपये पर आ गई है अध्यक्ष महोदय। एक पत्रकार मुझसे पूछ रह थे कि क्या हुआ ये प्रमोशन है या डिमोशन है? मैंने कहा 36 हजार

से बारह हजार पर आ गया आप ही अपने आप गेस कर लो ये प्रमोशन है या डिमोशन है...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिकल में दुख और दर्द हैं जो मेरे सभी साथी झेल रहे होंगे। रोजाना दस से पन्द्रह सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं, जन्मदिन में जाते हैं। बच्चे के लिये गिफ्ट भी लेना पड़ता है, कहीं किसी के शादी ब्याह में जाते हैं वहां शगुन भी, कन्यादान भी डालना पड़ता है। इसके अलावा एक पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करते हुए धर्मपत्नी, बच्चे, बच्चों के स्कूल की फीस, बारह हजार रुपये में ये सब चीजें मैनेज कर पाना, ईमानदारी से मैनेज कर पाना, यहां जितने साथी मौजूद हैं। सभी इस दर्द से वाकिफ होंगे। बारह हजार रुपये में ये सब चीजें मैनेज कर पाना लगभग लगभग इम्पासिबल है। मेरे से पूर्व के विधायक पुराने जनप्रति–निधि कैसे करते थे, मुझे नहीं पता पर बारह हजार रुपये में ये सारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं ईमानदारी से निर्वाह कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है इस सदन के साथियों से मेरी प्रार्थना है ये बिल, इसे बहुत जल्दी से जल्दी, अब मैं सभी साथियों से इस पर सहयोग चाहूंगा। सब इसे समर्थन दें, ये हमारी जायज मांग है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।

v/;{k egkn; % धन्यवाद। सदन का समय साढ़े छह बजे तक बढ़ाने की अनुमति सदन से चाहता हूं जरा...(व्यवधान) भई वेद प्रकाश जी जरा नाराज हो रहे हैं दो मिनट बोल दीजिये।...(व्यवधान) शादी शुदा आ गये, वेद प्रकाश जी।...(व्यवधान) वेद प्रकाश जी शादी शुदा हैं ना?

(सदन का समय 6.30 बजे तक बढ़ाया गया)

Jh on i:dk'k % माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % एक मिनट में समाप्त करिये।

Jh on i:dk'k % आपने मुझे बोलने के लिये टाईम दिया। मैं आपसे असिलत बताना चाहूंगा इस बिल की। क्या था जी मेरी विधानसभा 35 किलोमीटर लंबी है। हर रोज के पचास शादी होती हैं जी पचास कन्यादान डालता हूं जी। मेरी मां मुझे एक लाख रुपया देती है जी, तभी से कई साल से राजनीति के, लेकिन अब मैं मां से दो लेने लगा, वो बोली भई, क्या बात है, तनख्वाह भी मिलती है मैंने कहा मां खर्चा बढ़ गया। हर रोज तीन सौ आदमी चाय पीने आते हैं जी, रसोई तो मेरी बीवी चला लेती है। वो लेकचरार है, कोई चिन्ता नहीं है जी। लेकिन जी एक जो बिल बढाया गया है ना जी इतना बड़ा काम किया है भाजपा के विधायक जी मेरे से कह रहे थे कब तनख्वाह बढ़ेगी? मैं नाम नहीं बताऊंगा जी, नाम नहीं बताऊंगा जी। उनको पता चल गया है मैंने पूछा था और जी ये एक ईमानदारी राजनीतिक की शुरूआत है जी। ये क्योंकि कोई भी विधायक अगर ईमानदारी से राजनीति करेगा, अपना आफिस चलायेगा तो उसको जी कम से कम ढाई तीन लाख रुपये तनख्वाह चाहिये जी। कम से कम चाहिये जी, सबको पता है जी।

v/;{k egkn; % वेद जी, कन्कलूड करिये प्लीज।

Jh on i:dk'k % कुछ लोग कहते हैं मैं एक रुपया तनख्वाह लूंगा जी।

v/;{k egkn; % वेद जी, कन्कलूड करिये प्लीज।

Jh on i:dk'k % बस एक मिनट और जी।

v/;{k egksn; % सभी विधायक बोलना चाहते हैं इस पर, ...(व्यवधान)... वेद जी कन्कलूड करिये प्लीज।...(व्यवधान)...

Jh on i:dk'k % ...(व्यवधान)... आपने इतना अच्छा कदम उठाया धन्यवाद।

v/;{k egksn; % मैं दो विधायकों को अनुमति दे रहा हूं इसके अलावा। अमानतुल्लाह जी, जल्दी करिये कम्पलीट...(व्यवधान)

Jh vekur`Yykg [kku % अध्यक्ष महोदय जी धन्यवाद।

v/;{k egksn; % नहीं है समय आज, सारा बाहर कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जायेगा। अमानतुल्लाह जी जल्दी कम्पलीट करिये...(व्यवधान)

Jh vekur`Yykg [kku % मैं विजेन्द्र जी, जिस तरह से मालूम है जैसे एक लाख करते हैं मुखालफत करते हैं। ये फिर से करेंगे मुखाल्फत। मैं तो सिर्फ इन से इतना पूछना चाहता हूं कि ये विधायक हैं इनका ऑफिस भी होगा ऑफिस का खर्चा भी होगा तो इनके घर में भी होगा बच्चे भी हैं, बच्चों का खर्चा भी होगा। अभी शादी आ रही है एक बड़ी सी। उसका भी खर्चा है जिस तरह ये सारे विधायक बता रहे हैं कि उनका कोई कारोबार नहीं है, जिसका था, वह भी खत्म हो गया, इनका कारोबार अभी होगा। जिसका कारोबार नहीं है वो कैसे इस पैसे में जो मिलता है ये मुखालफत करेंगे और कर रहे हैं ये, ये जरूर बतायें कि वो अपनी विधायिका कैसे चलाएं? तीस दिन कैसे चलाएं?

क्योंकि ये बड़े समझदार आदमी हैं और बड़ा अच्छा बोलना भी जानते हैं। हरेक आदमी एक लाख मुखालफत इसमें जरूर कर रहा है लेकिन वे जरूर बताये भई, तीस दिन कैसे चलाएं? कैसे वो अपनी गाड़ी चलायें, कैसे पांच लोगों का उसका कम से कम ऑफिस का स्टाफ है, सत्तर पच्चहतर हजार तनख्वाह है वह कहां से लाये। ये मैं जरूर इनसे सुनना चाहूंगा...(व्यवधान) नहीं तो जी आपको हम बोलने नहीं देंगे...(व्यवधान)

v/;{k egkn; ½ बैठिये। सोमनाथ जी प्लीज...(व्यवधान) जनरैल सिंह जी बस लास्ट। जनरैल जी। मैं अन्य सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं ...(व्यवधान) कार्यक्रम सारा खराब हो जायेगा। मैंने जनरैल जी को समय दिया है। दो मिनट, एक मिनट रुक जाइये प्लीज।...(व्यवधान) नहीं जनरैल जी। जल्दी जल्दी समाप्त करिये।

Jh tjuy flg ¼रा.गा.½ ½ अध्यक्ष जी, एक मिनट दे दीजिए।

mi e[;e=h ½ अध्यक्ष महोदय, एक सैकेंड, मेरा सारे साथियों से यह अनुरोध है कि सदन में किसी भी प्रस्ताव पर बोलने के लिए कुछ परंपरा, कुछ जरूरतें हैं। आपके सामने शैड्यूल भी था, आपके सामने सारी चीजें थीं निश्चित रूप से आपके मन में हो सकता है अभी कोई विचार आ रहा हो लेकिन यह तो शैड्यूल में भी था, कल के बिजनैस में भी था तो अध्यक्ष जी को, जगदीप जी के माध्यम से नाम दे दें तो उससे क्या है कि अगर 25 नाम आते हैं कौन से 5 बोलेंगे वो तय कर लिया जाएगा। लेकिन अब अध्यक्ष जी के पास में जो नाम हैं, जिन्होंने नाम दिये, उनके इतर जब हम यहां माहौल इस तरह से करेंगे और वो हमेशा होता है। थोड़ी सी इसकी भी परंपरा रखें कि हमको

किस–किस विषय पर बोलना है उसमें पहले से भी अध्यक्ष जी को नाम देकर रखें। वरना कोई भी साथी अपनी बात गम्भीरता से कहना चाहता है। पांच साथी उसके साथ कहना चाहते हैं कि पहले मेरी बात सुनो। दूसरे की मत सुनो। यह परम्परा ठीक नहीं है। वो चाहे विपक्ष बोल रहे हों, सत्ता पक्ष से बोल रहे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं तो हम अभी क्यों याद आ रहा है कि हमको बोलना है परसों से क्यों याद नहीं आ रहा था, कल से क्यों याद नहीं आ रहा था? मेरी क्या रिक्वेस्ट है।

v/;{k egkn; ½ जरनैल जी बहुत संक्षेप में।

Jh tjuSy flag ¼रा.गा.½ ½ मैं दो मिनट ज्यादा नहीं लूंगा। मैं इस विषय पर सिर्फ इसीलिये बोलना चाहता था कि कहीं न कहीं एक भावना किसी न किसी के मन में रहती है कि हम जो सैलरी बढ़ा रहे हैं, हमारे वालेन्टियर भी हैं, हम कोई अनैतिक काम तो नहीं कर रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम विधायक हैं मेम्बर ऑफ असैम्बली है, हमारा काम है कानून बनाना, हमारा काम है विधान सभा में आना, चर्चा करना और कानून बनाना और इसी हिसाब से हमारे भत्ते जो हम सदन में आयेंगे, जितने दिन तय करेंगे वो होता है लेकिन जो कानून हम बना देते हैं, उसके ऊपर इम्पिलिमेन्टेशन करना है एक्जीक्यूटिव को, कार्यकारिणी को, लेकिन आज सच यह है कि उस कार्यकारिणी की भूमिका भी इस एमएलए को निभानी पड़ रही है। अगर कहीं सीवर ठीक नहीं है तो एमएलए, लाईट ठीक नहीं है तो एमएलए, सड़क ठीक नहीं है तो एमएलए, पेन्शन नहीं मिल रही है तो एमएलए तो क्या एमएलए का काम ये नहीं है? एमएलए तो लेजिस्लेटिव असेम्बली का मैम्बर है। अगर हमारी व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि कार्यकारिणी अपनी भूमिका निभा नहीं पाती है तो वह

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास उसका ऑफिस है, उसका स्टॉफ है उसके पास उसको निभाने के लिये आज हम जन लोकपाल लेकर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो जन लोकपाल होगा, जो उसका मैम्बर होगा, उसको जो चीफ जस्टिस होगा उसकी सैलरी मिलेगी, उसकी पेन्शन मिलेगी। जो रोल उसको अदा करना है।

v/;{k egkn; % जरनैल जी, प्लीज कन्क्लूड करिये। आपका विषय समझ में आ गया।

Jh tjuSy flg ¼रा.गा.½ % अगर व्यवस्था नहीं चल रही है। एमएलए को दोहरा रोल अदा करना पड़ रहा है तो जो एक्जीक्यूटिव की भूमिका अदा कर रहा है तो मैं कहता हूं कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस इनको दे दिये जायें कि यह आपकी गाड़ी है, यह आपका स्टॉफ है तो उसको कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % अब नहीं प्लीज। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी। देखिये मैं एक बात कह रहा हूं कि इसमें विजेन्द्र गुप्ता जी का कोई कसूर नहीं है। अगर वो इधर बैठे होते तो निश्चित रूप से खुले दिल से इस प्रस्ताव का समर्थन करते। चलिये बोलिए जगदीश जी। जल्दी करिये।

Jh txnh'k i/kku % अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं। जैसे आपने आदेश किया, उससे पहले मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। सभी साथियों ने यहां अपनी–अपनी बात सैलरी बढ़ाने के लिये कही और कई महीनों से बल्कि कई सालों से एक आवाज चल रही है कि जन लोकपाल आए और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली हो। यहां एक भी सदस्य ने इस बात

को नहीं उठाया कि जो कॉर्पोरेशन के मैम्बर हैं, उनकी तनख्वाह का प्रावधान किया जाये। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसा विदित हो रहा है कि विधायक अपने लिये फरमाइश कर रहे हैं और दिल्ली को वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं तो दिल्ली नगर निगम के जो सदस्य हैं, उनकी भी तनख्वाह का कुछ इन्तजाम दिल्ली सरकार करे। यह मेरा आपसे आग्रह है।

v/;{k egkn; % चलिये, बैठिये।

Jh fotUn xIrk % सभी सदस्यों ने अपने–अपने तरीके से विषय रखा है और इस सरकार ने जो सैलरी का विषय है और सदस्यों ने भी जो भावना प्रकट की है उसको आवश्यकताओं से जोड़ा है। यह सुनिश्चित करते हुए कि भ्रष्टाचार को मिटाना है। हमारा यह कहना है कि जो बात जगदीश प्रधान जी ने कही, दिल्ली के अन्दर 70 प्रतिनिधि नहीं हैं सिर्फ, दिल्ली के अन्दर 272 जमा 70 हैं।

v/;{k egkn; % प्लस आप भी हैं।

Jh fotUn xIrk % सात सांसद हैं। सांसदों की सैलरी बढ़ाना इस सदन की परिधि के बाहर है। इस सदन के अधिकार क्षेत्र में 70 जमा 272 हैं यानी कि 332 हमारा यह कहना है कि अगर समस्या की बात जो आप कह रहे हो, इसको पूरे बड़े व्यू से लिया जाता है और वो कमेटी कॉर्पोरेशन के मैम्बर और विधायकों के दोनों के बारे में विचार करती। हम यह मानते हैं कि यह एक नीतिगत फैसले के तहत सरकार करना चाहती है। एक भी सदस्य ने इस बात को यहां नहीं उठाया। अब 12,000 रुपये सैलरी है उसे बढ़ाकर 50,000

रुपया किया जा रहा है। हम संदेश क्या दे रहे हैं? इसमें संदेश क्या निकलता है? 400 प्रतिशत की विधायकों ने अपनी सैलरी की वृद्धि की। क्या 400 प्रतिशत वृद्धि ठीक है? इसका जो बेसिक है, वो कम है। मैं अपनी अगर बात को कहूं कि 12000 है लेकिन क्या प्रोपोर्शनेट इन्क्रीज इसको अगर मैथमैटिक्स की भाषा में कहूं प्रोप्रोर्शनेट इन्क्रीज इस तरह से क्या किसी बाकी सैलरीज में भी हो सकता है। कभी हुआ है? हम लोग लॉ मेकर्स हैं, हमारी अपनी तकलीफें हो सकती हैं लेकिन उसका समाधान हमें प्रायरिटी तय करनी पड़ेगी कि कौन सी प्रायरिटी पर हम उसको करेंगे। क्या हम अपनी पहली प्रायरिटी पर करेंगे या लास्ट प्रायरिटी पर करेंगे। जो सदस्यों ने कहा, मैं उसको नकार नहीं सकता। नकारना नहीं चाहूंगा। लेकिन उन तमाम बाध्यताओं के बाद भी विपरीत परिस्थितियों में भी इस सदन से यह संदेश जाये कि हमने अपनी समस्याओं को समझ कर और अपने बारे में निर्णय कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि लोग एप्रिशिएट करेंगे। इसमें और बाकी जहां—जहां इस तरह की चीजें हैं, दिक्कतें हैं, उन पर भी अगर ध्यान करते तो बेहतर होता। इसलिये प्रस्ताव आने से पहले से ही इस बात का हमने विरोध किया है और अपने को अलग भी रखा है कि अपने कष्ट को, अपनी बात को सबसे पहले करने के लिये शायद हम घर के बड़े हैं, हमको यह बात शोभा नहीं देगी। सरकार ने कार्यालय खोलने की बात की है, कार्यालयों के लिए जगह देने की बात की है। स्टाफ देने की बात की है। वो समझ में आता है। उसकी रेलिवेन्स समझ में आती है। उसकी रेलिवेन्स समझ में आती है कि हां जी ठीक है। यही बात मैं ने अभी थोड़ी देर पहले फाईनेंस कमीशन के समय भी कही थी कि म्युनिसिपैलिटी के जिम्मे जितने काम हैं उतनी उनके पास धन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आपने फिर गौर नहीं किया। अगर आप उस पर भी गौर करते तो यह जो समस्या आप यहां कह रहे हो, उस

पर भी गौर करने की बात जनता की समझ में ज्यादा आती। इसलिये मैं यही कहूंगा कि इस प्रस्ताव को अभी स्टे किया जाये। अभी सरकार के जिम्मे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सरकार को करने हैं। अभी Seventh Pey Commission का बर्डन सरकार पर आना है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है अभी। अगर आप इसको इन्क्रीज करना भी चाहते हैं तो 12,000 से 50,000 न करके इसका प्रोपर्शनेट इन्क्रीज अभी मनीष जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने संसद की बात की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संसद में भी विचार चल रहा है। वेंकट नायडू जी की आपने बात कही, बिल्कुल ठीक बात है। वहां विचार चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि संसद एक साथ इतना बड़ा प्रोपोर्शनेट इन्क्रीज करेगी या करना चाहिए। ठीक है, आपका एक एक्सपैरीमैंट है, आप किस तरह सोचते हैं, उसको जनता किस तरह से लेगी या आपका अपना ओनस है क्योंकि सत्ता में आप हैं। सरकार आपके पास है, मैं विरोध करूंगा तब भी आपने अपना निर्णय अपनी नीतियों के हिसाब से लेना है और हम समर्थन करेंगे जब भी आपको नीतियों के हिसाब से लेना है। लेकिन फिर भी हम यह कहेंगे कि एक साथ 400 प्रतिशत इन्हान्समैन्ट 12,000 से 50,000 के प्रोपोर्शनेट ये बड़ी हायर साइड पर है, हम इससे सहमत नहीं हैं। इसमें कमेटी के फैसले पर जरूर पुर्नविचार होना चाहिये।

कमेटी ने जो भी लॉजिक दिए हैं, कमेटी में जो लोग भी थे, उसके पीछे क्या था, वो आप जानें, लेकिन हम इस पूरे उसमें हम शामिल होना नहीं चाहेंगे और इसलिए ये फैसला आपका है, आप करिए। आपको अच्छा लगे आपको लोग एप्रिरिशिऐट करेंगे। आप लोग नहीं करें तो आपका प्लस भी आपका है और माइनस भी आपका है। हम अपने आपको इस फैसले से अलग करते है, हम जा रहे हैं।

v/;{k egkn; % श्री सत्येन्द्र जैन जी।

Jh lR;sUnz tSu ¼LokLF; ea=h½ % अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़े अफसर थे, वो हर मंगलवार को जलेबी और दही का भोग लगाते थे। अपने असिसटेंट से एक किलो जलेबी मंगाते थे तो हर बारी वो दस रुपए की लाकर देता था उनको और अभी तक की बात है, पुराने जमाने की बात नहीं बता रहा। एक बारी क्या हुआ वो असिसटेंट छुट्टी पर था, दूसरा आ गया, उसने कहा भई, कितने की आई, साहब डेढ़ सौ रुपए की। अब उसको तो पता नहीं कि सिस्टम क्या है। जैसे हमारे यहां भी कई सारे अनजान लोग हैं। उनको पता नहीं कि महंगाई कहां पहुंच गई, बारह हजार में काम नहीं चलता। उनको लगता है पचास हजार भी ज्यादा हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जलेबी तो दस रुपए की आती है, उसने कहा डेढ़ सौ रुपए वो तो आग–बबूला हो गए कि तू चोर है, इसके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दो। तो जो बेचारा असिसटेंट था, अपने बॉस के पास गया, सर, मैं तो ये जलेबी लेकर आया था, डेढ़ सौ रुपए किलो आई और वो तो नाराज हो गए। कहते हैं, मैं चलता हूं। वो गया साहब के पास, उसको दो थप्पड लगाए कहा साहब, बहुत बेवकूफ है। पांच रुपए रेट हो गया, अब तो कम हो गए तो हमारे यहां पर लोगों को पता ही नहीं किस दुनिया में जी रहे है। वो ऐसी बातें करते हैं कि आप राजनीति में तो आ गए, दाल दो सौ रुपये किलो हो गई परंतु उनके घर में तो दो रुपए किलो आती है, उन्हें क्या पता या उनकी बोरियां आती हैं घर में। जिसमें से वो कहते हैं कि बांटते भी हैं। तो उनको लगता है कि फ्री में भी काम चले तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अखिलेश जी बैठे

है, पिछली बार की बात मैं आपको बताता हूं जब हमारी सरकार बनी थी। एक बार इन्होंने अपने ऑफीस में बुलाया इन्टरोगेशन के लिए, दोपहर का समय था और मुझे पर्स रखने की आदत नहीं है, मेरी जेब में पैसे नहीं थे क्रेडिट कार्ड जरूर था तो वहां पर मॉडल टाउन में ऐसी जगह कोई रेस्टोरेंट तो था नहीं मैंने कहा कि भई, खाना खिला दो। बोले भाई साहब तनख्वाह नहीं मिली है। मतलब मैं मंत्री था और ये विधायक थे। इनके पास पैसे नहीं थे और इन्होंने मेरे कहने के बावजूद, मतलब सोचिए अगर बीस रुपए भी होते तो कुछ न कुछ तो खिला देते, इनकी जेब में बीस रुपए भी नहीं थे। सामने बैठे हैं; पूछ सकते हैं। तो इस सिच्युऐशन में अपने विधायकों अगर हम लाएंगे कि उनके पास खाने के पैसे भी नहीं होंगे। फिर उनसे हम कहेंगे चौबीस घंटे आप काम करिएगा, वो कैसे कर सकता है। सर्जन को हम कहते है कि सर्जरी करिएगा परंतु हम आपको फीस नहीं देंगे। उसके बाद हम उसको मजबूर करेंगे। बच्चों की फीस देने के लिए किसी के पास हाथ फैलाएं। सर, हमारे पास कई विधायक हैं जो अपने घर के खर्चों के लिए दूसरों के आगे, दोस्तों के आगे, रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाते हैं। वो उनको सम्मान का रास्ता नहीं दिखा रहा। उनको अपने पिताजी से और माताजी से, पैसे मांगने पड़ रहे हैं, उन्होंने एग्जाम्पल बताया जैसे अपनी माताजी से पैसे मांगने पड़ रहे हैं वो कहे अब जवान हो गया, अब विधायक बन गया। पैसे किस बात के? अपना गुजारा जरूर चलना चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा और एक बात कहना चाहूंगा, सर अगर मौका दे दिया जाए कि ये विधायक की कुर्सी है बताए कितने रुपए महीना लेंगे। आपको दस लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीना देने वाले लोग मिल जाएंगे। हमें विधायक बना दीजिए 10 लाख रुपए महीना हम देंगे। लेने की जरूरत ही

नहीं है। तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि अगर ईमानदार राजनीति करनी होगी तो विधायक को जो उसके बेसिक खर्चे हैं, ऑफिस चलाना है उसको, उसको गाड़ी भी चलानी जरूरी है, उसको अपना घर चलाना जरूरी है। तीन चीजें है कि उसको मोबिलिटी चाहिए, उसको अपना ऑफिस चलाना है और उसको अपना घर चलाना है। तीनों को चलाने के लिए मिनिमम वेजिज, जो हमने मिनिमम वेजिज मंत्री जी ने रखा तो विधायकों के लिए भी मिनिमम वेजिज जरूर होने चाहिए और मुझे लगता है जो आपने अभी बजट लेकर आए है, बिल देकर आए हैं तो उस मिनिमम वेजिज पर ठीक है और इसको मैं समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

v/;{k egkn; % माननीय उप–मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखें, एक अखिलेश जी के विषय में एक बात कहना चाह रहा हूं। अभी नान बेलेबल वारेंट इनका हुआ था। एक दिन वो जेल रहकर आए। आए, मैंने उनसे पूछा भई जेल वाला, नान बेलेबल की क्या दिक्कत थी, पनेल्टी का भी क्लास रहता है। इन्होंने कहा गोयल साहब, पचास हजार रुपए जुर्माना किया था और मेरी जेब में पचास हजार रुपए नहीं थे, मुझे इसलिए एक रात जेल जाना पड़ा। इन्होंने जज से ये कहा कि ये मेरा एटीएम का कार्ड है, जितना पैसा है इसमें, उतना जुर्माने के रूप में ले लीजिए। उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक विधायक पचास हजार रुपए देने में सक्षम नहीं था। मैं बल्कि इनसे सख्ती से बात कर रहा था। उसके बाद मेरी जुबान बंद हो गई कि उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया, वे पचास हजार रुपए देने में समर्थ नहीं थे, ये स्थिति है। माननीय उप–मुख्यमंत्री जी।

mi&eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं। मैं चाहता था

कि वो भी इस बातचीत में...

v/;{k egkn; % मैं विजेन्द्र जी से अपील कर रहा हूं आपने अपना विरोध दर्ज कर दिया है अब कृपया सदन में आ जाएं। अच्छा रहेगा।

mi&e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सदन के सामने कहना चाहता हूं कि अब ये सरी चर्चा रिकार्ड में भी होंगी और मीडिया के माध्यम से समाज तक भी पहुंचेंगी। नेता प्रतिपक्ष भी अपने हिसाब से कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है, एक दो चीजें मैं कहूंगा उनको भी संज्ञान में रखें, सभी लोग चाहे वो मीडिया के साथी हों, नेता प्रतिपक्ष हों, हमारे साथी हों, उसको ध्यान में रखेंगे। हम लोग ईमानदारी और सादगी की राजनीति के लिए आए थे। ईमानदारी और सादगी की राजनीति में मुझे लगता है मैं स्वयं प्रशंसा की बात नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे कई साथी ऐसे हैं जो दूसरी बार विधायक बन गए हैं, एक छोटा टर्म पूरा करके और कई पहली बार बने हैं। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास और मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि उनके पास अपने संयोग से, अपने परिवार के संयोग से काफी पैसा है और वो सक्षम हैं लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं, जिनके पास में जो अपने अखिलेश भाई का जिक्र किया। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे साथियों की स्थिति को जानता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे नेता सदन में आके बैठे हैं। बहुत बार ऐसे नेता अलग–अलग सदनों में आए हैं। आज भी उनके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। उनके पास में ठीक से कपड़े लेने के लिए, आने जाने के लिए पैसे नहीं होते थे। उनके पास जमानत के पैसे नहीं थे। पहली बार बहुत सारे विधायक ऐसे आए हैं कि वास्तव में पैसे नहीं हैं। जब हम लोग चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़ते वक्त भी हमने एक ही चीज

कही थी कि पैसे वाले आदमी आएं चुनाव लड़ने के लिए या बिना पैसे वाला आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम कोई ऐसे लोगों की चुनाव लड़ाने की पार्टी नहीं बनाना चाहते जिनके पास कुछ न हो, जिनका बैंक अकाउंट निल हो। ऐसे लोगों की पार्टी नहीं है। सादगी की राजनीति करनी है। ईमानदारी की राजनीति करनी है। ऐसा नहीं है कि जिनके घर टूटे फूटे होंगे, उनके हाल बेहाल होंगे सिर्फ वो ही, वो भी आएं और जिनके पास उनके परिवार की वजह से बहुत पैसा है, वो भी आएं। लेकिन हमने एक ही शर्त रखी थी और उस शर्त पर हमने कायम किया, वह उस शर्त पर कायम रहे कि यहां इतने सारे बैठे हैं और हार गए। तीन वो भी बता दें और पिछले बार हारे या जीते वो भी जानते हैं कि दो चुनावों में और बल्कि तीन चुनाव लड़ चुकी है ये पार्टी एक भी आदमी से चुनाव में टिकट तो दूर किसी से चाय नहीं पी हम लोगों ने। किसी से यह नहीं कि यार, तुमको टिकट दे रहे है, आओ जरा साथ में खाना ले लेते हैं, बिल तुम दे देना। चाय पी लेते हैं, बिल तुम देना। अरविन्द केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हो या इस सदन में जो लोग नहीं बैठते हैं, हमारी पार्टी के नेतृत्व में शामिल हैं, मैं अननैसेसरी उनका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन ऐसे लोगों के एक लाम्बी फेहरिस्त है। उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में अपने खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। लेकिन वो भी कभी किसी सदस्य को ये नहीं कहते, चाहे उनमें से अमीर साथी हों या गरीब साथी हों कि कई भैया, तुम्हारे पास तो बहुत है, जरा हमारे खाने का कर दो। टिकट दिया था तुमको, किसी को नहीं कहते। वहां से खड़े होकर चुनाव प्रचार में ये ही नीति अपनाई, चंदा मांगा। देश और दुनिया में अरविन्द केजरीवाल की एक क्रेडिबिलिटी थी। आम आदमी पार्टी के प्रति एक भरोसा था। उस भरोसे पर कायम होकर उस

क्रेडिबिलिटी पर होकर। जंतर–मंतर पर उसके फक्कड़पने पर गुस्से को देखकर लोगों ने पैसा भी दिया, सपोर्ट भी दिया और वोट भी दिया। उस पैसे से चुनाव लड़े हम लोग और उस वोट से चुनाव जीतकर आए हैं। वो कॉन्फिडैन्स जनता में गया है। तो चुनाव और सब को मना था कोई शराब पिलाकर जीतेगा, कोई रिश्वत बांटकर नहीं जीतेगा। सबको मना था जिस किसी के बारे में उड़ती हुई खबर भी सुनी उसकी तसदीक की जा जाकर। उससे पूछा कि तुम्हारे बारे में ये सुनने को मिल रहा है क्या सच्चाई है? उसके दिए गए तथ्य जो खबरें आती थीं उन तथ्यों की पूरी पड़ताल करने के बाद चुनाव लड़ाते थे। ये ईमानदारी की बात है इस बार तो नहीं 49 डेज की सरकार से पहले जब चुनाव हुआ था एक शिकायत पर अरविन्द केजरीवाल जी की पार्टी ने अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में फैसला ले लिया था कि दिल्ली की 70 सीट्स में से हमको 69 सीट्स पर लड़ना मंजूर है, आठ दिन पहले एक कैन्डिडेट का टिकट कैंसल कर दिया था। आचार के ऊपर। उस राजनीति की बात करने आए हैं हम। उस राजनीति में भौतिक इंसान हैं, सारे इंसान ही हैं, हवा में नहीं हैं, भौतिक जरूरतें भी हैं भाव की जरूरतें भी हैं। हमको ये मानना पड़ेगा कि भौतिक जरूरतें तो भौतिक सप्लाई से ही पूरी होंगी। सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, जनता का खूब प्यार मिल रहा है, सब लोग जनता को प्यार कर रहे हैं, दुःख दर्द समझ रहे हैं ये बहुत भाव की बात है। भौतिक जरूरतें हैं, सबके पेट को खाना चाहिए, सबके बच्चों को फीस चाहिए, सबके बच्चों को पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सबको एक छत चाहिए और विधायकी के तौर पर एक चाहे वो 35 किलोमीटर की विधान सभा हो चाहे 5 किलोमीटर की विधानसभा हो, वहां काम करने के लिए दफ्तर, साथी, साथियों के उठने बैठने के लिए इन

सबके लिए चाहिए। भौतिक जरूरतें तो भौतिक से ही पूरी होंगी जी। भाव, भाव से पूरा होगा। भौतिक भौतिक से पूरा होगा। हम पैसे इस लिए नहीं ढूंढ रहे कि साहब सम्मान मिलने लगे। अब हम भी 12000 हजारी की कैटेगरी से उठकर 70000 हजार की कैटेगरी में आ गए, 50000 हजार की कैटेगरी में आ गए। हम ग्रेड वाला मामला नहीं ढूंढ रहे। ये राजनीति है। ग्रेड ऑफिसर्स का ही ठीक है, वहां ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं भौतिक भौतिक से पूरा होता है, भाव भाव से पूरा होता है। मैं आज शाम को अपने घर जाऊं, और मैं कहूं कि बहुत भूख लगी है, और मेरी पत्नी कहे मैं आपको बहुत प्यार करती हूं। मैं फिर से कहूं कि भई, सुना नहीं कि भूख लगी है। वो फिर से कहे कि मैं बहुत प्यार करती हूं, बड़ा सम्मान करती हूं, आपका तो पूरी दुनिया में सम्मान है। देश में सम्मान हो रहा है। आप तो उप–मुख्यमंत्री हो। मैं फिर से कहूं कि भई, सुन ले भूख लगी है। तो अध्यक्ष जी, भूख के लिए तो खाना ही चाहिए। प्यार मोहब्बत सम्मान से जिंदगी रोशन हो सकती है, पेट तो फिर खाने से ही भरेगा और कितना चाहिए वो भी। हम लोग अक्सर बात करते हैं। मैं कुछ चीजों को क्योंकि समझने की है। हम लोगों के यहां एक कहावत चलती है, हिन्दुस्तान में। मैं बस पांच मिनट और लूंगा इसमें। कहावत चलती है उतने पैर पसारिए जितनी लम्बी सोर। ऐसा बोलते हैं न? जितनी बड़ी चादर उतने पैर फैलाइए। मुझे लगता है यह एक व्यावहारिक कहावत है। 5-6 फुट का आदमी अगर साढ़े पांच फुट की चादर उसको दे दोगे तो पूरी जिंदगी दुःखी रहेगा। सो नहीं सकता। मैं व्यावहारिकता में कह रहा हूं अध्यक्ष जी, नींद नहीं आएगी। ठंड लगेगी सो अलग। अगर व्यावहारिक क्या है। व्यावहारिक मैं बताता हूं ये मेरी अपनी व्याख्या हो सकती है। व्यावहारिक ये है कि 6 फुट के आदमी को साढ़े छः फुट की

चादर दे दी जाए थोड़ी सी सर के नीचे दबा ले, थोड़ी सी पैर के नीचे दबा ले, आराम से सोएगा। कोई टेंशन नहीं है न मच्छर काटे, न ठंड लगे। अगर 6 फुट के आदमी को 12 फुट की चादर दे दोगे तो रात भर नींद नहीं आएगी कोई चोरी न करके ले जाए और 6 फुट के आदमी को साढ़े पांच फुट की चादर दे दोगे तो भी उसको नींद नहीं आएगी, ठंड लग रही है मच्छर काट रहे हैं। व्यावहारिकता ये है। जितनी आदमी की भौतिक जरूरतें है। मैं इसलिए पुरानी बात को ला रहा हूं कि भौतिक जरूरते हैं, उसके लिए भौतिक संसाधनों का होना बहुत जरूरी है। भावपूर्ण जितनी जरूरते हैं, उनके लिए भावपूर्ण संसाधन। हम सब लोग उस भावपूर्ण में लगे हुए हैं, सब लोग कोशिश करते है जितनी मेहनत कर सकें, जितना जनता से प्यार कर सकें, उसमें लगे हुए हैं। लेकिन भौतिक जरूरतें तो भौतिक संसाधनों से पूरी होंगी। हम आदर्शवाद में कितना ही, जी नहीं, साहब। मुझे लगता है कि हमारी राजनीति में सबसे बड़ी देश की कमी यह रही है कि हमें लगा कि राजनीति का एक बहुत एक्स्ट्रीमिस्ट आदर्शवाद लगा दिया। कुछ लोग होंगे विधान सभा में 70 लोग चुने जाएंगे वो 12000—12000 हजार रुपये में पूरी जिंदगी लगा देंगे काम करते रहेंगे। चले गए वो। मैं कहने वाला था, मैंने बात को छोटी करने के लिए मैंने सोचा था जल्दी खत्म हो जाएगी, इस लिए मैंने उस वक्त नहीं कहा और हकीकत है वो बात सही कह रहे थे, मैं सहमत हूं जगदीश भाई और उन सबकी बातों से। हमने ये कल्पना कर रखी है कि 272 लोग होंगे। वो नगर निगम में चुने जाएंगे। वो फ्री में काम करते रहेंगे। पूरा दिन लोगों के बीच घूमते रहेंगे। जब लोग घर आएंगे तो उनको चाय भी पिला दिया करेंगे और अपनी मोटर साईकिल से अपनी गाड़ी से लोगों के साथ चले जाया करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो सचिवालय भी आ जाया करेंगे। कोर्ट भी चले जाया करेंगे, अपनी गाड़ी में बैठाकर। लेकिन

तनख्वाह नहीं मिलेगी क्योंकि वो पार्षद है, जीरो सेलेरी होनी चाहिए। ये पता नहीं कहां से की गई कल्पनाएं हैं? हो सकता है किसी जमाने में सामाजिक तानाबाना ऐसा हो, पर आज कम से कम मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली सामाजिक तानाबाना और यथार्थ ये है नहीं। ये यथार्थ की कल्पना से दूर की चीजें हैं। 272 लोग वैसे 7 अपने गिनाओ और 70 ये। तो इतने क्यों गिनते हैं फिर तो सारे ही गिन लो। कल्पना ही करनी है तो सब की कर लो फिर। सरकार हुआ करेगी उसमें कुछ ओफिसर्स हुआ करेंगे, उसमें कुछ चपरासी और क्लर्क हुआ करेंगे, कुछ मंत्री संत्री हुआ करेंगे, सबके सब फ्री में काम करेंगे। वो एक बहुत ही एक्स्ट्रीमिज्म आइडियलिज्म है। व्यावहारिकता ये है कि जिस आदमी को दिल्ली जैसे शहर में काम करना है, वो चाहे बहुत पैसे वाला हो या गरीब हो, उसको एक सामान्य चीजें खर्च करने की जरूरत पड़ती है। वो सामान्य चीजें खर्च करने के लिए वहां ये बिल है और आज बड़ा संयोग है अध्यक्ष जी, हालांकि ये संयोग इसलिए हो गया कि कल कुछ अमेन्डमैन्ट्स हम लोग कुछ सुझाव ऐसे आए और टाइपोग्राफिकल रह गई, वरना मजदूरी और पत्रकारिता का वेतन भत्ता बढ़ाने का बिल हम कल पास कर रहे थे और एमएलएज का आज कर रहे थे पर ये अच्छा संयोग है कि आज हम मजदूर के वेतन की भी बात कर रहे हैं, आज हम पत्रकारों के वेतन की भी बात कर रहे हैं और आज हम एमएलएज के वेतने की, मंत्रियों के वेतन की और बाकी सदन के लोगों के वेतन की बात, ये बहुत बड़ा संयोग है और व्यावहारिकता की ईमानदारी है। ये हवाई ईमानदारी नहीं है। जैसे राइट टु सर्विसेज का बिल पेश करते हुए मैंने कहा था कि सरकार भी व्यावहारिकता से चलनी चाहिए। यानी हम एक लड़के या लड़की को उठाकर एसडीएम बना देते हैं। उसको चार क्लर्क दे देते

हैं और कहते हैं, अब बेटा बनाओ सर्टिफिकेट। रेवेन्यू भी देखो, सर्टिफिकेट भी देखो, सरकार की सारी जांच भी करना और जब मंत्री और पार्षद वगैरह कहेंगे, तो उसके साथ भी घूम लेना और रोजना 60–70 सर्टिफिकेट वेरिफाई करके बना देना...ओबीसी या कौन क्या है, कौन क्या है। संभव ही नहीं है bound to be corrupt or bound to be failed. ये भी सिस्टम bound to be corrupt or bound to be failed. है। जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं करप्शन का लेकिन व्यावहारिक तो होना चाहिए। इसीलिए हमने राइट टु सर्विसेज को लाते वक्त, ई–डिस्ट्रिक्ट को लाते वक्त सिस्टम से एफिडेविट्स और वे सारे सर्टिफिकेट्स हटाये और सेल्फ डिक्लेयरेशन लाये। तो इसी तरह से यहां भी हमें व्यावहारिकता लाने की जरूरत है। पहली बार ये हो रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि शायद पहली बार ही होगा कि विधायकों का वेतन कितना हो, व्यावहारिक रूप से कितना होना चाहिए, वह विधायकों ने तय नहीं किया। एक बहुत इंडिपेन्डेन्ट कमेटी जिसमें लोकसभा के पूर्व महासचिव जैसे लोग, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए अनुभवी लोग, एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और देश दुनिया को समझने वाले पत्रकार, इन तीनों लोगों ने मिलकर तय किया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत व्यावहारिक कदम है सरकार की ओर से। इसमें विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी तरफ से बात करे। सैलरी लेनी है, नहीं लेनी है, उन्होंने टिप्पणी की थी। मेरा मानना है और ये सदन के रिकॉर्ड में दर्ज रहे कि सैलरी नहीं लेंगे। लेंगे तो उनका फैसला, नहीं लेंगे तो उनका फैसला। फैसला उनको करना है। शुचिता की बात आदर्शवाद के धरातल पर खड़े होकर बात करना अलग बात है, व्यावहारिकता के धरातल पर खड़े होकर बात करेंगे, तो अलग बात है। विरोध के लिए...क्योंकि विपक्ष में हैं, बात करना अलग बात है। लेकिन वास्तव

में सैलरी के खिलाफ हैं, ये परिचय देना अलग बात है। तो फैसला उनका है। they can always say कि भैया, हमारे बैंक में इतने पैसे मत भेजना, they can always give in writing, they can always decide give in press कि साहब हमको जो फालतू पैसे मिलेंगे, हम उसको सीएम रिलीफ फण्ड में देंगे। सीएम रिलीफ फण्ड अच्छा न लगे तो पीएम रिलीफ फंड में दे दीजिए। कहीं भी दे दीजिए। एमसीडी को दे दो...तो कहने का मतलब ये है कि मेरी राय में ये बहुत व्यावहारिक है। क्योंकि अगर ईमानदारी की राजनीति करनी है तो जैसे मैंने कहा कि पेट भरा होना भी जरूरी है। पेट भरने लायक दो रोटी होनी भी बहुत जरूरी है, एक व्यवस्था होनी भी जरूरी है घर में भी। इसके साथ–साथ मैं ये भी कह रहा हूं। अपने सारे साथी विधायक यहां बैठे हुए हैं कि हम जिस नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उस नेतृत्व ने अगर ये फैसला लिया है कि विधायकों की तनख्वाह व्यावहारिक की जाये। तमाम अनपापुलिस्ट और तमाम क्वेश्चन्स के बीच में किया है। इस कमिटमैन्ट के साथ किया है कि हमारे लिए, अपने लिए, विधायकों के लिए मंत्रियों के काम करने के लिए व्यावहारिक माहोल हो, धन उपलब्ध हो, पर साथ–साथ जिस कमिटमैन्ट के साथ ईमानदारी की राजनीति करने के लिए ये नेतृत्व निकला, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा और इसके बाद का उदाहरण चाहे वह मंत्री हो या विधायक हो, या कोई और व्यक्ति हो, किसी भी तरह का करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। वह चाहे एमसीडी के ठेकेदार से लिया जा रहा हो, किसी जल बोर्ड के ठेकेदार से लिया जा रहा हो या कहीं से लिया जा रहा हो। कोई भी पैसा, अगर एक पैसा भी कहीं से कोई रिश्वत का लेगा तो ये इस पार्टी के इस सरकार के नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं है। और न हुआ है, न होगा।

मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। बात कई लोगों ने बहुत व्यक्तिगत कही। शादी शुदा, गैर शादी शुदा वाला विवाद भी उठा कि साहब कैसे लोगों को बोलने दिया गया, कैसे को नहीं दिया गया। अभी पीछे पार्टी के विधायकों की माननीय मुख्यमंत्री के घर पर एक बैठक हो रही थी। उसमें हमारे एक साथी यहां बैठे हैं, उनकी बेटी ने बड़ी अच्छी बात कही खड़े होकर। एक प्रयोग हुआ था पार्टी में। विधायक भी थोड़े आहत थे उस घटना से। उनकी बेटी ने तमाम विधायकों के सामने अपने पिता से कहा खड़े होकर कि देखिये, आज हम अरविन्द केजरीवाल सरकार की पार्टी के विधायक हैं, उनकी बेटियां हैं। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हमें सम्मान मिलता है। आप एक ऐसी पार्टी में हो, जिसका सम्मान है। अब हम कहीं समाज में जाते हैं। हमें सम्मान मिलता है। उस बेटी ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर हम सारे विधायकों के सामने कहा कि कभी भी ऐसा काम मत कर देना कि हमें नजर नीचे झुकानी पड़े। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं। शादी शुदा हो या गैर शादी शुदा। सबके परिवार हैं, सबका समाज है। और आपका नेतृत्व पूरी तरह से इस बात के लिए कमिटेड है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद जो व्यावहारिक है, वो करेगा। लेकिन हम सबको मिलकर नेतृत्व के प्रति कमिटमैन्ट दिखाना पड़ेगा कि प्राण चले जायें लेकिन एक पैसे का इधर से उधर करने में शामिल नहीं होंगे। इस कमिटमैंट के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाये।

v/;{k egkn; % विचार हो गया अब तो पारित किया जाये।

tkp vk;kx dk xBu

lekt dY;k.k ea=h ¼Jh lanhi dqekj½ % अध्यक्ष महोदय, एक सूचना सदन को देनी थी।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरकार ने एक स्पेशल सैशल बुलाया था महिला

सुरक्षा पर और उसमें ये कमिटमैंट किया था कि एक कमीशन ऑफ इन्क्वारी सेट–अप करेंगे तो उसमें हम सरकार अरविन्द जी के नेतृत्व में एक नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं। कमीशन ऑफ इन्क्वारी। उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि it is proposed to set up an Enquiry Commission under the Commission of Enquiry Act to receive complaints from victims of sexual harassment, assaulting of, in whose cases appropriate action has not been taken since Feb., 2013. Introduction of new Law and didn't get justice कमीशन के जो जिस तरह की ये कम्पलैण्ट्स हैण्डल करेंगे, देखेंगे उसमें खास तरह की कम्पलैण्ट्स हैं: No. 1...suggest appropriate action in each of the complaints No. 2...Suggest amendments to CRPC if any reqired on the basis of this complaints. (c)...recommended if action out of to be taken against officers in case of gross negligence or collisions (d) the recommended majors to expanded the criminal case and prosecution (e) to recommend majors necessary to upperly implement these provisions of law and recommendation of Justice Verma Committee and to prevent recurrence of such incidents.

और इस कमीशन को जो चेयर करेंगे वह दिनेश दयाल जी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं (रिटायर्ड) वे इसके चेयरपर्सन होंगे और दो मेम्बर होंगे। अध्यक्ष महोदय, ये आज या कल में ही नोटिफिकेशन हो जायेगी और ये कमीशन ऑफ इन्क्वारी सेट अप हो जायेगा और ये सुचारू रूप से दिल्ली की महिलाओं के लिए जो भी जैसे अगर पुलिस किसी बात को नहीं सुनती है, जैसा कि 'मीनाक्षी' हमारी बहन का जो मर्डर हुआ था, आनन्द पर्वत पर, दो साल से वह कम्पलैण्ट कर रही थी दिल्ली पुलिस को और दिल्ली पुलिस ने जैसे नजरअन्दाज किया और वहां पर जो आम आदमी पार्टी के वॉलेन्टीयर्स थे, जो हमेशा लोगों के हित की बात उठाते हैं, उन पर लाठी चार्ज भी हुआ। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार

किया पुलिस की वजह से। पुलिस ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किये। कुछ लोगों को पकड़ कर पुलिस में भी बंद किया और वहां पर तरह तरह के एलिगेशन भी लगे। लेकिन जब सीएम साहब वहां पर गये और उन्होंने उस परिवार की सहायता के लिए दस लाख रुपये, 5 लाख रुपये सीएम रिलीफ फण्ड से और 5 लाख रुपये समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिये गये थे। बहुत सारी चीजें उसमें सामने आई कि जिस तरह से नेग्लिजैन्स दिल्ली की महिलाओं के मामले में वे करते हैं, बहुत सारे मुद्दों को दबाया जाता है। बहुत सारी बातों को ऐसे दबाया जाता है जैसे कि ये उनकी जिम्मेदारी ही नहीं बनती। ये कमीशन उन सब लोगों के प्रति जवाबदेही होगी ये महिलाओं की सुरक्षा में बहुत अच्छा कदम है और मैं आप लोगों की सूचना के लिए मैं यह बताना चाहता हूं। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % मैं मंत्री को बधाई दे रहा हूं कि ये भी को–इन्सिडेन्स है कि यूएनओ ने पूरे विश्व में 'महिला सुरक्षा पखवाड़ा' मनाने का 10 दिसम्बर तक का रखा हुआ है और उसी दौरान दिल्ली सरकार ये घोषणा करने जा रही है, यूएनओ की बात को दिल्ली सरकार एक समर्थन दे रही है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा बढ़े। बहुत–बहुत धन्यवाद।

lekt dY;k.k ea=h % अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं...अच्छा लगेगा आप लोगों को। कल 11 बजे मैंने फोन किया अपनी वाइफ को कि मैं एक शादी में जा रहा हूं और आप मेरा खाना मत बनाना। उसने कहा, अब आपका तो आपका, अब मेरा भी नहीं बनेगा, अब तो खाना ही खत्म हो गया।

lJh vydk ykck % अध्यक्ष महोदय, कमीशन में चेयरमैन के साथ दो सदस्य की बात है। मेरा निवेदन है कि दो सदस्यों में से महिला सदस्य जरूर रखी जायें। यह मेरा निवेदन है।

fo/k;d ij ppk ,o ikj.k

v/;{k egkn; % अब सदस्यों के वेतन, भत्ते संशोधन बिल नंबर 18, विधेयक पर खंडवार विचार। प्रश्न है कि खंड 2 जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, इस पर डिविजन ऑफ वोट होना चाहिए।

v/;{k egkn; % बहुत समय हो जाएगा। लास्ट में प्रस्ताव पर कर लेंगे। खंड पर नहीं प्लीज। दो मिनट रुकिये।

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे

हां पंक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

खण्ड 2 जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड 3 जिसमें धारा 6 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
(सदस्यों के हां कहने पर)
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 3 जिसमें धारा 6 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

v/;{k egkn; % एक सैकेंड के लिए, समय 7 बजे तक का बढ़ाने की अनुमति सदस्यों से चाह रहा हूं।

(सदन का समय 7:00 बजे तक बढ़ाया गया।)

प्रश्न है कि खण्ड 4 जिसमें धारा 7 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 4 जिसमें धारा 7 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड 5 जिसमें धारा 8 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 5 जिसमें धारा 8 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

v/;{k egkn; % प्रश्न है कि खण्ड 6 जिसमें धारा 8(क) को हटाया गया है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 6 जिसमें धारा 8(क) को हटाया गया है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड 7 जिसमें धारा 9 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 7 जिसमें धारा 9 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधयेक के अंग बन गये।

fo/k;d dk ikfjr djukA

v/;{k egksn; % सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 18) को पारित किया जाये।

mi eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करना हूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 18) को पारित किया

जाये।

v/;{k egkn; ¼ यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

सोमनाथ जी की ओर से एक प्रस्ताव आया है मत विभाजन का। सोमनाथ जी ने प्रस्ताव रखा है। सदन इससे सहमत है। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने निर्धारित स्थान पर ही रहें तथा जब मैं कहूं तब अपने स्थान पर खड़े होंगे। जब तक मैं बैठने के लिए न कहूं तब तक न बैठें। अब जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं—

वो अपने स्थान पर खड़े हो जायें
कृपया अपने स्थान पर थोड़ी देर खड़े रहेंगे
कृपया बैठ जायें।

अब जो सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध में हैं,
वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

शून्य

अब जो सदस्य इस प्रस्ताव से अलग रहना चाहते हैं,
तटस्थ रहना चाहते हैं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जायें
नहीं

पक्ष में 57 सत्तावन

विरोध में 0 शून्य

तटस्थ 0 शून्य

कुल 57 सत्तावन

अतः प्रस्ताव पास हुआ। विधयेक पास हुआ।

v/;{k egkn; % अब मंत्रियों के (वेतन भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष, 2015 का विधयेक संख्या–19) पर खंडवार विचार। अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड 2 जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 2 जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

v/;{k egkn; % प्रश्न है कि खण्ड 3 जिसमें धारा 4 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 3 जिसमें धारा 4 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड 4 जिसमें धारा 6 की उपधारा (4) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 4 जिसमें धारा 6 की उपधारा (4) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड 5 जिसमें धारा 9 को प्रतिस्थापित किया गया है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 5 जिसमें धारा 9 को प्रतिस्थापित किया गया है, विधेयक का अंग बन गया।

v/;{k egkn; % प्रश्न है कि खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गये।

v/;{k egkn; % अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक का संख्या 19) को पारित किया जाये।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015

(वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 19) को पारित किया जाये।

v/;{k egkn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।
विधेयक पास हुआ।

v/;{k egkn; % अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) बिल नंबर 20 विधेयक पर खंडवार विचार। अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा। प्रश्न है कि खण्ड 2 जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 2 जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड 3 जिसमें धारा 4 को हटाया गया है, विधेयक का

अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 3 जिसमें धारा 4 को हटाया गया है, विधेयक का अंग बन गये।

v/;{k egkn; % प्रश्न है कि खण्ड 4 जिसमें धारा 5 को हटाया गया है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 4 जिसमें धारा 5 को हटाया गया है, विधेयक का अंग बन गये।

v/;{k egkn; % अब प्रश्न है कि खण्ड 1, प्रस्तावना शीर्षक विधेयक के अंग बनें। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गये।

fo/ks;d dk ikfjr djukA

v/;{k egksn; % अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक–2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 20) को पारित किया जाए।

mi&eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक–2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 20) को पारित किया जाए।

v/;{k egksn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

विधेयक पास हुआ।

v/;{k egksn; % नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ते।

mi&eq[;ea=h % कॉल तो दे दीजिए। आ जाएं।

v/;{k egksn; % विजेन्द्र जी, बिल संख्या 21 नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक सदन में पेश है। मेरी प्रार्थना है कि आप आ जाएं। विधेयक पर खण्डवार विचार।

अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड–2 जिसमें धारा–3 का संशोधन है विधेयक का अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड–2 जिसमें धारा–3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

v/;{k egksn; % प्रश्न है कि खण्ड–3 जिसमें धारा–4 को हटाया गया है, विधेयक के अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड–3 जिसमें धारा–4 को हटया गया है, विधेयक के अंग बन गया।

v/;{k egkn; % प्रश्न है कि खण्ड–4 जिसमें धारा–5 को हटाया गया है, विधेयक के अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड–4 जिमसें धारा–5 को हटाया गया है, विधेयक के अंग बन, गया।

v/;{k egkn; % अब प्रश्न है कि खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधयेक का अंग बनें। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गये।

v/;{k egkn; % विधेयक को पारित करना। अब श्री मनीष सिसोदिया जी, उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक–2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 21) को पारित किया जाए।

mi&eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति और उनकी असहमति के बावजूद प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक–2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 21) को पारित किया जाए।

v/;{k egkn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

विधेयक पास हुआ।

v/;{k egkn; % बिल नम्बर 22 मुख्य–सचेतक के वेतन भत्ते एवं संशोधन विधेयक पर खण्डवार विचार। अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड–2 जिसमें धारा–3 का संशोधन है विधेयक का अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड–2 जिसमें धारा–3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

v/;{k egkn; % प्रश्न है कि खण्ड–3 जिसमें धारा–4 को हटाया गया है, विधेयक के अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्छ–3 जिसमें धारा–4 को हटाया गया है, विधेयक के अंग बन गये।

v/;{k egkn; % प्रश्न है कि खण्ड–4 जिसमें धारा–5 को हटाया गया है, विधेयक के अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड–4 जिसमें धारा–5 को हटाया गया है, विधेयक के अंग बन गये।

v/;{k egkn; % अब प्रश्न है कि खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक का अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गये।

fo/k;d dk ikfjr djukA

v/;{k egkn; % अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के मुख्य–सचेतक के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक–2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 22) को पारित किया जाए।

mi&eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि बहुत सारे सदस्यों की दुखती रग है, इनकी सेलरी भी बढ़वाने में क्योंकि इनको पता है कि

विषय सूची

l=&2 Hkkx ¼1½ cgLifrokj] 03 fnlEcj] 2015@12 ekxZ'kh"kZ] 1937 ¼'kd½ vad&24

Øl-	fo"k;	i"B l-
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	3-26
3.	एनजीओ परिसर किराये पर देने पर ध्यानाकर्षण	26-32
4.	विधान सभा परिसर में परिवहन मंत्री पर हुए हमले पर ध्यानाकर्षण एवं उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य	33-56
5.	आचरण समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	57
6.	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	57-58
7.	नियम–107 के अन्तर्गत प्रस्ताव	58-76
8.	नियम-107 के अंतर्गत प्रस्ताव एवं चौथे वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा इसकी सिफारिशों पर सरकार के व्याख्यात्मक ज्ञापन पर चर्चा	77-91
9.	विधेयकों पर चर्चा, (उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य) एवं पारण	91–146
	1) न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015	

2) कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015

3) रा.रा. क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों के (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) (संशोधन विधयेक, 2015)

10. यौन शोषण या निजता के उल्लंघन के पीड़ितों से शिकायत प्राप्त हेतु जांच आयोग के गठन की सूचना 147-149